खण्ड-306, अंक-7
बुधवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1896
(27 मार्च, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 306 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	331—395
प्रश्नोत्तर	396—408
श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहलना के प्रश्न की सूचना	408—415
सदस्यों को राज्य सभा के होने वाले निर्वाचन में स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने में बाधा डालने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	415—421
श्री मोती लाल देहलवी द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	421—423
सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेंकने की घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न	423—428
राज्य सभा के निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विधि परामर्शी की राय के स्वतंत्र भारत प्रकाशन पर आपत्ति	428—430
विधायक निवासों के कक्षों के आवंटन में तथाकथित धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य	430—438
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974 (पुरः स्थापित किया गया)	438—439
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	439—440
अनुपूरक अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारण	440—441
1973–74 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य-विवाद	442—469
1973–74 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—वृहत् जोत-कर (स्वीकृत)	469
अनुदान संख्या 2—भू-राजस्व (स्वीकृत)	469
अनुदान संख्या 4—बिक्री-कर (स्वीकृत)	470
अनुदान संख्या 5—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	470
अनुदान संख्या 8—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	470
अनुदान संख्या 9—निर्वाचन (स्वीकृत)	470—471
अनुदान संख्या 10—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	471
अनुदान संख्या 11—आयुक्त एवं जिला प्रशासन (स्वीकृत)	471

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 12—गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत)	471
अनुदान संख्या 13—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	472
अनुदान संख्या 14—कारागार (स्वीकृत)	572
अनुदान संख्या 15—पुलिस (स्वीकृत)	472
अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन—(स्वीकृत) ..	472
अनुदान संख्या 17—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत)	473
अनुदान संख्या 18—शिक्षा (स्वीकृत)	473
अनुदान संख्या 19—चिकित्सा (स्वीकृत)	473
अनुदान संख्या 20—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	473—474
अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)	474
अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	474
अनुदान संख्या 24—सहकारिता (स्वीकृत)	474
अनुदान संख्या 25—उद्योग (स्वीकृत)	475
अनुदान संख्या 27—नियोजन तथा समन्वय (स्वीकृत)	475
अनुदान संख्या 27—श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत)	475
अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	475—476
अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	476
अनुदान संख्या 31—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	476
अनुदान संख्या 32—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	476
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	477
अनुदान संख्या 34—संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत) ..	477
अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	477
अनुदान संख्या 37—परिवहन (स्वीकृत)	477—478
अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	478
अनुदान संख्या 40—राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत)	478
अनुदान संख्या 41—लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	478
अनुदान संख्या 42—वन तथा पर्यटन (स्वीकृत)	478—479
अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	479
अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	479

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 45—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	479
अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास (स्वीकृत) ..	480
अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	480
अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	480
अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	480—481
अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	481
उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 (पारित किया गया)	481—487
1974-75 के एक भाग के लिये लेखानुदान (स्वीकृत) ..	487
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 (पारित किया गया)	487—497
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	497
नत्थी	498—501

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 27 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—409

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध, श्री
अबुल फज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री

ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देई, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री

नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निभय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यार लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्डर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर रहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगगती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीष्म, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह कैन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिश्रयार खां, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नू लाल, द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब श्री
मोहम्मद असलम, श्री

मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
राघवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर, तिवारी श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज, सिंह श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमार बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बख्स सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राप पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्द, श्री एडवोकेट, (जिला बाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पान्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री

लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत रुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पान्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्वीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 27 मार्च, 1974

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम भभुवा जिला बांदा के श्री धर्मपाल की गोली से हत्या

**1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्रीहरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा ग्राम भभुवा के धर्मपाल कोरी उम्र 15 वर्ष को दिनांक 18 मार्च, 1974 को गोली मार दी गयी? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इस संबंध में अब तक कौन सी कार्यवाही हुई?

श्रम मंत्री श्री (राज मंगल पान्डेय)—

दिनांक 18-3-74 को श्री रामपाल निवासी ग्राम भभुवा थाना मर्का बांदा ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि 17-3-74 को रात में वादी का भाई धर्मपाल व पीताम्बर खाना खाकर गांव की पंचायत में जाने को कहकर गये थे। करीब 11 बजे रात दो व्यक्तियों ने घर आकर बताया कि जब धर्मपाल व पीताम्बर अलसी के बोझ लिये आ रहे थे तो धर्मपाल को किसी ने गोली मार दी। वादी ने अपने पिता के साथ जाकर देखा कि धर्मपाल के पेट में गोली लगी है। वे उसे घर ले आये। जहां थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।

उक्त सूचना पर थाने पर एक मुकदमा धारा 302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुआ व विवेचना प्रारम्भ की गई जो अभी जारी है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, यह घटना बांदा में घटी है। एक हरिजन को इसलिये गोली मार दी गयी कि वह अलसी चुरा रहा था जिसकी कीमत एक रुपया थी। इसका सीधा संबंध भुखमरी से है। और इसमें वर्ग संघर्ष की भावना निहित थी।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बतलायेगी कि इस कत्ल के पीछे कोई राजनीतिक भावना निहित थी और भुखमरी के कारण चोरी उसने की थी?

श्री राज मंगल पान्डेय—

जहां तक मेरी इत्तला है राजनीतिक भावना से ऐसी कोई बात नहीं हुई।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

थाने में जो रिपोर्ट लिखाई गई उसमें कितने आदमियों की नामजदगी कराई गई और उनमें से कितने अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं?

श्री राज मंगल पान्डेय---

रिपोर्ट जो इस संबंध में कराई गई है वह वही है जो पहले मैंने पढ़ कर सुनाई। गोली मारने के बारे में एफ० आई० आर० नहीं है। कौन-कौन आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं इसके लिये इत्तला की जरुरत पड़ेगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

यह देखते हुए कि एक हरिजन के साथ अत्याचार किया गया है क्या माननीय मंत्री जी लोकल बेसिस पर जांच न करा कर प्रान्तीय स्तर पर सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

मेरी समझ में इसका कोई औचित्य नहीं है, केवल हरिजन होने के नाते जो नार्मल प्रोसीजर है उससे हट कर जांच की जाय।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

कल माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि एक कमीशन बनाया जायगा जिसमें हरिजन और पिछड़े लोगों के ऊपर बिशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में इस मामले में जो मांग की जा रही है कि प्रान्तीय स्तर पर जांच की जाय उसका औचित्य उचित प्रतीत होता है।

श्री राज मंगल पान्डेय---

मान्यवर, कल जो मुख्य मंत्री ने कहा उसका तात्पर्य दूसरा था। उन्होंने कहा कि उन आफेंसेज में भी जिनमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है, हरिजनों के मसले की गंभीरता को देखते हुए उनके हस्तक्षेप करने की बात है। जब तक कोई विशेष कारण न हो, पोलिटिकली मोटिवेटेड हो और लोकल पुलिस उसका पता लगाने में असमर्थ हो, लेकिन ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं है जिससे मालूम हो कि एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है। सी० आई० डी० से जांच तो तब कराई जाती है जब उसकी विशेष जरूरत समझी जाय। यह तो केवल प्रिजम्शन है कि हरिजन होने के नाते एक नार्मलप्रोसी ज्योर से हम अलग रहें।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरिजनों की रक्षा के लिये एक पुलिस सेल बनाने की बात कही है और जब इस तरह का यहां सुझाव आया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ आज जो इस तरह से अन्याय हो रहा है, तो उन पर विशेष रूप से ध्यान दिलाने के लिये इन चीजों को जो सेल बना हुआ है उसके सुपुर्द करने में उनको क्या दिक्कत है ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

इसका परपज दूसरा है और आई० पी० सी० के जो मुकदमें हैं उनसे संबंधिति जो जांच का प्रश्न है, वह दूसरा है। जो सेल है वह तो एक पार्टिक्यूलर डिपार्टमेंट के केस यादसरी चीजें जो छोटी मोटी होती हैं उनका पता लगाने के लिये है। आई० पी० सी० के अन्तर्गत जो 302 के मुकदमें अदालतों के सामने जाते हैं, पहले तो फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट उसकी इन्क्वायरी करता है, फिर वह सेसन जज के पास ट्रायल के लिये जाता है, और ट्रायल के बाद वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सी० आर० पी० सी० में जो प्रोविजन है उसके अनुसार उसे सजा

[श्री राजमंगल पाण्डे]

देते हैं । सी० आर० पी० सी० में सारा प्रोसी ज्योर ब रूल लेड डाउन किया हुआ है। माननीय उप नेता, विरोधी दल ने जो बात कही, सेल का वह परपज नहीं है और न उससे उसका कोई समाधान हो सकता है। अगर कोई बात राजनीतिक प्रेरित हो, लोकल पुलिस न्याय नहीं कर रही हो, हरिजन होने के नाते उसके साथ गलत भावना बरत रही हो तो वह बात गलत है, लेकिन केवल हरिजन होने के नाते जो प्रोसी ज्योर है, उस से अलग प्रोसीज्योर अपितयार करे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, क्या सरकार इस भावना को देखते हुए कि हरिजनों के मामले में तफतीश करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाय इसको मान लेने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो आप व्यापक प्रश्न बना रहे हैं। इस प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता है। 18 मार्च को एक घटना घटित हुई, और उसकी विवेचना चल रही है तो इसको और व्यापक बनाने से दूसरा प्रश्न हो जायेगा ।

श्री काजी जलील अब्बासी--

श्रीमन्, जब गवर्नमेंट ने विशेष रूप से हरिजनों के 302 के मुकदमे में तफतीश के लिए आर्डर दिया है तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें उनको क्या आपत्ति है कि सी० आई० डी० से उसकी जांच करायी जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय--

सी० आई० डी० से जांच कराने का प्रश्न तो तब होगा जब कि सम्बन्धित व्यक्ति का कोई रिश्तेदार इस बात की शिकायत करे कि लोकल पुलिस इस मुकदमे की विवेचना सही ढंग से नहीं कर रही है, यह तो केवल प्रिजम्शन है कि चूंकि एक व्यक्ति हरिजन है, उसका मर्डर हुआ लिहाजा जो हमारा सी० आर० पी० सी० का प्रोसीजर है, उससे अलग हट कर कोई प्रोसीजर हम अख्तियार करें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह उचित न होगा ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसकी पोस्ट मारटम रिपोर्ट है या नहीं और यह भुखमरी से मरा है या गोली से मरा है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

External Examination—Blood stained fluid escaping the nose intestines protruding out through the injury on the front right half of abdomen. Injuries (Ante Mortem)) 1. One shot injuriy of entry 3.5 cm.×3.5 cm×abdominal cavity, deep on the right side front of abdomen 9 cm away from the umblicas at 10 0'clock position. The margin abrated, lacerated and inverted direction backwards.

2. One shot injury of entry I cm×I cm×cavity deep close to the upper and daterquadrant of injury no. I margins Lacerated abrated in inverted direction backwards.

मान्यवर, गन शाट इंजरीज हैं।

बाबा रामनाथ---

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि बांदा में सवर्ण लोगों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार बराबर हो रहे हैं तो क्यों नहीं वहां सवर्ण अधिकारियों का ट्रांसफर करके उनकी जगह पर बैकवर्ड वर्ग के अधिकारियों को रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आपका सुझाव है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एफ० आई० आर० किसने लिखाई और उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

नकल तहरीर वादी---

श्रीमान् थानेदार साहब थाना मर्वा निवेदन है कि प्रार्थी का भाई धर्मपाल वल्द टिरवा कोरी व पितम्बर वल्द पूरन कल तारीख 17-3-74 को करीब सात बजे खाना खा ीकर आपसी गांवदारी को पंचायत भइया लाल अहीर के दरवाजे जानेको कहकर घर से चले गए थे कि करीब 11 बजे रात में खलिहान के पश्चिस की तरफ से दुर्जन लोध व मंगली कोरी ने गोहार मारते हुए मेरे दरवाजे आये और बताये कि तेरे भाई धर्मपाल व पितम्बर हार से अलसी के बोझ लिये दोनों चले जा रहे थे कि किसी ने तेरे भाई धर्मपाल को लक्ष्मी के खेत के मेड़ से गोली से जान मारकर चले गये हैं। मैं गोहार मारते अपने भाई धर्मपाल के पास पहुंचा तो लक्ष्मी के मेड़ में कराह रहा था उसको मैं व मेरा बाप उठाकर अपने घर ले आये। थोड़ी देर जिन्दा रहा फिर मर गया। बोल नहीं पाता था। मेरे भाई के पेट के दाहिनी कोख पर गोली मारी गई है जो पीठ से घाव बनाती हुई निकल गई है। .पता नहीं किसने मारा है। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मैं अपने भाई की लाश को घर में अपने पिता को लका कर आया हूं। अतः प्रार्थना है कि मेरे रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही की जाय। प्रार्थी रामपाल वल्द टिरवा कोरी ग्राम भागुवा 18-3-74।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस अब विवेचना कर रही है उसके आधार पर माननीय मन्त्री जी सन्तुष्ट हैं। कितने व्यक्तियों के नाम उस विवेचना में आये हैं ?

श्री राज मंगल पान्डे---

मान्यवर, मुझे अभी तक असन्तुष्ट होने का कोई कारण नहीं मिला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

माननीय मन्त्री जी से सम्बन्धित। मान्यवर, 18 मार्च को यह गोली लगी और आज है 27 मार्च लेकिन कोई नाम अभियुक्तों के नहीं मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जो अधिकारी इसकी विवेचना कर रहे हैं उनके हाथ से उसे निकाल कर दूसरे सीनियर अधिकारी को देंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

इसका उत्तर दिया जा चुका है। जब तक मृतक के भाई की ओर से कोई शिकायत मिले कि विवेचना ठीक ढंग से नहीं हो रही है या जो जांच हो रही है उसमें व्यवधान

[श्री राज मंगल पाण्डे]

पैदा हो रहा है, हम किस आधार पर उस अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी को जांच करने के लिए दें ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अगर उसके घर वाले शिकायत करें तो ऐसी हालत में किसी सीनियर अधिकारी से जांच करायेंगे । मेरी जानकारी है कि सरकार की ओर से वीकर सेक्शन के लिए डी० आई० जी० (माइनारिटी) बनाया गया है। तो माननीय मन्त्री जी को माननीय सदस्यों के इस आग्रह को मानने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर रोजमर्रा उत्तर प्रदेश में किसी न किसी शक्ल में ऐसी चीज होती रहती है कभी हरिजन की बात है और कभी बैकवर्ड की बात है । अगर हम अलग-अलग जांच करायेंगे तो जो उनके पास दूसरे कार्य सुपुर्द हैं वे नहीं हो पायेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसके परिवार या उसके भाई की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है और जब तक शिकायत नहीं मिलेगी दूसरे अधिकारी से जांच नहीं करायेंगे तो क्या जो इस हाउस के दोनों तरफ से राय व्यक्त की गयी है कि अलग से जांच कराये जाने की व्यवस्था की जाये तो क्या मन्त्री जी उसकी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)--

जो रिपोर्ट लिखी गई है वह मुंशी ने स्वयं अपने हाथ से लिखी है या लिखकर हासिल की गयी है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने पहले ही कह दिया है कि तहरीर शुदा रिपोर्ट दी गयी ।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी से सारा सदन आग्रह कर रहा है कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय । मान्यवर, यह कितना संगीन केस है । जब गोली मार दी गई तो उसके लिए कोई जांच वगैरह नहीं बैठाई गई है । मान्यवर, मेरे साथ में एक घटना 10 तारीख को घटी थी उसकी भी अभी तक कोई जांच नहीं कराई गई है । मान्यवर, यह सब कांग्रेस के सदस्य द्वारा ही जुर्म कराये जा रहे हैं । इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की तुरन्त आज्ञा दी जाय ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोरी जाति हरिजन में एक अल्प संख्यक जाति है और उस अल्प संख्यक जाति होने के कारण ही माननीय मन्त्री जी इस सदन के सदस्यों के आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो नीयत में आप चले गए। इसकी मैं इजाजत नहीं देता। (श्री हरीश कुमार गंगवार से) एक प्रश्न और कर लें।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से नियम हैं जो कि इतनी आग्रह पर भी माननीय मन्त्री जी को बाधा डाल रहे हैं? कृपा करके माननीय मन्त्री जी उन नियमों का उल्लेख कर दें जोकि उन्हें सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने में बाधा डाल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

नियम क्या हैं? प्रश्न यह है कि विवेचना हो रही है, अब आपका आग्रह है कि विशेष जांच की जाय।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, वह कौन से नियम हैं जो विशेष जांच कराने के लिए, माननीय सदस्यों की इतने आग्रह पर भी, माननीय मन्त्री जी के लिए बाधक है?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सोहन लाल घुसिया (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके घर वाले रिपोर्ट करना चाहते हैं और उसके घर वालों को वहां के कुछ लोग रिपोर्ट लिखाने जाने के लिए बाधा डालकर उन्हें रिपोर्ट लिखाने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार को इसकी सूचना है कि उसके घर वाले रिपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग उसको दबा रहे हैं कि वह रिपोर्ट करने न जाय?

श्री राजमंगल पांडेय---

हमारे पास केवल नकल रिपोर्ट है जिसको मैंने पढ़कर सदन में सुना दिया है। हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

तथा कथित आदर्श सेवा समिति, भावनगर (गुजरात) द्वारा बाजरे के परमिट का दुरुपयोग

*चौधरी चरण सिंह (जिला मरठ)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि त्रिपाठी मन्त्रि मण्डल के समय आदर्श सेवा समिति, भावनगर (गुजरात) को इस प्रदेश से गुजरात बाजरा ले जाने की अनुमति दी गई थी? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उस समिति द्वारा ले जाया गया बाजरा गुजरात न पहुंचकर दिल्ली में ही बेच लिया गया और राष्ट्रपति शासन के समय जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वह समिति भी फर्जी थी और उसमें 30 लाख रुपए का घोटाला किया गया है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है तथा इस गबले में कौन-कौन व्यक्ति तथा अधिकारी शामिल हैं?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

मई, 1973 में गुजरात की सूखे की स्थिति को देखते हुए आदर्श सेवा भावनगर, गुजरात को 1,000 टन बाजरा गुजरात ले जाने की अनुमति दी गयी

[डा0 राजेन्द्र कुमारी पाजपेयी]

6879 क्विंटल बाजरा रोड द्वारा दिल्ली तथा वहां से भावनगर गुजरात रेल से ले जाने की परमिट दी गयी थी।

शासन को सूचना मिली कि बाजरा दिल्ली पहुंचा, भावनगर नहीं पहुंचा तथा यह विदित नहीं कि आदर्श सेवा समिति ने उसे कहां बेचा।

छानबीन पर पता चला कि आदर्श सेवा समिति नामक भावनगर में कोई संस्था नहीं है।

शासन को इन की कोई सूचना नहीं है कि इस मामले में कितने रुपए का घुटाला हुआ।

इस मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जायगी तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में शासन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा।

चौधरी चरण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगी कि इस मामले को तहकीकात भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री सतीश चन्द्र द्वारा हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट की फाइल में मौजूद है ?

डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्रीमन्, इसकी सूचना राज्यपाल के रैजीम में शासन को प्राप्त हुई थी। तो इसकी तहकीकात की गई और उसके बाद यह तय हुआ कि आगे के लिये इस सोसाइटी को माल न भेंजा जाय। इस सिलसिले में इस प्रकार की रुकावट इसीलिये लगाई गई क्योंकि पाया गया था कि यह सोसाइटी ठीक नही है। तहकीकात के बाद ही ये तथ्य सामने आये थे।

चौधरी चरण सिंह--

क्या यह सही है कि इसकी तहकीकात चीफ सेक्रेटरी, श्री सतीश चन्द्र ने की थी और वे स्वयं किसी नतायज पर पहुंच चुके थ ?

डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री सतीश चन्द्र ने कागजात देखे थे और उसके बाद आर0 एफ0 सी0, आगरा से रिपोर्ट मांगी थी, वह रिपोर्ट फाइल मे है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर सारी जानकारी सामने आयी। श्री सतीश चन्द्र की रिपोर्ट नहीं है लेकिन उनके द्वारा सारी जानकारी प्राप्त करायी गयी थी। फालो औन ऐक्शन में इस प्रकार से हुआ कि भावनगर के कलेक्टर जो हैं, उनसे जानकारी की गई और उन्होंने यह कहा, तार के द्वारा, कि ऐसी कोई सोसाइटी एक्जिस्ट नहीं करती है और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वहां से इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह न हो, तो तक इस सोसाइटी को कोई पर्मिट इशू न किया जाय और बाद में इसको रोक दिया जाय गया। जब प्रदेश में गवर्नर का शासन था, उसी समय सब कार्यवाही हो चुकी थी।

चौधरी चरण सिंह--

मुझे जहां तक मालूम है चीफ सेक्रेटरी, श्री सतीश चन्द्र ने, इसकी स्वयं तहकीकात की और उनका नोट भी फाइल में है। आपने अपने जवाब में इस बात को नहीं कहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब चीफ सेक्रेटरी स्वयं किसी कन्क्लुजन पर पहुंच चुके थे तो अब तक उस पर कार्यवाही क्यों नही की गई। साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि यह कौन से महीने की बात है ?

डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मेरे नोटिस में तो यह चीज तब आयी जब माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न किया जैसा कि आप जानते हैं हम सब चुनाव में लगे हुये थे, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं

थी। अभी जब ये सारी चीजें मालूम हुई तो मुझे स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूरी फाइल को पढ़ा है और पूरी जानकारी प्राप्त की और मैं भी ऐसा मानती हूं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। इसलिये इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी जायेगी। अभी तक कोई आदेश नहीं हुये थे लेकिन जब यह बात नोटिस में आयी तो हमने अपनी तरफ से कहा है कि हम इसकी जांच करायेंगे। ये तो तथ्य सामने आये कि यह फिक्टिशस सोसाइटी है और वह एग्जिस्ट नहीं करती है और इसको भेजा गया माल दिल्ली तक ही गया है। यह पता नहीं चला है कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और किस प्रकार से गड़बड़ घोटाला हुआ है और किस प्रकार से यह अष्टाचार का मामला हुआ है। इस मामले पर सी0 आई0 डी0 द्वारा पूरी जांच कराने के उपरान्त ही सही तथ्य सामने उपस्थित आ सकते हैं। यह तो सही है कि उस सोसाइटी को परमिट देना गलत हुआ था और यह सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भावनगर के कलेक्टर ने तार द्वारा सूचित किया कि जब तक वे सर्टिफिकेट न दें, तब तक इस सोसाइटी को कोई माल न भेजा जाय। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस समिति को बाजरा भेजा गया तो किस आधार पर दिया गया था? और क्या सरकार ने इस 1000 टन बाजरा देने के पूर्व अपने को आश्वस्त कर लिया था कि यह समिति ठीक है और किसकी रिकमेंन्डेशन पर, किसी ने अवश्य कहा होगा, यह बाजरा उनको देने की अनुमति दी? यदि नहीं, तो किस आधार पर, बिना समझे बूझे परमिट इश्यू किया गया?

डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह प्रश्न इसकी इन्क्वायरी के सिलसिले में बहुत ही वैलिड है। बिना पूरी तरह से समझे बूझे परमिट देना ही मैं समझती हूं कि आरम्भ से गलत था और इसलिये इसम किसी की सिफारिश हुआ और क्या आधार था ये सब जांच के बिषय बन जाते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने कहा कि जांच का विषय बन गया, लेकिन यह रेकार्ड इनकी फाइल पर अवश्य होगा कि किस की सिफारिश पर यह दिया गया। जांच तो बाद को हो, लेकिन यह तो बतायें कि किसकी सिफारिश पर और कैसे आश्वस्त होकर वह भेजा गया 'हाऊ डिड दि गवर्नमेंट फील सैटिस्फाइड"?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

आदर्श सेवा समिति ने सरकार को यह कहा था कि हमारी समिति एक वालंटरी आर्गेनाइजेशन है और यह राहत के काम को कर रही है। गुजरात में चूंकि कठिनाई है इसलिये मुख्य मंत्री जी के सामने यह लाया गया और मुख्य मंत्री जी ने उसके आदेश दिये थे कि इनको बाजरा दिया जाय।

(विरोधी पक्ष से शेम-शेम की आवाजें)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

स्पष्ट हो गया कि कोई आधार सरकार के पास नहीं था, कोई सार्टिफिकेट नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीया मंत्री जी इस आदर्श सेवा समिति का जिनके माध्यम से यह आवेदन-पत्र दिया गया है उनको तत्काल पुलिस की हिरासत में लेकर शीघ्र कार्यवाही करेंगी?

श्री अध्यक्ष--

वह तो सी० आई० डी० की इंक्वायरी हो जायगी ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

सवाल तो इस बात का है कि सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यह बाद में पता चला है। तो उसके पदाधिकारी कौन हैं, क्या है, यह तो सारी चीजें हाई लेबिल इंक्वायरी की बात हो जाती है।

श्री राम सेवक यादव--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सतीशचन्द्र जी ने जो उस समय मुख्य सचिव थे, उन्होंने जो प्रतिवेदन या नोट जो भी कहें माननीया मंत्री जी किस महीने में दिया है और क्या उन्होंने अपने नोट में जांच के फलस्वरूप किन्हीं खास व्यक्तियों के खिलाफ खास तौर से लिखा है, श्री आर०वी० सक्सेना खाद्य सचिव और इसी सदन के, दुख के साथ कहना चाहता हूं, विधायक श्री मायापति त्रिपाठी और मथुरा जिले के एक विधायक श्री बाबूराम शर्मा-इन लोगों का नाम भी दिया है और उन्होंने इन लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी है? यदि हां, तो अब तक इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य जी ने कहा, मायापति तो सवाल उठता नहीं है वह विधायक नहीं हैं और जो नाम बताये तो सतीशचन्द्र जी ने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, मेरे पास कोई ऐसी चीज फाइल में नहीं है कि कोई बात ऐसी लिखी हो या किसी व्यक्ति का नाम लिख करके कोई टिप्पणी या कोई नाम लिखा हो, मेरी इत्तला में नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीया मंत्री जी जो चीफ सेक्रेटरी का नोट है उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मेरे पास चीफ सेक्रेटरी का कोई नोट नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

उसको प्रतिवेदन कहो, कुछ कहो, आपने स्वयं माना है कि सरकार स्वयं इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई समिति नहीं है तो जो भी नोट या रिपोर्ट हो उसकी एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मैं फिर बताना चाहती हूं कि माननीय चीफ सेक्रेटरी का कोई भी नोट नहीं है जो मैं सदन की मेज पर रख सकूं ।

एक सदस्य--

नोट तो बैंकों में जमा हो गये होंगे तसकरी करने के बाद में ।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

माननीया मंत्री जी किसी फाइल का हावाला देकर कह रही हैं और उसमें मुख्य मंत्री का भी जिक्र आया है । मैं चाहूंगा कि माननीया मंत्री जी स्वीकार करें कि यह फाइल हाउस की टेबिल पर ले की जाय ताकि हम उसको देख सकें और उस पर बहस कर सकें।

श्री धर्मबीर--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, चूकि यह प्रश्न अभी-अभी उनके सामने आया है तो क्या दो-चार दिन में पूरी जानकारी प्राप्त कर के सदन के पटल पर रखेंगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

यह मामला इतना कठिन-सा बन गया है फाइल को देखने से ऐसा लगता है इसलिये दो-चार दिन में तो इसको सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं होगा । इसमें तो वक्त लगेगा और उसकी पूरी छानबीन करने की आवश्यकता पड़ गयी है।

श्री वीरेंद्र वर्मा(जिला मुजफ्फरनगर)--

सरकार के चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में यह कब आया और क्या उन्होंने इसकी कोई जांच की थी?

डाक्टर राजेंद्र कुमरी बाजपेयी--

27 जून के लगभग उनकी नोटिस में आया और उसके बाद ही उन्होंने पूछतांछ शुरू कर दी थी ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

क्या बेसिस थी उनके नोटिस में आने की ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

उन दिनों गुजरात में काफी सूखे की स्थिति थी । कई लोग यह समझते थे कि गुजरता में मदद होनी चाहिये । दिल्ली और दूसरी जगहों से भी रिलीफ का कार्य चल रहा था । इसी बीच दिल्ली से एक सूचना लखनऊ को आयी कि इस प्रकार एक सोसायटी की तरफ से यू0पी0 से बाजरा भेजा जा रहा है । इस पर यह चीज नोटिस में आयी और आगे की सारी कार्यवाही की गयी ।

चौधरी चरण सिंह--

माननीया मंत्री जी ने यह फरमाया कि यह मामला उनकी नोटिस में अभी आया । तो यह फाइल किसके पास थी, और यह उमके सेक्रेटरी के नोटिस में था तो सेक्रेटरी उनकी नोटिस में क्यों नहीं लाये?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जैसा कि मैंने पहले भी कहा मैं तो चुनाव में एक महीने से इलाहाबाद में थी । इस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी । मैं तो चुनाव के बाद ही आयी और मेरी नोटिस में यह चीज अभी लायी गयी है । वैसे तो साधारण रूप से कागजात जहां रहते है वहीं यह रहा होगा। (व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय(जिला सुल्तानपुर)--

माननीया मंत्री जी ने कहा कि सी० आई० डी० से जांच कराई जायेगी । यह देखते हुए कि मामले की जांच एक उच्चाधिकारी ने की, कुछ नाम भी प्रकाश में आये और यह जानते हुए कि सी0 आई0 डी0 की जांच में कई साल के लिये मामला लटक जाता है इसकी खुली जांच तत्काल कराने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने तो प्रश्न के उत्तर ही में कहा है कि मैं इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच

चौधरी चरण सिंह—

श्री शतीशचन्द्र जी का जो भी नोट या आर्डर होगा फाइल में, वह क्या है ? किसके पास फाइल रही ? उसमें किसने आर्डर दिया ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

शतीशचन्द्र जी ने आर० एफ० ही, आगरा को बुलाया, उनसे बात की, सारे कागजात वगैरह देख, कलेक्टर भावनगर से भी बातचीत की, और जब उनका तार आ गया तब बाद को परमिट देना बन्द कर दिया गया (व्यवधान) ...

चौधरी चरण सिंह—

मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है । यह आर्डर चीफ सेक्रेटरी के किस तारीख के हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

4 जुलाई को कलेक्टर का तार आया और उसके बाद 13 जुलाई को यह आर्डर हुआ कि परमिट जारी न किया जाय । उसके बाद परमिट नहीं दिया गया।

चौधरी चरण सिंह—

मैं आपके जरिये यह पूछना चाहता हूं कि जब भावनगर के कलेक्टर का तार आ गया, चीफ सेक्रेटरी ने आर ०एफ० सी० से बात की, सारे कागजात देख लिये, तो चीफ सेक्रेटरी ने कोई आर्डर किया होगा, कोई नोट उनका होगा । यह जुलाई की बात है । तो जुलाई से लेकर अब तक फाइल पर क्या कार्यवाही हुई ? 8 माह तक आपने क्या किया ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

कार्यवाही यह हुई कि आगे के लिये बाजरा जाना रोक दिया गया । इसके आगे कार्यवाही नहीं हुई ।

चौधरी चरण सिंह—

8 महीने तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, आप ही तो उस वक्त भी मिनिस्टर थीं इस विभाग की ? ऐसे संगीन मामले पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? अगर आप मिनिस्टर नहीं थीं तो भी ज्वाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी होती है । इसलिये यह कहना कि हमारी नोटिस में यह बात अब आयी है, यह बात कोई मानी नहीं रखती....

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

जुलाई में राष्ट्रपति शासन था (व्यवधान)...

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल को जो चिन्ता है उसकी मैं इज्जत करती हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी और कठिनाइयां थीं । उस वक्त न तो हमारी सरकार थी, न हमारी नोटिस में यह बात थी । 8 नवम्बर को हमने शपथ ग्रहण की । मैं माननीय नेता विरोधी दल की आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे प्रश्न को हमारी नोटिस में लाने की कृपा की । आप भी मिनिस्टर रह चुके है, जानते है, सारे मामले मिनिस्टर की नोटिस में नहीं आते । समय-समय पर आते है । मैं यह आश्वासन देना चाहती हूं कि वे ऐसी बात न समझें कि इसमें दोषी व्यक्ति को छोड़ा जायगा । अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं । यह मामला बड़ा ही खेद है जितनी भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है वह मैं करूंगी । यह मैं आश्वासन सदन को देना चाहती हूं ।

चौधरी चरण सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की तहकीकात करेंगी कि यह फाइल उनकी नोटिस में 3 महीने तक क्यों नहीं आयी और इसके लिये जो भी दोषी होगा क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

ठीक है, यह भी जानकारी कर लूंगी कि क्यों नहीं इसे नोटिस में लाया गया तथा इसके पीछे क्या बात है ।

(अगला प्रश्न लेने पर ..)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा निवेदन है कि इस पर आप चर्चा करायें, यह बड़ा गंभीर मसला है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायं)---

आधे घंटे की चार्चा के लिये इस पर आप समय दे दें, इस पर और सब महत्व की बातें सामने नहीं आई हैं ।

श्री अध्यक्ष---

नेता विरोधी दल खुद सक्षम हैं, उनका प्रश्न था । अब आप बैठिये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

इसके जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं । इसलिये इसमें कोई जाँच नहीं कराई गई और इतनी ढ़ील बरती गई ।

मोटे अनाज के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटाने की सूचना

** 3--श्री काशी प्रसाद (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 मार्च, 1974 को केन्द्रीय सरकार ने मोटे अनाज के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटाने की सूचना राज्य सरकार को दी है, यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसको अभी तक कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां । तदनुसार राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध हटा लिये हैं । जिन जिलों में लेवी द्वारा खरीद हो रही है वहां पूर्ववत् 50 प्रतिशत लेवी लेने के बाद शेष के वहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अन्य जिलों से वहन पर कतई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लेवी लगाने का आधार क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---

क्या यहां काशी प्रसाद जी नहीं हैं ? (अनुपस्थित मिलने पर) इस समय तो राममूर्ति जी ने प्रश्न कर लिये, किन्तु भविष्य में ऐसा नहीं होगा । एक सदस्य, काशी प्रसाद का नाम लेने पर खड़े हो गये, इसलिये भ्रम हो गया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिन जिलों में अधिक बाजरा या मोटा आनाज होता है, उनसे हमने लेवी लेने की व्यवस्था कर रखी है और उसी के अनुसार लेवी ली जा रही है ।

श्री राममूर्ति--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक्रेज के हिसाब से लेवी लगाई जायगी या अन्य किसी आधार पर लेवी लगाई जायगी या फिर अढ़तिया लोगों के जरिये गल्ला लेने का प्रयास किया जाएगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जितना मोटा अनाज बाजार में आता है, उसका 50 प्रतिशत लेने की व्यवस्था है । यह एकड़ वगैरह की दृष्टि से नहीं है । मार्केट में जो सरप्लस है, उसके हिसाब से यह है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पिछली बार की लेवी में जो धांधली हुई थी, उसका आप को अनुभव है कि उसमें बड़ा भारी करप्शन हुआ था, उसको देखते हुए क्या मंत्री जी बतायेंगी कि उसको रोकने के लिये मंत्री जी ने क्या उपाय सोचा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यों तो हमारे इंसपेक्टर्स मंडियों में होते हैं सब देखने के लिये, फिर भी यदि कोई बात धांधली की नोटिस में आती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग द्वारा नेता विरोधी दल, चौधरी चरणसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब कार्य सूची नम्बर 3 के अनुसार, मैं श्री गर्ग के श्री चरण सिंह, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध बिशेषाधिकार की अबहेलना का प्रस्ताव लेता हूं । आप (श्री गर्ग से) इसके बारे में संक्षेप में बतायें कि यह कैसे बनता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान माननीय चरण सिंह जी की उस स्पीच की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए 20 तारीख को दिया था । उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक अंश पढ़ा था---वह अंश यह है---

To arrange to send money on the eve of elecions in different constituencies, although for general public good is when all is said and done an evil practice.

(व्यवधान)

यह चौधरी साहब वाला भाषण पढ़ रहा हूं । कहिये हिन्दी कर दूं । चौधरी साहब ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि चुनाव के समय में पब्लिक गुड का कोई काम किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह इविल प्रैक्टिस है और करप्ट प्रैक्टिस है । मैं उनकी स्पीच के एक अंश को पढ़ रहा हूं । चौधरी साहब कह दें यह बात गलत है तो मैं बैठ जाऊंगा।

---

*वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

उनसे न पूछिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

अगर यह बात सही है तो चौधरी साहब पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस सदन के विशेषाधिकार, और मान की अवहेलना की है और इस सदन की मर्यादा को भंग किया है । मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब के खिलाफ गलतबयानी का झूठ बोलन क इल्जाम की तहकीकात हो । मेरा आरोप है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना करप्ट प्रैक्टिस नहीं है और मैं पढ़ कर सुनाना चहता हूं । चौधरी साहब ने ओमप्रभा जैन के केस का हवाला दिया था । ओम प्रभा जैन के केस में,श्रीमती ओमप्रभा जैन के बारे में यह कहा गया था कि उन्होंने करप्ट प्रैटिस की है। उनके खिलाफ इल्जाम यह था कि उन्होंने दो हजार रुपया सार्वजनिक कामों में वोटरों को प्रभावित करने के लिए खर्च किया है । हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि ओम प्रभा जैन ने करप्टप्रैक्टिस की । ओमप्रभा जैन ने इस के खिलाफ अपील की । उसमें सुप्रीम कोट का निर्णय था, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष--

पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) --

व्यवस्था का प्रश्न है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठता ही नहीं । माननीय चौधरी चरणसिंह ने जब सदन में इस विषय में बात कही उस समय तत्काल विशेषाधिकार का नोटिस देना चाहिये था । लेकिन आज चार पांच दिन हो गये और आज उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है । कार्यवाही दिखा लीजिये अध्यक्ष पद से रूलिंग है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें । अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मेरा इस सवाल को उठाने से मतलब यह है कि आप भली भांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार की बात, करप्शन ब्राइबरी की बात अगर सिद्ध होती है तो कोई सदस्य इस हाउस का नहीं रह सकता, अगर किसी ने ब्राइबरी और करप्शन किया है तो वह मंत्री नहीं रह सकता । अगर भ्रष्टाचार किया है और उस पर सिद्ध हुआ है तो प्रधान मंत्री नहीं रह सकता ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है । आप केवल अपने आपको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न क्या है? उसी पर सीमित रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है....

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गलत कहा है या सही कहा है । प्रश्न यह है कि नेता विरोधी दल ने जो सदन में कहा, क्या उनकी नीयत इस सदन को गुमराह करने की थी या नहीं ?

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग--

मैं इस बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर चौधरी साहब डेलिबरेटली झूठ बोले हैं, इस हाउस को मिसलीड किया है, तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है, ग्रास कंटेम्ट है । इसके संबंध में मेज पारलियामेंटरी प्रैक्टिस के सफा 115 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको सब जानते हैं । नियम की स्थिति सभी जानते हैं ।

उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । आपको अपना कथन यहां तक सीमित रखना है कि अवहेलना का प्रश्न किस आधार पर बनता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, चौधरी साहब ने जो एक्सट्रक्ट पढकर सुनाया है उन्होंने उसका अर्थ ही बदल दिया इसलिये एक्सट्रक्ट को बदलकर सुप्रीमकोर्ट के फैसले को बदलकर, उन्होंने इस हाउस को मिस-लीड किया है इससे इनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है ।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अखबार का हवाला देकर यह बात कही थी । अगर उसके लफ्जों में रद्दोबदल हो...

(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

जब माननीय चौधरी साहब ने यह कोटेशन पढा था तो मैंने उनको टोका भी था और दोहराया भी था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी बात पर उन्होंने उसी चीज को फिर पढा । मैं जानता था कि चौधरी साहब हाउस को मिस लीड कर सकते हैं । और अगर किया है तो उन्हें वैसे ही दंडित किया जाय जैसे कि प्रोफ्यूमों को दंड दिया गया था ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि वह किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि प्रोफ्यूमो से इसका सम्बन्ध है । लगता है उनको प्रोफ्यूमों कांड की जानकारी नहीं है। या तो वह अपने शब्द वापस लें नहीं तो कार्यवाही आगे नहीं चलनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि मैंने प्रोफ्यूमो का नाम क्यों लिया । अध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस 1962-63 के हाउस आफ कामन्स जरनल में प्रोफ्यूमोंको कन्टेम्प्ट का अपराधी घोषित किया गया था । मेरे पास वह जरनल मौजूद है उसके पृष्ठ 246 पर लिखा है...

श्री अध्यक्ष--

इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसी से सम्बन्धित है ।

(व्यवधान)...

एक सदस्य--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)...

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

गर्ग साहब का विशेषाधिकार का प्रश्न चल रहा है तो दूसरा प्रश्न कैसे चल सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग आसन ग्रहण करें। इस तरह से तो किसी की बात नहीं सुनी जा सकती। आप सभी लोग बैठ जांय। एक प्रश्न रक्खा गया है और वह विशेषाधिकार से सम्बन्धित है। मैं जितना संभव हो सकता है सभी को बोलने का मौका देता हूं। फिर भी कई माननीय सदस्य बोलने को खड़े हो जाते हैं। अगर कई लोग साथ बोलेंगे तो किसका नुकसान होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था नहीं दी है। एक साथ कई लोग बोल रहे हैं। प्रश्न यह है कि जब अव्यवस्था है और सुनना मुश्किल है तो मैंने रोक रक्खा है। मैं 425 माननीय सदस्यों को तो मौका नहो दे सकता हूं लेकिन जितने माननीय सदस्य खडे होते हैं सभी को बोलने का मौका देता हूं। अब माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल कोई रास्ता निकालें।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

आप जानते हैं कि नेता विरोधी दल का पार्लियामेंट्री पद्धति में क्या आदर और सम्मान होता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं माननीय सदस्य, छपरौली का बडा आदर करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रक्खा होगा तो उनके हृदय में कोई बुरी भावना नहीं रही होगी, केवल प्रश्न तथ्यों का है। इसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि सम्मानित नेता, विरोधी दल को उसके स्पष्टीकरण का, समय की कमी के कारण अवसर शायद नहीं मिल पाया। मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था कि जो कोटेशन उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के अवसर पर दिया है, वह कोटेशन सही मानें में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अभिव्यक्ति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की वह भाषा नहीं थी। उसकी आशा के विपरीत जाती थी। मैंने कल विस्तार के साथ सुखाडिया, भागचन्द तथा ओम प्रभा जैन केस पर रोशनी डाली थी। मैं इसे मान कर चलता हूं कि हम सबसे गलतियां होती हैं लेकिन जानबूझ कर गलतियां करने का प्रयास नहीं करते।

नेता विरोधी दल मुझे यह कहने की आज्ञा देंगे, मुझे कल जरूर थोड़ा दुख हुआ यह देख कर कि जो उनकी मान्यता है कोई त्रुटि उनसे हुई हो उसको वह स्वीकार कर लेते हैंऔर पार्लियामेंन्ट्री पद्धति का सबसे बडा नियम भी यही है, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। मैं यह विश्वास करने के लिये तैयार हर्गिज नहीं हूं कि जानबूझ कर उन्होंने सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट को दूसरे ढंग से रखा। इस प्रश्न के कल उठाये जाने के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह सदन, आप अध्यक्ष महोदय और नेता विरोधी दल इस बात के लिये उत्तरदायी हैं कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तथ्यों को स्पष्ट रूप सदन के सामने रख दें और अगर सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट को सही रूप से रखने में उनको कोई कठिनाई होती हो तो उसे भी वह सदन के सामने रख दें । यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । माननीय नेता विरोधी दल के पास पूरे तथ्य हैं । उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न रखने से पहले मैं बड़ी गम्भीरता से सोचूंगा योंकि मेरा ऐसा विचार है कि माननीय नेता विरोधी दल इस बात का स्पष्टीकरण अवश्य दे देंगे कि उन्होंने जानबूझ कर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको अधूरा अथवा दूसरे ढंग से नहीं पढ़ा है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव पुराना है माननीय उप नेता सदन के बारे में जिन्होंने बहुत मीठे शब्दों में गर्ग साहब की बात को रखा । मैं उनकी बात से समझ नहीं सका कि वह नेता विरोधी दल का सम्मान कर रहे थे अथवा कुछ और कर रहे थे । प्रश्न हमारे सामने यह है कि नेता विरोधी दल ने एक बात सदन के सामने पढी । वह चीज मेरे सामने नहीं है । आपने सुनी वह चीज आपके मुताबिक वह नहीं है जो सुप्रीम कोटे की रूलिंग में दी हुई है । यह होते हुये भी देखना यह है कि जानबूझ कर गुमराह करने का मंशा था या नहीं था ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुप्रीम कोट की रूलिंग कुछ हो सकती है, हाई कोट तथा इस सदन की रूलिंग कुछ और हो सकती है । किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के बारे में सुप्रीम कोटे अथवा हाई कोर्ट कुछ कह सकता है, लेकिन अगर इस सदन के राइट्स का सवाल है तो आप सर्वोपरि हैं । अगर इस तरह के जटिल मामले में ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठ जाता है तो मंत्री रोज ब्रीच आफ प्रिविलेज के जिम्मेदार हो जाते हैं । अनेक बार वह गलत स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स दते हैं ।

चौधरी साहब ने यही कहा था "इविल प्रैक्टिस ऐन्ड करप्ट प्रैक्टिस "। माननीय सदस्यों की मर्यादा बचाने के लिये, सही रास्ते पर ले जाने के लिये, सदन गरिमा उठाये रखने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, "ईविल प्रैक्टिस दी नाट करप्ट प्रैक्टिस।" अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कहती है ईविल प्रैक्टिस तथा करप्ट प्रैक्टिस में क्या फर्क है? सुप्रीम कोर्ट अगर विल प्रैक्टिस कहती है और करप्ट प्रैक्टिस नहीं कही है तो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट जो है उसके चौथे क्लाज में करप्ट प्रैक्टिस आया है । वधान सभा के जगत में यह करप्ट प्रैक्टिस ही है ।

"Evil is more than corrupt 'Evil' is a more pointed word than the word 'corrupt' '

और भी खराब शब्द है ईविल । इसको देखते हुये मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि चौधरी साहब की यह मंशा कभी नहीं थी कि कोई गलत शब्द कहकर सदन को गुमराह किया जावे ।

इसके अतिरिक्त हमारे माननीय सदस्य जो हमारे पीछे हैं उन्होंने एक प्रश्न यह उठाया था कि यह प्रश्न उसी वक्त क्यों नहीं उठाया गया । मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यह कोई प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का नहीं है ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

(व्यवधान) . . श्रीमन् आपने मुझे बुला लेने के बाद और ऐसे भी किसी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वह शोर मचा कर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे ।

माननीय राजेन्द्र कुमार जी गर्ग का जो विशेषाधिकार अवहेलना का या अवमान का प्रश्न है मैं समझता हूं कि उसमें कोई तथ्य नहीं है और उसके जरिये से राई को पहाड़ बनाने की कोशिश की गयी है और माननीय तिवारी ने जिस संजीदगी के साथ उसको जितना महत्व दिया है वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपके सामने है । मान लो उनकी कोशिश यह है कि इस प्रकार से अनरीजनेबिल चीजें गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या सूबे की गवर्नमेंट की तरफ से आयें तो उसके लिये किसी बात को बहुत बल देकर यानी इस छोटी-सी बात पर बल देकर उन सब बातों को छिपाने की कोशिश कर रहे है ।

असल प्रश्न यह है कि जो मेरा भाषण उस दिन हुआ है मैंने न उसमें कोई ईविल प्रैक्टिस कहा है और न करेप्ट प्रैक्टिस कहा है। मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में उद्धत उस जजमेंट का जिक्र किया, आप उसको करेप्ट प्रैक्टिस मान लो या ईविल मान लो लेकिन मैंने कहा था कि इलेक्शन के दो महीने पहले जिस तरह से फाउन्डेशन स्टोन्स रखे गये और जिस तरह से इनागरेशन किये गये और अरबों रुपये के किये गये और कितना धन उस पर होने की बात कही गयी थी । अब इस फैक्ट पर क्या फर्क आता है ? मैंने यह पढ़ा अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स से कि--

To arrange to sepend money on the eve of election in different constituencies, although the general public good is, when all is said and done, an evil practice and a corrupt practice."

मैंने यह उस अखबार से लिया था और मैंने उस वक्त यह जरूरी भी नहीं समझा कि जजमेंट मंगाऊं और न उस वक्त जरूरी समझता था और न इस वक्त जरूरी समझता हूं । आप मान ह। लो कि मुझे "देन नाट करप्ट" को पढ़ना चाहिये था लेकिन "ईविल" कहने से और "करप्ट" कहने से फैक्ट पर क्या फर्क पड़ता है ? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसी में यह भी कहा है:--

"The dividing line between evil practice and corrupt practice is very thin one."

और इसके आगे वह "थिन वन" को भी निकाल देते हैं ।

"It should be understood that energy to do public good should be used not on the eve of elections but much earlier."

तो मेरा कहना यह था और आज भी है कि ठीक एलेक्शंस से पहले ही चाहे पब्लिक गुड की दृष्टि से खर्च किया गया हो लेकिन वह करना मुनासिब नहीं था बल्कि वह ईविल प्रैक्टिस थी और है । लेविल प्रैक्टिस सही, करप्ट प्रैक्टिस सही उससे क्या फर्क पड़ता है ? सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहता है कि पब्लिक गुड की दृष्टि से किया गया काम भी अगर एलेक्शंस से ठीक पहले किया गया है तो वह नहीं होना चाहिये, वह ईविल प्रैक्टिस है और ईविल प्रक्टिस और करप्ट प्रैक्टिस के बीच बड़ी ही थिन लाइन है । इसलिये चाहे ईविल प्रैक्टिस कह लो चाहे करप्ट प्रक्टिस कह लो क्या फर्क पडता है ? मैं आज भी कहता हूं कि मैंने कोई गलत बात नहीं कहीं थी । जो कुछ मैंने उस दिन कहा था आई स्टेन्ड बाई इट । उस दिन जो मेरा कहना था वही आज भी कहना है कि इस तरह से फाउडेशन स्टोन्स का रखा जाना नेकनीयती पर मबनी नहीं था । अब अगर आपको ईविल अच्छा लगता है बजाय करप्ट के तो आपको मुबारक ।

यहां पर कहा गया है कि इविल प्रैक्टिस जो है वह करप्टेड प्रैक्टिस है कि नहीं है । मेरे पास तो साइक्लोस्टाइल्ड नोट्स थे, उसमें इविल प्रैक्टिस लिख दिया था । क्यों मैं अपने अल्फाज को वापस लूं । और अगर आपकी यह मान्यता है कि यह ब्रीच आफ प्रीविलेज का सवाल है तो जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा, मेरे उधर के दोस्तों को जो ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुये हैं, उनमें से कोई भी भाषण नहीं दे सकेगा क्योंकि एक छोटी सी चीज को पहाड़ बनाने की कोशिश की गयी है। फिर तो यहां कोई स्पीच हो ही नहीं सकेगी, न इधर से कोई तकरीर हो सकेगी और न उधर से तकरीर हो सकेगी । अब यह मैं आपके शिष्टाचार और सभ्यता पर ही छोड़ता हूं । यहां पर पर्सनल मामला उठा कर परफ्यूमों का जिक्र तक कर दिया गया ।

[चौधरी चरण सिंह]

अभी तो माननीय सदस्य नये-नये आये हैं और उन्होंने परपयूमों वगैरह कहना शुरू कर दिया । उसका क्या नतीजा हो सकता है, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता । इसी तरह से वे मेरे पास 20 तारीख को आये और कोई जान न पहचान बिना वजह मेरी मोटिव पर अटैक करने की कोशिश करने लगे । मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाली दे रहे हैं ? उसके बाद अब परपयूमों का जिक्र करना शुरू कर दिया । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)...

(श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मैं सुन चुका हूं इस मामले को । अब जो प्रश्न आपके सम्मुख है एक विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न है । मेरे सामने जो यहां माननीय चरण सिंह का वक्तव्य था, वह पूरा है । (एक सदस्य पूरा पढ़ दें) पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें जिससे दूसरा पहलू भी सामने आ जाय ।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा पहलू सामने आ गया है । माननीय सदस्य, आप तो हर सवाल पर हर बार बोलना चाहते हैं, ऐसी इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं । मैं आपसे साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी सवाल को पूरी तरह से अध्ययन करके उठावें तब तो ठीक है लेकिन हर सवाल पर जो जानते भी नहीं, हैं खड़े हो जाते हैं । आप तो जानते हैं कि कोई इस तरह से खड़ा हो जाताहै तो कठिनाई पैदा हो जाती है । अब यह प्रश्न ऐसा है कि...

श्री त्रिवेणीसहाय---

आप तो सुनने से पहले ही अपना फैसला दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं । मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब आप किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह से विशेषज्ञता और कार्य कुशलता प्राप्त करलें तो उस पर मैं बोलने दूंगा लेकिन हर चीज पर क्यों ?

इसमें एक तो यह है कि केस का नाम गलत बतलाया, ओम प्रभा जैन बनाम दूसरी पार्टी का (है जिससे यह प्रश्न नहीं उठता है) । उसमें "शायद" उन्होंने लिखा है । अब उन्होंने साफ कहा है कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो छपा है उसका उद्धरण उन्होंने दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ उसका "वाक्यांश" अपने भाषण में उन्होंने उद्धृत किया । वह घासीराम बनाम दल सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था वह है यह सही है कि माननीय नेता विरोधी दल ने ओम प्रभा जैन बनाम अविनाश चन्द्र का "शायद" कहते हुये हवाला दिया था । लेकिन उन्होंने शायद कहा था इसलिये इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । अब यह है कि वह केस का नाम सही ले रहे हैं अथवा नहीं यह दूसरा सवाल है । प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की या नहीं । यदि उनका बयान जो यहां हुआ है उसमें नीयत पर आरोप किया जाय तो नीयत का प्रश्न इसलिये नहीं बनता कि चाहे "नाट करप्ट प्रक्टिस" पढा जाय या न पढा जाय उससे वह जो तथ्य सदन के सामने

रखना चाहते थे उस पर असर नहीं पड़ता । यह उद्धरण की गलती हो सकती है । यह जो फैसला पढ़ा है वह अखबार से दिया था ।

"To arrange to spend money on the eve of elections in different constituencies, although the general public good is, when all is said and done, an evil practice and a corrupt practice,". उन्होंने 'Even if it may not be corrupt practice नहीं कहा था । बाकी The dividing line between evil practice and a corrupt practice is a very thinone. It should be understood that energy to do public good should be used not on the eve of elections but much earlier. सब कहा । जो उद्धरण उन्होंने दिया इससे ऐसा नहीं लगता कि उनकी नीयत सदन को गुमराह करने की थी इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न इसमें नहीं उठता ।

सदस्यों को राज्य सभा के होने वाले निर्वाचन में स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करने में बाधा डालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरा है माननीय गिरजा शंकर पाठक, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री सत्यप्रकाश मालवीय, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा अवहेलना का उठाया गया प्रश्न । मैं इसको पढ़े देता हूं । गत 24 मार्च, सन् 1974 को श्री के०के० बिड़ला जो कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य सभा के लिये निर्दलीय उम्मीदवार हैं के तीन प्रतिनिधि हमारे घर करीब 3 बजे दिन पंहुचे । मैंने इसको कल पढ़ दिया था इसलिये आगे नहीं पढ़ता । अब सवाल यह है कि कल जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था...

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, आज वाला भी ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आज का नहीं ले रहा हूं । कल आपने शतरुद्र प्रकाश के बारे में कहा था । प्रश्न यह है कि बिड़ला के प्रतिनिधियों ने माननीय सदस्यों के घर जाकर प्रलोभन दिया और अपना मत श्री बिड़ला को देने की मांग की । शतरुद्र प्रकाश ने भी अपने पत्र में लिखा है कि बिड़ला के प्रतिनिधि उनके निवास स्थान पर बिड़ला के लिये वोट मांगने पंहुचे और 25 हजार रुपये की धन-राशि देने को कहा और यह बात उन्हें उनके जेल से आने पर मालूम हुई । बेनी प्रसाद वर्मा ने भी ऐसा ही अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें भी प्रलोभन दिया गया और वोट न देने पर हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी । इस बारे में शकधर और कौल की जो पुस्तक है उसका पृष्ठ 255 पढ़ना चाहता हूं ।

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा आप से अनुरोध है कि आज जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह भी इसी से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

बाद में उसको भी ले लेंगे ।

श्री राम सेवक यादव--

मेरा ख्याल है कि जब आप इस पर निर्णय दें .....

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं यह ले रहा हूं । इसके बाद उसको भी ले लूंगा । जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं शकधर तथा कौल की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" में से सदस्यों का उत्पीड़न--आपके समक्ष पढ़ रहा हूं । वह इस प्रकार है कि--' 'यदि किसी सदस्य को, उस द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अर्थात् जब वह सभा में उपस्थित हो या उपस्थित होने के लिये आया सभा से जा रहा हो, उत्पीड़ित किया जाय तो यह सभा विशेषाधिकार भंग तथा अवमान है । अतः सभा की बैठक में जाते हुये या वहां से आते हुये सदस्यों का अपमान सदा सभा के विशेषाधिकार का घोर भंग माना गया है ।" उसी प्रकार संसद में किसी सदस्य के आचरण पर उसका उत्पीड़न विशेषाधिकार भंग माना जाता है ।

सदस्यों का उत्पीड़न करने पर सदस्यों तथा अन्य लोगों को दंड दिये जाने के उदाहरण निम्नलिखित हैं:--

सभा के परिसर में सदस्यों पर आक्रमण, सभा के परिसर में सदस्यों के लिये अपमानजनक शब्दों या गालो का प्रयोग, सभा या उसकी किसी समिति म सदस्यों के आचरण के आधार पर उन्हे लड़ने के लिये ललकारना, सदस्यों को संसद में उनके आचरण पर अपमान जनक चिट्ठियां लिखना, संसद में आचरण के आधार पर किसी सदस्य को आर्थिक क्षति पंहुचाने की धमकी ।"

इसी तरह से दूसरा घूस के बारे में कहा गया है जो इस प्रकार है कि " सदस्यों के संसद्दीय आचरण पर अनुचित ढंग से प्रभाव डालने की कोई चेष्टा निशेषाधिकार भंग है । अतः किसी सदस्य को घूस देना या सदस्य के नाते उसके आचरण पर प्रभाव डालने के लिये कोई धन, देता, या किसी विधेयक या संकल्प या किसी ऐसे विषय या बात के समर्थन या विरोध के लिये जो सभा या उसकी किसी समिति के सामने विचार के लिये आने या रखी जाने वाली हो, कोई शुल्क या इनाम देने को विशेषाधिकार भंग माना गया है । इसके अतिरिक्त सभा के किसी अधिकारी या सदस्य को किसी विधेयक, संकल्प या सभा अथवा उसकी समिति के सामने आने या रखी जाने वाली किसी बात या विषय का मसौदा तैयार करने, सलाह देने या उसका पुनरीक्षण करने के लिये कोई शुल्क या इनाम देना भी सभा का अवमान हो सकता है। यहां इस बात पर जोर देना उचित होगा कि यह अपराध घूस देने के प्रस्ताव में हो है और इसे सदा विशेषाधिकार में माना गया है, चाहे धन वास्तव में दिया न गया हो । इसके अतिरिक्त धन देने का कोई भी प्रस्ताव आपत्तिजनक है चाहे वह किसी ऐसे संघ के लिये हो जिसका सदस्य कोई संसद सदस्य हो या किसी धमार्थ संस्था के लिये, जिसकी शर्त यह हो कि वह सदस्य कोई काम करा देगा ।"

लेकिन यहां कोई ऐसा केस नहीं मिला । यही पेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी है। वह अंग्रेज में हैं । लगभग यही बात इसमें है और इसी को आधार न मानकर शकधर और कौल को "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" पुस्तक में बात कही गई है । कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। संसद, विधान सभा का सदस्य राज्य सभा या विधान परिषद् को वोट करने के लिये अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करता हो और उसका वह काम सदन की कार्यवाही से संम्बन्धित हो, इस बात पर आश्वस्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सभा का चुनाव ऐसे समय में किया गया होता जब विधान सभा सत्र में न होती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है । लेकिन विधान सभा चल रही हो और राज्य सभा का चुनाव होने वाला है तो यह कठिनाई हो है जाती कि कहां का कार्य क्या है । लेकिन फिर भी कल्पना कीजिये कि विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्य सभा

का चुनाव कराया जाय तो कोई सवाल उठेगा नहीं । सदन की कार्यवाही भंग करने के प्रश्न निहित नहीं होगा। ऐसी दशा में जो प्रश्न जठाया गया है उसमें कोई युक्ति और आधार मूलक ऐसा कारण नहीं मिलता है कि उसे विशेषाधिकार भंग की संज्ञा दें और उसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करें.....

अब दूसरा प्रश्न है कल का । आज भी इस प्रकार का प्रश्न उठा है माननीय राम सेवक यादव का इसमें धन के बारे में भी कहा गया है। इसलिये श्री राम सेवक यादव कुछ कहें ।

*श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने एक विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपना निर्णय दिया । आज का विशेषाधिकार का प्रश्न है जिसकी नोटिस माननीय सदस्य श्री शतरुद्ध प्रसाद ने दी है। मैं उसे आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं । "मैं वाराणसी कैन्ट से विधायक चुना गया हूं और बी दारुल शफा के 84 नम्बर कमरे में रहता हूं । आज शाम को लगभग 9.15 बजे मैं अपने कमरे में था कि दो अपरिचित व्यक्ति मेरे कमरे में आये और कहा कि यह चेक लो और के० के० बिड़ला को वोट करो, बाद में और बड़ी रकम मिलेगी। उसके बताने के अनुसार चेक 10,000 रु० का था, इस पर मैंने हल्ला किया तो श्री गिरजा शंकर पाठक (विधायक) श्री कैलाश सिंह (विधायक) तथा श्री रामरति विन्द (विधायक) आदि कमरे में आ गये और जनके आने पर उनमें से एक व्यक्ति जो चेक दे रहा था चेक को मुंह में रख कर निगल गया बार-बार पूछने पर भी वे अपना परिचय व नाम पता नहीं बता रहे हैं।

अत: के० के० बिड़ला के लिए मेरे वोट के लिए रिश्वत देने के जुर्म में इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में वाराणसी स्थित मेरे निवास स्थान पर कुछ व्यक्ति ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आये थे और वहां से वे निराश लौट आये। यह दूसरा प्रयास है ।

श्रीमन्, इसकी एक रिपोर्ट थाना हजरतगंज में लिखाई गई है और जो व्यक्ति पकड़े गये उन्हें मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि हम वोट के लिए आये थे। आपके सामने इसी के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं कि यह जो एक मेसर्स बालकृष्ण पोद्दार, ये इंडियन आयल कारपोरेशन लि० के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन किसका है, यह भारत सरकार का है। जब पहली बार श्री शतरूद्ध प्रकाश के कमरे में गये तो एक कार्ड छोड़ आये थे और उस कार्ड पर लिखा था "बाल कृष्ण पोद्दार, डिस्ट्रीब्यूटर, इंडियन आयल कारपोरेशन, सुरेश कुमार नेवतिया आफिस का फोन नं० 248875 रेजिडेंस का फोन नं० 474119 आये थे, और राधा कृष्ण विमल कुमार 32 चौरंगी रोड, कलकत्ता इनका फोन है 700016 और रेजीडेंस 7-2 क्वीन पार्क, कलकत्ता।

जो लोग पकड़े गये हैं उनका फोन नं० 29850 या 24403 है। मान्यवर बाल-कृष्ण पोद्दार ये इंडियन आयल कारपोरेशन लि० के होल सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कागजात फाड़ दिये गये। (कुछ कागज दिखाते हुए) ये कागजात हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्रीमन कि इस आदरणीय सदन का समय बहुत कीमती है और बेमतलब की बातों में माननीय राम सेवक जी सदन का समय ले रहे हैं। मुझको यह पता है कि श्री राजनारायण जी जो कूड़ा-करकट देते हैं वह ये राम सेवक जी इस आदरणीय सदन में पढ़कर इस सदन का समय बेमतलब का ले रहे हैं । (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सेवक यादव--

(शोर के मध्य) यह भी श्रीमन, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है जो माननीय काशीनाथ मिश्र जी उठाये हैं। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)....
इसको खारिज किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र ने उठाया है व्यवस्था का प्रश्न, इस पर मेरी व्यवस्था है कि यह व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन, यह व्यवस्था का प्रश्न है, यह विशेषाधिकार का सवाल कतई नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आपकी राय हो सकती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन, पहले आप स्वयं विचार कर लीजिये कि यह व्यवस्था का प्रश्न है कि नहीं। श्रीमन, यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो उससे अधिक समय इसमें नष्ट हो जाता है। कोई बीच-बीच में किसी को रोक कर इस प्रकार की व्यवस्था उठा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन, उसको खारिज कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

बिना सुने मैं उसको कैसे खारिज कर दूं!

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइए। आपने जब व्यवस्था दे दी अब आपकी व्यवस्था देने के बाद ये कैसे खड़े हैं ?

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर क्या इस सदन में और नियमावली में कोई प्राविधान और परिपाटी नहीं है कि जब कोई भी माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाए तो नियम के अन्दर यह प्राविधान है कि वह माननीय सदस्य बैठ जायं। खास तौर से माननीय राम सेवक जी को जो संसद के सदस्य भी रह चुके हैं जब कोई सवाल व्यवस्था का उठता है तो वह बैठते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास कोई ऐसा अभी वैज्ञानिक उपादान नहीं है कि मैं उसका प्रयोग कर दूं और कोई माननीय सदस्य खड़ा हो न सके या खड़ा हो सके। यह तो माननीय सदस्यों को स्वयं विचार रखना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष---

इसको आप संक्षेप में कहें ।

श्री राम सेवक यादव---

श्रीमन, मैंने जो कुछ कहा आपकी इजाजत से कहा। मैं कभी आपकी इजाजत के बगैर खड़ा नहीं हुआ। माननीय काशीनाथ मिश्र ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उन्होंने मेरे कागजों को कूड़ा बताया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यह मेरे कागज कूड़ा हैं तो मैं माननीय काशीनाथ जी को भी कूड़ा मानता हूं जोकि कभी इधर के कूड़ा रहे हैं और कभी उधर के कूड़ा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह कूड़ा करकट का शब्द संसदीय है कि असंसदीय है ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, कूड़ा करकट मैंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा है। मैंने कूड़ा करकट लिखावट को कहा है।

श्री राम सेवक यादव---

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कुछ उदाहरण दिये और यह कहा था कि अगर किसी माननीय सदस्य को कोई घूस देता है इसलिए कि किसी खास प्रकार से विधान सभा में काम करे, संसद में काम करे, अपने मत का प्रदर्शन करे, कोई चीज उठाए तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के अन्तर्गत आता है। आपने यह भी कहा कि आपको कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि यह इसके अन्तर्गत आता हो। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बिड़ला साहब जो घूस देकर राज्य सभा में जाना चाहते हैं, उनकी एक विशेष विचाराधारा है और जो माननीय सदस्य हैं, उनकी एक विशेष विचारधारा है। इस प्रकार से वे घूस देकर, उन्हें प्रभावित करके वहां जाना चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, यह बात तो कल हो चुकी है। इस पर चर्चा भी हो चुकी है और आपने रूलिंग भी दे दी है, तो उसके बाद अब ये बार-बार क्यों दुहरा रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)---

क्या सदन माननीय काशीनाथ मिश्र जी के लिए ही बनहै ?

श्री राम सेवक यादव—

श्रीमन, तो मैंने कहा कि एक विशेष विचारधारा है। माननीय सदस्य वोट नहीं देना चाहते हैं और जब वे वोट लेकर जायेंगे तो एक तरह की घूस होगी और फिर मैंने कहा था कि हम लोगों की स्थिति और बाहर आम चुनाव की स्थिति में बड़ा फर्क है। हमको वोट इसलिए देना पड़ता है कि हम इस सदन के सदस्य हैं। इसलिए अगर हमारे वोट को घूस देकर हासिल करना चाहते हैं तो हमारा अपमान होता है और हमारे विशेषाधिकारों का हनन होता है। इस सदन को इस बहस में नहीं जाना चाहिए बल्कि नयी परम्पराएं यहां पर रखनी चाहिए। यह मामला यहां पर 3—4 दिन से उठ रहा है, थाने में रिपोर्ट होती है, ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों पर ध्यान देने के उपरान्त विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए...

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों के समक्ष संविधान की धारा 194(3) पढ़े देता हूं। इसमें दिया हुआ है कि "अन्य बातों में राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समिति की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधान मंडल समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करें, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब वे वही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं। ये जो आपके अधिकार हैं, अभी इस पर कोई नियम अधिनियम नहीं बने हैं। ये वे ही हैं जो वहां की हैं—मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में है। अगर कोई किसी सदस्य को किसी संकल्प या किसी अधिनियम पर बोलना प्रभावित करने के लिए धन दे तो निःसंदेह वह मानहानि हो सकती है। अगर आपके कर्त्तव्य से सम्बन्धित किसी काम के लिए उत्पीड़ित करे या घूस दे तो वह निश्चित तौर पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, लेकिन अगर चुनाव से सम्बन्धित राज्य सभा या विधान परिषद् के चुनाव से सम्बन्धित हो तो उसका मात्र उपचार सदस्यों का जो रिप्रजटेशन आफ दी पीपुल्स ऐक्ट है, वह है उसमें उपचार मौजूद है और अन्यथा और कोई दूसरा उपचार उस प्राविधान को कुंठित करता है तो निश्चित अवस्था के लिए सोच विचार करके संविधान में संश्लिष्ट है। (व्यवधान)

(श्री ईश्वरी सिंह के खड़े होने पर)

आप बहस चाहते हैं कि इस पर बहस चले ?

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

बहस का प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय रामसेवक यादव को 3—4 दिन से चिन्ता है, मुझे उनकी चिन्ता से हमदर्दी है। जब उन्हें अपने पैसे से खरीदा चाहता है पूंजीपति तो मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि...

श्री रामसेवक यादव—

यह सरकार की कृपा है, इंडियन आयल कारपोरेशन बनाया...

श्री अध्यक्ष—

जो धन और लालच की बात कही गयी है वह धन और लालच की बात अगर विधान सभा के अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के क्रम में उपस्थित हो जाय तो निश्चय ही वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है ऐसा नहीं है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

एक और है माननीय मोतीलाल देहलवी का...

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

किसी सदस्य को यहां आने से इस तरह रोका जाय कि उसे यह धमकी दी जाय कि अगर जाओगे तो मारे जाओगे तो फिर विशेषाधिकार का प्रश्न बनेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अब वह प्रश्न नहीं है। यह आपका काल्पनिक प्रश्न है। हायपायटिकल प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता।

श्री मोती लाल देहलवी द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोतीलाल देहलवी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है—

"कल दिनांक 26 मार्च, 1974 को 11 बजे प्रातः जबकि मैं सदन में आने के लिए लिफ्ट में खड़ा हुआ तो लिफ्ट चालक लिफ्ट ऊपर लाने के बजाय नीचे ले गया। नीचे माननीय मुख्य मन्त्री, श्री बहुगणा जी के आदेश द्वारा मुझे लिफ्ट से उतर जाने को कहा गया। मैं जब आदेश पर लिफ्ट से नहीं उतरा तब मुख्य मन्त्री जी भी लिफ्ट पर आ गये। मुख्य मन्त्री के आदेश पर मुझे पुनः लिफ्ट से उतर जाने को कहा गया। मैंने पुनः आदेश मानने से इन्कार किया और मुख्य मन्त्री से कहा कि लिफ्ट से नहीं हट सकता आप चाहें तो सदन से जबरन हटवा सकते हैं। मेरे इस कथन पर मुख्य मन्त्री जी की भृकुटी चढ़ गई और उन्होंने कहा 'देखा जायगा'।

उक्त अवसर पर मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता श्री रामनिवास श्रीवास्तव व जगदीश वर्मा मौजूद थे। मेरे प्रति हीन भावना प्रदर्शित कर मेरा अवमान किया गया है। अस्तु कृपया माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करने का कष्ट करें।"

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलना चाहता था। इसलिए मेरी कोशिश थी कि म...आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

संजीदगी के साथ बताइए कि यह कैसे बनता है ?

श्री आनन्द स्वरूप (जिला जालौन)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इधर से उधर चले गये यही इनकी व्यवस्था बनती है और इनकी क्या व्यवस्था है ?

श्री आनन्द स्वरूप—

मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप उस पर बोलें जरूर ?

श्री आनन्द स्वरूप—

मुझे प्रक्रिया के बारे में कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने श्री मोतीलाल देहलवी को कहा है कि वह संक्षेप में यह बतायें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बनता है । लिफ्ट पर, ट्रेन पर प्राथमिकता के सवाल के अन्तर्गत जो अभी असमानता का समाज, प्राथमिकता का समाज है और जो मौजूदा कानून कायदे हैं । उस परिवेश में वह कैसे बनता है ? (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत जो विशेषाधिकार के अवहेलना का प्रश्न न बनता हो उसको सदन के सामने न पढ़ा जाया करें ।

श्री अध्यक्ष—

यह एक ऐसा प्रश्न हो सकता है देहलवी साहब आप सबके मनोरंजन के लिये, आपको हंसाने के लिये, आपका दिलबहलाव करने के लिये रखा हो और यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ गम्भीरता हो ।

*श्री मोतीलाल देहलवी—

यह मैं मनोरंजन के लिये नहीं कह रहा हूं । मनोरंजन के लिये अगर कहना होगा तो जैसे मुख्य मंत्री ने कल शेर पढ़ा था उसका मैंने जवाब दिया था । इसमें कल वास्तव में मुख्य मंत्री जी ने हमको हेय दृष्टि से देखा । इसीलिये हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया । कल मैं राज्यपाल के भाषण पर बोलना चाहता था इसलिये समय से शायद दो, तीन मिनट पहले मैं सदन में आ जाना चाहता था ताकि मेरा नाम बोलने वालों में चला जाय और हमको बोलने का मौका मिले । जब मैं लिफ्ट में बैठा तो हमने लिफ्ट वाले से कहा कि हमको जल्दी ऊपर पहुंचा दीजिये, हमको जल्दी है । लिफ्ट चालक ने कहा कि नीचे से घंटी बहुत देर से आ रही है और वह लिफ्ट को नीचे ले गये । वहां मैंने देखा बहुगुणा जी खड़े थे । बहुगुणा जी के आदेश पर कहा गया कि मैं लिफ्ट से उतर जाऊं । मान्यवर, न तो मेरे शरीर से बदबू आ रही थी, अगर खुशबू नहीं थी तो शायद बदबू भी नहीं आ रही थी । मुझसे कहा गया कि लिफ्ट से बाहर आ जाओ । हमने कहा, देखिये मैं लिफ्ट से बाहर नहीं जाऊंगा । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अकेले जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर इन्तजार कर लें, पहले आप हमको पहुंचा दीजिये, क्योंकि मैं पहले लिफ्ट पर आया हूं । लिफ्ट चालक ने हमारी कोई बात नहीं सुनी । काफी देर हो गयी तब माननीय मुख्य मंत्री जी लिफ्ट पर आये । तब उन्होंने फिर कहलाया कि मैं लिफ्ट से बाहर चला जाऊं । मैंने कहा, देखिये, मैं लिफ्ट से बाहर जाने वाला नहीं हूं । अगर आपकी ताकत है तो आप बाहर घसिटवा कर डलवा दीजिये । आपको इतनी भी ताकत है सदन से जब चाहें निकलवा दें, आप लोग करवाते रहे हैं, लेकिन मैं लिफ्ट से बाहर नहीं जाऊंगा । मैंने सिर्फ यह कहा कि मुख्य मंत्री जी, पानी बरसाते हुए तो आये हैं । आप जो किसान की मौत है और आज ही मुझको लिफ्ट से निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या गुजरेगी । इस पर उनकी भौहें चढ़ गयीं और कहा, ठीक है, देखा जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मान्यवर, एक तो मेरा नाम बोलने वालों में नहीं जा सका जबकि मैं सिर्फ इसीलिए आ रहा था । मैं बोलना चाहता था लेकिन हमको बोलने से वंचित रहना पड़ा । तो सबसे बड़ा हमारा नुक्सान तो यह हुआ कि सदन की जो मुख्य कार्यवाही थी हम उससे वंचित किये गये और दूसरे मुख्य मंत्री की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है । अगर सदन के नेता हम विधायकों से भृकुटी तानेंगे, हम विधायकों को धमकी देंगे तो सदस्यों की मर्यादा क्या रहेगी । क्या यह सदन चलेगा । तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य 11 बजे यहां आये और अगर वे सीढ़ी से भी आते तो भी यहां पहुंच सकते थे । अब भृकुटी टेढ़ी आदि की बातें तो औचित्य का प्रश्न हो सकता है । यह औचित्य का प्रश्न है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का व्यवहार माननीय सदस्यों के साथ कैसा हो । प्रश्न प्राथमिकता का भी चलता है और फिर आजकल आप जानते ही हैं कि माननीय मुख्य मंत्री कुछ अस्वस्थ थे । तो आपको तो उनके प्रति कुछ उदारता का दृष्टिकोण रखना चाहिये । बहरहाल, यह आपके और उनके बीच उचित व्यवहार का, औचित्य का प्रश्न हो सकता है, लेकिन इससे विशेषाधिकार भंग का प्रश्न कैसे बनता है ?

श्री मोतीलाल देहलवी---

यह मान लेता हूं कि वे अस्वस्थ थे लेकिन हमारे साथ लिफ्ट में आने से कौन सी बीमारी उनको लग जाती, हम कौन से बीमार थे ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य कानपुर ने जो एक वरिष्ट सदस्य भी हैं, इस प्रश्न को विशेषाधिकार का रूप दिया । जहां तक मेरी सूचना है, कल लिफ्ट में जब यह घटना हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी को यह मालूम हुआ कि उनके किसी अंगरक्षक ने उनको रोका, तो उन्होंने स्वयं उनसे माफी मांगी कि आपको असुविधा हुई । इसके बाद माननीय सदस्य कानपुर को स्वयं इसे इतना महत्व नहीं देना चाहिये।

श्री मोतीलाल देहलवी---

यह बिल्कुल गलत सूचना दे रहे हैं, उन्होंने कतई माफी या गलती शब्द का प्रयोग नहीं किया । बल्कि भृकुटी दिखाई ।

श्री अध्यक्ष---

फिर भी यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता ।

सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेंकने की घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि अब हम एक न्यायालय के रूप में अपने इस सदन के अवमान के प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं । इस अवसर पर माननीय सदस्यों से गम्भीरता और शालीनता की अपेक्षा की जाती है । सदन में कल दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने पर्चे व चप्पलें फेंकी तथा नारे लगाये जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ । दीर्घा

---

†26 मार्च, 1974 की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

के गार्डों ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लिया । चूंकि यह घटना सदन के सामने हुई थी, अतः सदन इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है । मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वे उक्त दोनों व्यक्तियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

एक सदस्य—

क्या यह सदन उन लोगों के विषय में भी विचार करेगा जिन लोगों ने उन दोनों छात्रों को भड़काया है, उकसाया है ?

(मार्शल द्वारा सदन में दो व्यक्तियों को प्रस्तुत करने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका नाम दयानन्द पांडेय है ।

पहला व्यक्ति—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका नाम भास्कर सिंह है ?

दूसरा व्यक्ति—

नहीं, मेरा नाम रामचन्द्र तिवारी है ।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास जो पास यहां का बरामद हुआ है, वह किसका है, क्योंकि उस पर नाम भास्कर सिंह लिखा है ?

श्री रामचन्द्र तिवारी—

वह मुझे पड़ा मिल गया था ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको मालूम है कि प्रवेश-पत्र सदन का असंक्रमणीय होता है यानी वह एक-दूसरे से बदले नहीं जा सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र तिवारी—

यह नहीं मालूम था ।

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 26 मार्च, 74 को लगभग 3 बजकर 25 मिनट पर आप लोगों ने दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे व चप्पलें फेंकी, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ । क्या आपको इसका ज्ञान है ?

श्री रामचन्द्र तिवारी—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

आपको इस के लिये दंड क्यों न दिया जाये ?

श्री रामचन्द्र तिवारी—

यदि आप उचित समझते हैं तो आप दंड दे दीजिये, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको अपने इस कृत्य के लिए खेद है और आप क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामचन्द्र तिवारी—

जी नहीं, मैंने यह ठीक समझकर ही किया है, मुझे को खेद नहीं है।

(उन दोनों के सदन से चले जाने पर)

एक सदस्य—

उन्होंने क्या कहा, यह हमें सुनाई नहीं दिया है, आगे कैसे कार्य होगा ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जो पर्चे फेंके गये थे, उसे अनेक सदस्यों ने पढ़ा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

पर्चे का विषय इस घटना से असम्बद्ध है। पर्चे किसी प्रकार के फेंके या चप्पल फेंके वह सदन का अवमान है इस पर आप विचार करेंगे। अब ऐसा है इस पर यह सदन प्रस्ताव करेगा या सोच-समझकर जो करना चाहे, करे। उन दोनों व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से पर्चे या चप्पलें फेंककर सदन के कार्य में बाधा डाली और उसका अवमान किया। इस पर आप क्या करेंगे इस प्रश्न पर आपको निर्णय लेना है।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यह सर्वमान्य है कि इस विधान सभा की कार्यवाही में केवल विधान सभा के सम्मानित सदस्य भाग ले सकते हैं और कोई बाहर का व्यक्ति, चाहे ही जैसी उसकी स्थिति या पद हो, इस कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। अगर यह मर्यादा बन जाये और दर्शक दीर्घा के लोग भी विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने लगें तो यहां का कोई महत्व और गरिमा नहीं रह जायगी कल जो घटना घटित हुई है, उसमें सदन के बीच में पर्चे और चप्पल तक फेंकी गई, जो यहां पर पहली ही बार हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि इसको प्रोत्साहित किया गया तो और भी भारी चीजें यहां फेंकी जायेंगी, जो कदापि उचित और शोभनीय नहीं होगा और मुझ विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया भी नहीं होगा। मैं आपके द्वारा विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह की कार्यवाही को अधिक प्रोत्साहित किया गया तो यह बढ़ सकती है। इसको रुकना चाहिये। यह कोई दल का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य से प्रवेश-पत्र पाकर कोई भी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है, जो उचित और शोभनीय नहीं है। मुझे खेद है कि जो दो महानुभाव आये उन्होंने खेद प्रकाश नहीं किया, जहां तक मैं सुन पाया। आपने पूछा कि क्या जो आपने सदन में चप्पल और पर्चे फेंके उसके लिये खेद प्रकट करते हैं तो उन्होंने कहा—नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अगर उन्होंने खेद प्रकाश किया होता तो मैं भर्त्सना देकर छोड़ देने वाला प्रस्ताव करता लेकिन चप्पल फेंकने की यह पहली घटना है और उन्होंने खेद प्रकाश नहीं किया है। इसलिये नेता सदन ने जो प्रस्ताव किया है तीन दिन का....

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

सुझाव दिया था।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव अब रख रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री दयानन्द पांडेय तथा भास्कर सिंह.....

श्री अध्यक्ष—

"रामचन्द्र तिवारी" शुद्ध कर लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री दयानन्द पांडेय तथा श्री रामचन्द्र तिवारी ने दिनांक 26 मार्च, 1974 को 3.25 बजे अपराह्न दर्शक दीर्घा से परचे व चप्पल फेंक कर तथा नार लगाकर सदन के कार्य में बाधा डाली एवं सदन का प्रत्यक्ष अवमान किया। अतः सदन यह निर्णय करता है कि इस अवमान के दंडस्वरूप दोनों व्यक्तियों को 3 दिनों के साधारण कारावास म बन्दी रखा जाय। सदन इस प्रसंग में माननीय अध्यक्ष द्वारा उनको गिरफ्तार किये जाने संबंधी आदेश का अनुमोदन करता है।"

*श्री रामसेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, कल जब यह घटना घटी तब यह प्रश्न उठा, माननीय नेता सदन ने कहा, एक सुझाव के रूप म तीन दिन की सजा की बात कही। उस समय माननीय नेता वि ोधी दल ने कहा था कि इन्हें प्रताड़ित करके छोड़ दिया जाय और अभी यह हो जाय लेकिन कल इस पर निर्णय नहीं हो सका और उन्ह जेल जाना पड़ा। मेरा अनुरोध है माननीय उप नेता सदन से जो उन्होंने तीन दिन का प्रस्ताव रखा है, मैं चाहूंगा कि एक सर्वसम्मति से निर्णय हो जाय उन्ह प्रताड़ित करके ही छोड़ दिया जाय। इसम कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। (व्यवधान—शोर)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक चीज जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अभी वह खड़े हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, पहले इसको (ध्वनि यंत्र) ठीक किया जाय। बीस मर्तबे प्रार्थना की कि इसको ठीक किया जाय, कभी ठीक नहीं किया जाता है। बड़ा कष्ट है इससे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसेवक यादव---

मेरा आपसे अनुरोध है पूरे सदन से कि तीन दिन की सजा के बजाय उनको प्रताड़ित कर दिया जाय । रात भर जेल में रह लिया है प्रताड़ित करके, इस मामले को समाप्त कर दिया जाय। सिर्फ इतना फर्क है कि खेद प्रकट नहीं किया है। लेकिन प्रताड़ित करके छोड़ दिया जाय यही काफी होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं इसी मत का हूं कि कल जो घटना घटित हुई वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और बड़ी अशोभनीय थी । मैं कल ही अपना विचार प्रकट कर चुका था कि उनके प्रति लीनिएन्ट ब्यू लिया जाय ।

एक सदस्य---

क्षमा बलकुल न किया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है कि तीन दिन की सजा दी जाय या एक दिन की सजा दी जाय या केवल भर्त्सना करके छोड़ दिया जाय । मान्यवर, सदन के सामने यह प्रश्न है कि क्या इस तरीके की घटनाओं को यह सदन इंकरेज करेगा । जिस तरह से यह घटना घटती चली जा रही है। पिछली विधान सभा में भी आपने देखा कि किस तरीके से पर्चेबाजी हुई, नारेबाजी हुई। आये दिन सदन के अन्दर कुछ न कुछ होता रहता है। प्रश्न यह है कि क्या इस माननीय सदन के माननीय सदस्य ऐसी घटनाओं को इंकरेंज करेंगे या उसे डिस्करेज करेंगे । मान्यवर, मुझे अफसोस होता है कि अभी तक, हालांकि कल माधो बाबू इस पर बोले थे, लेकिन दूसरी पक्ष की तरफ से जिन शब्दों के साथ, जिस कड़ाई के साथ इस घटना की भर्त्सना की जानी चाहिये थी वह नहीं की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सजा आप कुछ भी दें यह इतनी ज्यादा महत्व-पूर्ण बात नहीं है जितनी इस प्रकार की घटनाओं को गम्भीरतापूर्वक लेने की है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

प्रसंगवश चूंकि मेरा नाम ले लिया गया है इसलिये मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा । मान्यवर, जो घटना हुई उसकी मैंने सराहना न करके यह कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये, सदन की मर्यादा रखनी चाहिय इसमें दो मत नहीं है । लेकिन इस बारे म यह प्रश्न हो सकता है कि क्या कारण था ? सरकार का यूथ के बारे में जो रवैया है उसी के फलस्वरूप आये दिन यह घटनायें हो रही हैं । अतः इस बात को इस प्रसंग में नहीं उठाना चाहिये था। सरकार को भी उन कारणों का विश्लेषण करना चाहिये और उन कारणों को दूर करने के लिये कदम उठाने चाहिये जिससे ऐसी घटनायें न हों और संसदीय प्रणाली को चला सकें । हमें क्या इसकी खोज में नहीं जाना चाहिये कि ये चप्पल और जूते क्यों चलते हैं और मान्यवर, आपने भी यह नहीं पूंछा कि एसा करने का क्या कारण था ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

शहीदे आजम भगतसिंह ने भी एसेम्बली में कौन-कौन सी घटनायें अंग्रेजों से ऊब कर की थीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

माननीय, यह घटना खेदजनक है, लेकिन किन परिस्थितियों में हुई इसके लिये वही लोग जवाब दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान 1963–64 की एक घटना "केशव कांड" की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें सजा देकर उनको जेल भेज दिया गया था। तत्काल उस समय यह मानकर कि उनको जेल भेज दिया गया है और वह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, अतः जमानत पर छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप एक गंभीर स्थिति पदा हो गई। कई दिन उस पर चर्चा चली, जज के खिलाफ वारन्ट जारी किया गया, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। एक गम्भीर समस्या खड़ी हो गई। पता नहीं परिणाम क्या हुआ। प्रक्रिया नियमावली इस विषय पर बिलकुल साइलेंट है कि कैसे उनको जेल भेज दिया, इसको सदन को विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री दयानन्द पान्डेय व श्री रामचन्द्र तिवारी ने 26 मार्च, 1974 को 3.25 बजे अपरान्ह दर्शक दीर्घा से पर्चा और चप्पल फेंककर तथा नारे लगाकर सदन के कार्य में बाधा डाली एवं सदन का प्रत्यक्ष अवमान किया। अतः यह सदन निर्णय करता है कि इस अवमान के दण्ड स्वरूप दोनों व्यक्तियों को 3 दिन के साधारण कारावास में बन्दी रखा जाय। सदन इस प्रसंग में माननीय अध्यक्ष द्वारा उनको गिरफ्तार किये जाने सम्बन्धी आदेश का अनुमोदन करता है।"

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। प्रस्ताव सीधा है।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सरकार का है। हमें संशोधन रखने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

यह केवल सरकार का नहीं है। यह सदन का प्रस्ताव है। अगर आपको संशोधन रखना था तो जब आपको अवसर मिला था तब रखते। अब मैं वोट लेता हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य सभा के निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विधि परामर्शी की राय के "स्वतंत्र भारत" में प्रकाशन पर आपत्ति

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता था। मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन चूंकि मैंने जबरदस्ती नहीं की इसलिये मुझे अवसर नहीं मिला। "स्वतंत्र भारत" में एक खबर छपी है। ऐसा राज्य सरकार द्वारा पहले कभी नहीं छापा गया था...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपने कोई विधिवत् नोटिस नहीं दी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह एल0 आर0 की राय लेकर छपवाया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने कहा कि इन्होंने विधिवत् नोटिस नहीं दी तो आप इनसे भाषण न करवायें। आप एजेन्डा लें।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह आवश्यक विषय है। इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दें। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह इसलिये किया गया है कि मतों की खरीद-फरोख्त खरीदारों के द्वारा हो सके। जो कानूनी पहलू है वह यह कि सिक्रेसी आफ बैलट पेपर का अधिकार मतदाता को है। वह चाहे तो खुला वोट दे और यदि न चाहे तो खुला वोट न दे। आज वह पढ़ा-लिखा नहीं है। बिना पढ़ा-लिखा भी हो सकता है। वह पढ़ा-लिखा नहीं है इसलिये चिन्ह दिया जाता है। यहां पर प्रीफरेन्शियल वोटिंग है। एक, दो, तीन, चार, इसको वह समझ नहीं पाता और इसलिये वह स्वच्छन्द है कि किसी की सहायता लेना चाहे तो ले ले। वह अपना सहायक ले जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह राज्य सभा के चुनाव से सम्बन्धित विषय है इसलिये हम नहीं ले सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह एल0आर0 की राय लेकर किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप कोर्ट में जा सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप आज इसको तय कर लें कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है। इस तरह से सार्वजनिक जीवन नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है। अगर आज इसको नहीं लेते तो हम समझेंगे कि कल बहुगुणा जी ने जो कहा था तो उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। आप एडवोकेट जनरल को बुला लें और इस पर राय ल लें।

श्री अध्यक्ष--

यह विषय चुनाव से सम्बन्धित है। विधान सभा को इसके बारे में किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। जो सम्बन्धित अधिकारी हैं वह उचित या अनुचित जो भी कार्यवाही कर रहे हैं उसके विरुद्ध माननीय सदस्यों को न्यायालय का उपचार मौजूद है

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

विधायक निवासों के कक्षों के आवंटन में तथा कथित धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (राज मंगल पांडेय)--

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्तों को निश्चित करने के लिये "उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952" बनाया गया । इस अधिनियम की उप धारा 2-ख-(1) के अनुसार प्रत्येक सदस्य जिसमें नेता, विरोधी दल सम्मिलित नहीं हैं , बिना किराया दिये लखनऊ में 'क' अथवा 'ख' श्रेण का जिसकी भी उनके लिये व्यवस्था की जाय, आवास के उपयोग के अधिकारी होंगें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब व्यवस्थित आवास 'ख' श्रेणी का होता है या जब किसी आवास की व्यवस्था न की जाय तो सदस्य को प्रतिकर भत्ता दिया जायगा जो कि 'ख'श्रेणी में रहने वाले सदस्य को रुपये 35 प्रतिमास की दर से दिया जाता है तथा जिस सदस्य के लिये आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती उन्हें रुपये 90 प्रतिमास प्रतिकर भत्ता दिया जाता है । अधिनियम की इस धारा के अनुसार आवास की व्यवस्था उस दिनांक से की गयी समझी जायगी जब सम्बद्ध सदस्य को उनके नाम आवास के प्रदेशन (allotment) की सूचना दी जाय, चाहे वह उसे स्वीकार करें या न करें अथवा उसमें रहें या न रहें ।

2--अधिनियम की धारा 2-ख-(2) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवासों को 'क' तथा 'ख' श्रेणियों में वर्गीकरण करायें तथा उनके सम्बन्ध में नियम बनायें। तदनुसार शासन नें "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास-स्थान सम्बन्धी नियमावली 1963" बनायी है। इस नियमावली के नियम-3 द्वारा प्रभारी मंत्री को आवास के धरातल का क्षेत्रफल, निर्माण व्यय, किराया इत्यादि पर बिचार करने के पश्चात विधायक निवासों के कमरों के कक्षों को 'क' अथवा 'ख' श्रेणी मे वर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया और इस मामले में उनका निर्णय अंतिम होता है । नियम 4 (1) के अनुसार प्रभारी मंत्री को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह प्रत्येक सदस्य को विधायक निवास में कमरों का एक कक्ष प्रदिष्ट करें या करायें ।

3--लखनऊ में बिधायकों के लियें कुल 4 विधायक निवास हैं । इनमें विधायकों के लिये उपलब्ध कक्षों की संख्या 466 हैं । इसमे से 411 'क' श्रेणी के कक्ष हैं तथा 55 'ख' श्रेणी के कक्ष हैं ।

4--आम चुनाव के समय इनमे से 77 कक्ष विधान परिषद् के सदस्यों को आबंटित थे अतः नई विधान सभा के सदस्यों के आवास के लिये कुल 389 कक्ष उपलब्ध होने थे । नयी विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 425 है तथा उनकी पार्टीवाइज स्थिति निम्नलिखित है:--

कांग्रेस	215
कांग्रेस संगठन	10
बी0 के0 डी0	106
जनसंघ	61
कम्युनिस्ट पार्टी	16
सोशलिस्ट पार्टी	5
कम्युनिस्ट (मा0)	2

मुस्लिम लीग	1
स्वतंत्र	1
सोशित समाज दल	1
हिन्दू महासभा	1
निर्दलीय	5
नामिनेटेड	1
कुल	425

इस प्रकार सदस्यों के अनुपात में 36 कक्षों की कमी पड़ती थी। कुछ ऐसे भूतपूर्व सदस्य भी थे जिन्हें चुनाव न लड़ने के कारण या चुनाव में सफल न होने के कारण सदस्यता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कक्ष खाली कर देना चाहिये था। इस तथ्य को तथा पार्टीवाइज स्थिति को देखते हुये यह प्रयास किया गया कि प्रत्येक पार्टी को यथासंभव उसके अनुपात में कक्ष आवंटित किये जायें। अब तक आवंटित कक्षों की पार्टीवाइज स्थिति नीचे दी गयी है:—

	कुल सदस्य संख्या	कितने सदस्यों को कक्ष आवंटित हुये हैं।	कितने सदस्यों को कक्ष नहीं आवंटित हुये हैं।
कांग्रेस	215	195	20
भा0 क्रा0 दल	106	103	3
जनसंघ	61	59	2
कांग्रेस संगठन	10	10	—
कम्युनिस्ट	16	15	1
कम्युनिस्ट (एम)	2	2	—
स्वतंत्र पार्टी	1	1	—
शोषित समाज दल	1	1	—
हिन्दू महासभा	1	1	—
सोशलिस्ट	5	5	—
मुस्लिम लीग	1	1	—
निर्दलीय	5	5	—
नामिनेटेड	1	1	—
कुल योग	425	399	26

इस प्रकार जनसंघ के माननीय 61 विधायकों में से केवल दो विधायकों सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी एवं गया प्रसाद मेहरोत्रा को कक्ष नहीं दिये जा सके हैं। श्री त्रिपाठी के आवास की अन्यत्र व्यवस्था है इसलिये उनको कक्ष नहीं दिया गया। श्री गया प्रसाद महरोत्रा को विधायक निवास–1 का कक्ष संख्या 144 आवंटित किया गया था किन्तु उन्होंने उसका कब्जा नहीं लिया अतः वह कक्ष दूसरे माननीय विधायक श्री चरणदास सेठ को जो उसी दल के हैं द दिया गया। अधिकांश विधायकों ने अपने कक्षों का कब्जा भी ले लिया है। श्री गजाधर

[श्री राज मंगल पाण्डे]

प्रसाद आर्य के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कक्ष संख्या 136–"ख" श्रेणी, विधायक निवास–1 का कब्जा श्री हरपाल पटेल, सदस्य विधान परिषद् से लिया जो नियमानुसार उन्हें नहीं करना चाहिये था । श्री गजाधर प्रसाद आर्य के प्रार्थना-पत्र पर उन्हें यह कक्ष आवंटित भी कर दिया गया है । दूसरे विधायक श्री बाबू लाल वर्मा ने विधायक निवास नं0 1 के कक्ष संख्या 192, का जो श्री हरी राम (कांग्रेस अ0सू0ज0) को आवंटित था, कब्जा जबरदस्ती ले लिया । जब उन्होंने कक्ष संख्या 192 से हटने से इन्कार कर दिया तो श्री हरी राम को विधायक निवास संख्या का कक्ष संख्या 60 देना पड़ा । जनसंघ दल के माननीय नेता ने स्वयं यह इच्छा व्यक्त की थी कि जहां तक सम्भव हो, उनके दल के लोगों को विधायक निवास –1 में जगह दी जाय । उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए कुल 61 विधायकों में से 49 को विधायक निवास–1 में कक्ष दिये गये हैं । इनमें 40 "क" श्रेणी के कक्ष हैं तथा 9 "ख" श्रेणी के । "ख" श्रेणी के कक्षों में से 4 कक्ष (41, 59, 136 तथा 113) हैं जिन्हें जनसंघ के विधायकों ने स्वतः आवंटन के पूर्व ही अपने अधिकार में ले लिया था । कक्ष संख्या 82, 83, 113 (विधायक निवास–1) "ख" श्रेणी के ऐसे कक्षों में से है जिन्हें अधिकांश विधायक लेना चाहते हैं क्योंकि 'ख" श्रेणी के सामान्य कक्षों से उनमें जगह अधिक है । इन कक्षों के पास कोई शौचालय नहीं है । कक्ष संख्या 33 "ख" श्री सोहन लाल (जनसंघ) को उनके लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही आवंटित किया गया है । कक्ष संख्या 5 व 7 'ख' श्रेणी के दो ऐसे कक्ष हैं जिनका आवंटन विभाग द्वारा किया गया था । विधायक निवास 1 के अतिरिक्त जनसंघ दल के अन्य माननीय विधायकों को विधायक निवास–4 में एक फेमिली सूट तथा 3 अच्छे बड़े कमरे तथा 1 छोटा कमरा दिया गया है । विधायक निवास–3 में उन्हें 3 कक्ष तथा विधायक निवास–2 में दो कक्ष दिये गये हैं ।

नियमानुसार उन विधायकों को जो चुनाव नहीं लड़े थे अथवा चुनाव में हार गये थे अपनी विधान सभा की सदस्यता की समाप्ति पर कक्ष खाली कर देने चाहिये थे । ऐसे सदस्यों से मौखिक तथा लिखित रूप से इस सम्बन्ध में निवेदन भी किया गया था परन्तु फिर भी कई भूतपूर्व विधायकों ने कक्ष खाली नहीं किये और कुछ मामलों में अपनी इच्छानुसार नये विधायकों को कक्षों का कब्जा दे दिया । कई माननीय सदस्यों ने उन्हें आवंटित कक्षों का कब्जा न लेकर दूसरे कक्षों का जो अन्य सदस्यों को आवंटित किये गये थे, कब्जा ले लिया । कुछ मामलों में माननीय सदस्यों ने कक्षों के ताले तोड़कर भी कब्जा ले लिया । इससे विभाग के सामने विषम स्थिति पैदा हो गयी और उन माननीय सदस्यों को, जिन्हें वे कक्ष आवंटित थे, अत्यधिक असुविधा हुई ।

श्री गजाधार प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना जाहूंगा कि उन्होंने जो आवंटन के आदेश किये थे उनका वायलेशन कितने माननीय विधायकों ने करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, ऐसे लोगों की संख्या 12 या 13 है ।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य---

मैं ऐसे विधायकों की एक्जैक्ट संख्या जानना चाहता हूं ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

11 है ।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य---

मैं जानना चाहता हूं कि पार्टीवाइज भी बता दें कि इनमें से कितने-कितने किस दल के हैं ? जनसंघ के कितने लोग हैं जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

जहां तक मेरी जानकारी है जनसंघ के 6 हैं इन 11 में से ।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य---

यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष 5 किन दलों से सम्बन्धित हैं ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह बात मान्यवर, सही है कि मैंने लिखा था कि जहां तक सम्भव हो सके हमारे दल के माननीय सदस्यों को "ए" ब्लाक में ही कमरे दिये जावें लेकिन यह नहीं लिखा था कि हमारे माननीय सदस्यों को ऐसे कमरे दिये जावें जो बहुत छोटे हों या उनके रहने लायक ही न हों या यूरिनल के निकट हो जिसमें रहना ही असह्य हो जावे । जो आवंटन हुये हैं मुझे जो सूचना दी गयी है उसके अनुसार ऐसे कमरे भी उनको दिये गये हैं जो उनके रहने लायक ही नहीं हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे पुराने विधायक या मंत्री हैं और विशेषकर जो पुराने मंत्री रह चुके हैं जो आज भी अपने कमरों में रह रहे हैं और जिन्होंने कमरे नहीं छोड़े हैं क्योंकि कमरों का आवंटन तो कागज पर आ गया है लेकिन वहां वास्तविकता और ही है । जैसे हरिजनों के लिये खेती के बारे में किया गया था कि कागज त पर तो नाम आ गया लेकिन वास्तव में उनको कब्जा नहीं मिला ?

श्री राज मंगल पांडे---

मेरी पार्टी का कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसने हार जाने के बाद कमरे को अपने कब्जे में रखा हो ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि बहुत से विधायकों ने फेमिली सूट्स के लिये दरख्वास्तें दी थीं और उन्होंने इस बात की प्रार्थना की थी...कि फैमिली सूट उनको एलाट कर दिये जायं । मैं यह जानना जाहता हूं कुल कितने फेमिली सूट्स हैं और किन-किन माननीय सदस्यों ने एप्लाई किये थे और बाद में किन-किन के नाम से वे पार्टीवाइज एलाट किये गये ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, पहले दरख्वास्त देने से अथवा बाद में दरख्वास्त देने से एलाटमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि इस बात से है कि किस दल की क्या स्ट्रेन्थ है और कितने अच्छे कमरे उपलब्ध हैं जिनको पार्टीवाइज सुविधाजनक ढंग से दे दिया जाय । इस नियम का कड़ाई के साथ पालन करके सारा आवंटन किया गया है और मैं आवंटन की लिस्ट दे सकता हूं ।

*श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)---

20 तारीख को मुझे 21 "ए" नम्बर का कमरा दिया गया था। 21 तारीख को एक दूसरा कमरा मुझे एलाट कर दिया गया । 22 तारीख को केयर टेकर से मैंने कहा कि दो बजे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हर प्रताप सिंह]

अथवा ढाई बजे तक मुझे कमरा दे दिया जाय तो मैं सामान उसमें रख लूं लेकिन उन्होंने कहा यह नामुमकिन है । मैंने कहा कि मुझे इलाहाबाद जाना है और 26 तारीख तक लौट कर आऊंगा और उस समय जो कमरा मुझे दिया जायगा उसमें अपना सामान रख लूंगा । लेकिन जब मैं चला गया तो मेरा ताला तोड़कर केयर टेकर सब सामान अपने कमरे में ले गये और वहां पर कुछ घंटे सामान रखने के बाद 74 नम्बर में सामान फेंक दिया । वहां से 800 रुपया मेरे सूटकेस से निकल गया । दो सूती चादर, एक पशमीना, 15 रुपये की एक टार्च तथा 10 रुपये का एक ताला–इतने रुपये का नुकसान और हुआ । कुल मिला कर 1,555 रुपये का नुकसान हुआ ।

74 नम्बर में दूसरे का कब्जा आज भी है । राम जनम राय को जहां पर एलाट हुआ है उसमें कोई दूसरा है और राम जनम राय 74 में आज भी हैं । इस विषय में मैंने माननीय मंत्री जी को एक आवेदन-पत्र भी दिया, अध्यक्ष महोदय को भी दिया । ऐसी हालत में मेरे साथ अन्याय हुआ । सरकार से नुकसान का पैसा दिलाया जाय और केयर टेकर को सस्पेंड करके इंक्वायरी की जाय । कल मैंने इसे लिखकर भी दिया है ।

श्री राज मंगल पांडेय––

जो सूची मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है उससे ज्ञात हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के मंत्री होने पर भी मैंने अपने ही दल को आवंटन के सम्बन्ध में कितनी क्षति पंहुचाई है। 215 में 195 सदस्यों को मैं दे सका हूं–20 को नहीं दे सका । जनसंघ में दो नहीं मिल सका है । माधो बाबू के पास एक स्थान पहले से ही है । इस तरह केवल एक व्यक्ति को कमरा नहीं मिला । इससे आप अन्दाजा कर लें शासन की तरफ से बिना भेदभाव की नीति अपनाये कितनी नेकनीयती से आवंटन किया गया । उसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य को शिकायत है जो स्वतः ही कब्जा कर लेते हों दूसरे के कमरे पर भी तो मेरा ख्याल है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज का उत्तर नहीं दे सकता सिवा इसके कि जबरिया खाली कराने की बात सोची जाय तो कहा जाय कि 800 रुपये निकल गये अथवा इतना नुकसान हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप ही निर्देश दें अध्यक्ष महोदय, हम उसका पालन करेंगे ।

श्री हर प्रताप सिंह––

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि 22 को मैं इलाहाबाद जा रहा था । मैंने उनसे कहा कि 26 को वापस आऊंगा और राय जनम राय जी ने भी कहा कि 26 को आकर सामान निकाल लेंगे । अगर वे उस समय पूछ लेते तो ताला तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती । जब ताला तोड़ा ही गया तो उनको चाहिये था कि एक लिस्ट बनाकर हमारा सामान अपने कमरे में रख देते और जब हम आते तो मय लिस्ट के हमको दे देते कि ये सामान हैं । फिर जब वह कमरा दूसरे के अधिकार में है तो किस तरह से हमारा सामान ले जाकर उसमें रख दिया गया ? हमारा सवाल यह है ।

श्री राजमंगल पांडेय––

मान्यवर, इसकी पुष्टि करना तो मैं भूल गया । मैंने तो आवंटित आवासों की लिस्ट के साथ अपने अधिकारियों को हर दल के नेता के पास भेजा लेकिन कोई भी नेता न मिला । मैंने दो दफा चौधरी साहब के पास और दो दफा माधव बाबू के पास भी भेजा अपने अधिकारियों को कि वे जाकर लिस्ट उनको दिखला लावें और सारी स्थिति से अवगत करा दें, फिर भी उसके बावजूद अगर उनको कोई शिकायत रह गयी हो तो मैं आपका आदेश चाहता हूं, आप मुझे आदेश दें कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप मेरी बात तो सुन लें । (व्यवधान)

अगर सब लोग इस तरह से एक साथ कहेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा ।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी और आपके दल के जो नेता हैं वे बैठकर इसकी कोई शक्ल निकालें ।

किसको आवास मिला, किसको नहीं मिला, किसका सामान गया, ये सब बातें सदन में नहीं आनी चाहिए । जो शिकायतें हों उनको सदन में कहने की अपेक्षा आप लोग आपस में बैठकर तय कर लें ।

(व्यवधान)

मन्त्री जी की जो कठिनाई है उसको भी तो आप लोग देखें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से कैसे काम चल सकता है ।सभी लोग एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगें । जब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कैसे काम चलेगा । सरकार से जो कुछ भी आपको कहना हो, आवास की कठिनाई हो या जो कुछ भी हो, एक-एक करके बोलें ।

एक सदस्य---

आप क्या कहे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता ।

एक अन्य सदस्य---

आप चीख क्यों रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

नीति के सम्बन्ध में आप प्रश्न कर सकते हैं कि किस दल को कितनी सीट्स या कितने कक्ष मिलने चाहिए लेकिन इस तरह से एक-एक मामले में बारीकी के अन्दर जाकर देखेंगे तो यह ठीक नहीं है । जो भी शिकायत हो आप अपने नेता से कर दें ।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, मैंने कमरे के लिए 5 तारीख को लिखकर दिया था कि मेरी धर्मपत्नी को हार्ट अटैक है इसलिए मुझे नीचे का कमरा दे दिया जाय । फिर 6 तारीख को दूसरी दफा मैंने डिप्टी सेक्रटरी को लिखकर दिया और आखिर में 7 तारीख को जब मै बाहर जा रहा था तो श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, वाराणसी के भूतपूर्व एम0एल0ए0 से ट्रंककाल करके मैंने पूंछ लिया और उनके कहने पर मैंने उनके कमरे में अपना सामान ले जाकर रख दिया जिसकी सूचना मैंने केयर टेकर व राज्य सम्पत्ति अधिकारी को भी दे दी थी और हमन

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीश कुमार गगवार]

लिखकर दिया हुआ है कि हमारी धर्मपत्नी बीमार हैं, उनका खयाल किया जाय और हम को नीचे का कमरा दिया जाय। इसके बाद जब कमरे में ताला डालकर चले गये तो उसमें मेरा ताला तोड़कर दूसरे विधायक घुसे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह कमरा उनको एलाट हो गया है। इसके बाद महावीर सिंह जी ने कहा कि आप हमारे कमरे में आ-जाइए वह कमरा ओम प्रकाश जी को एलाट हो गया तब से हम कमरा नम्बर 41 में पड़े हुए हैं जिसमें टट्टी, बिजली तथा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और यह कहते हैं कि कमरा दे दिया। लेकिन कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

41 नम्बर का कमरा बिल्कुल सही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप सुनेंगे तब न जवाब आयेगा।

श्री राजमंगल पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, यह गलत सूचना देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी जवाब दे रहे थे। लेकिन बहुत से लोग बोलने लगे। माननीय सदस्य ने अपना दुख बताया तो वह जवाब देने के लिए खड़े हुए लेकिन लोग बोलने लगे। इसमें सब दल के नेता मिलकर मन्त्री जी से बातचीत कर लें और रास्ता निकाला जाय कि कैसे किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ऐसा लगता है कि मन्त्री जी को सूचना मिली है वह केवल कागजी सूचना है और वह तथ्य से परे है। अगर वह फैक्ट जान जायेंगे तो ऐसा मेरा ख्याल है कि वह अपनी बात में सुधार कर लेंगे हमारे साथी मलखानसिंह जी को अभी तक कमरा नहीं मिला है। अब सुना है कि 190 नम्बर का कमरा एलाट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको सही तथ्यों की जानकारी नहीं है। उनको तथ्य गलत दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस मामले में क्या किया जाय ? आपका सुझाव क्या है ? इसकी सन्तोषजनक व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मन्त्री जी और सब दलों के नेता एक जगह बैठकर देख लें कि कहां कैसा है, क्या किया जा सकता है। यह सदस्यों का मामला है। आपकी बात सुनने के बाद...(व्यवधान)

श्री मधुकर दीघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, 6 दिन मैं बरामदे में पड़ा रहा हूं। (व्यवधान) इस लिए आपका सुझाव हमको मान्य है कि सब दल के लोग जिनको तकलीफ है उनसे बात करके कोई रास्ता निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष--

अभी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी और दिघे जी का सुझाव आया कि मन्त्री जी नेताओं को बुला लेंगे और उनसे बातचीत करके कोई न कोई रास्ता निकालेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था वह मैंने किया है। यदि इससे अच्छा हो सके तो मुझे बता दिया जाय।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, असल में जो कमरे दिये गये हैं उनका कब्जा उन लोगों ने नहीं छोड़ा जिनके पास यह कमरे थे और वे लोग इनके दल से सम्बन्धित हैं। दूसरे आपने यह कहा कि हमने कमरे सबको अच्छे और बुरे के हिसाब से दिये हैं। मैंने तो दो दर्जन पत्र मन्त्री जी को, मुख्य मन्त्री को तथा एस्टेट आफिसर को लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने यह भी देखा है कि पहले एक कमेटी थी जो एलाटमेंट करती थी। उसी के हिसाब से काम करे तो सभी को आसानी हो जाय। जितने अच्छे कमरे हैं वह सगों को दिये गये और खराब कमरे विरोधी दलों के सदस्यों को दिये गए। जिसको डाक्टर ने लिखा है कि नीचे का कमरा दिया जाय उसको भी नहीं दिया। किसी को भी नहीं सुना। श्री राम वचन यादव के सम्बन्ध में मैंने लिखा कि इन्हें नीचे का कमरा दिया जाये। अगर आप सूचना चाहेंगे तो मैं पूरी दूंगा। उनके कर्मचारियों ने कहा कि हमें वह करना है जो मन्त्री जी कहेंगे। कहना किससे है कहा तो उनसे जाये जो सुने यह तो सुनते ही नहीं हैं। लिहाजा मेरा सुझाव है कि आप हम लोगों को बुला लें और सभी चीजें तय हो जायं।

श्री हर प्रताप सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

जो सवाल उठा है उसके बारे में बातचीत कर ली जाय कि क्या हो सकता है। उसमें आप पैसे का मामला बता रहे हैं। उसमें जो कानूनी तरीका है उसका इस्ते-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

माल कीजिए। यह सुझाव आया है कि उनके पास कम कमरे हैं तो हर दल को तैयार होना पड़ेगा कि समान रूप से कम कमरे लें।

एक सदस्य—

मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना सुझाव अपने नेता को दें। जो आवंटन हुआ है उसमें त्रुटियां हो सकती हैं इसलिए आप अपने नेता से कहें कि किस दल को कितने कमरे मिले। जिनके पास कमरे नहीं हैं उन्हें प्रतिकर मिलेगा। कमरों की संख्या यहां की बहस से तत्काल पूरी नहीं हो जायेगी और जो कमरे जिस दल को जितने मिलने चाहिए इसके बारे में फैसला हो जाय। कुछ और भी माननीय सदस्य हैं जो कब्जा कर लिए हैं। मेरा खुद का कमरा जो मुझको आवंटित हुआ था उसको कब्जा कर लिया गया था। अब क्या किया जाय, उसको पुलिस से निकलवाया जाय ? पारसाल भी ऐसे हुआ था। तो आप लोग बात करके कोई रास्ता निकालिये। समान रूप से हर दल के लिए यह तय हो जाय कि कम से कम कितने कमरे किसको-किसको मिलेंगे और जिसको कमरे न मिलेंगे तो उसको प्रतिकर मिलेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर बहुत बहस की जाय।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको कमरा नहीं दे सकते हैं तो आपके लिए कोई व्यवस्था होगी। आप लोग पहले आपस में बैठकर अपने दल की एक आम राय हासिल कर लें।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप बुला लें नेताओं को।

श्री अध्यक्ष—

जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह इन्तजाम विधान सभा करे तब तो बात अलग है। अभी यह सारा इन्तजाम पी० डब्लू० डी० का ही रहा है और पी० डब्लू० डी० विभाग इस काम को कर रहा है। ...(व्यवधान)

आपका सवाल जो पए के सम्बन्ध में है। अगर आपका रुपया कहीं किसी ने..

(व्यवधान)

अब हम आगे चलते हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 498-501पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 56 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी व राम पति की गेहूं की खरीद मूल्य तथा बिक्री सम्बन्धी नियमों की घोषणा के न किये जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी माननीय तीरथ राम कोहली की साड़ीनगर (हरदोई) में नगरपालिका के सदस्य श्री कृष्ण गुप्त को तथाकथित अकारण बन्दी बना लिये जाने के सम्बन्ध में है और तीसरी सूचना माननीय पुरुषोत्तम, कृपा शंकर आर्य, कृष्ण राय और बांके लाल की देवरिया जिले में भयंकर उपल वृष्टि से फसल की क्षति के सम्बन्ध में है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है इस पर एक अव्यवस्था पैदा हो गई है । इसलिए कि आज किसान समझता है कि दाम बढ़ने वाले हैं । इसी कारण से वह आज गेहूं को बाजार में नहीं लाता है । एक समय आयेगा जबकि बाजार में गेहूं मिलेगा ही नहीं । तो इस सम्बन्ध में तुरन्त सरकार की नीति घोषित होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी घोषणा तुरन्त करे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे । न तो राशन की दुकानों पर पूरा सामान मिलता है और न बाजार में ही भविष्य में मिलेगा । आप सरकार से कहिये कि वे अपनी घोषणा तुरन्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

यह निश्चित कोई घटना नहीं है । इसलिए इसको मैं नियम 56 में कैसे लूं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

तो श्रीमन्, अगर इसको नियम 56 में न दिया जाय तो इसे काहे में दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें क्योंकि इसके द्वारा आप सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार ने गेहूं के सम्बन्ध में कोई नीति निश्चित नहीं की है और उसे ऐसा तुरन्त घोषणा करनी चाहिए ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, सरकार को गेहूं के सम्बन्ध में तुरन्त अपनी नीति घोषित करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

इसे मैं सम्बन्धित मन्त्री के पास भेज देता हूं। अगर वे उचित समझेंगे तो कार्यवाही कर देंगे। नियम 56 के अन्तर्गत यह स्वीकार नहीं है ।

एक दूसरी सूचना माननीय तीरथ राम की है जिसमें साड़ीनगर (हरदोई) में नगर पालिका के सदस्य, श्री कृष्ण गुप्त को तथाकथित अकारण बन्दी बना लिये जाने से सम्बन्धित है। इसको भी अस्वीकार किया है।

तीसरी सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, इसको स्वीकार कर लें। इसमें अकारण बन्दी बना लिया गया श्री कृष्ण गुप्त को...

श्री अध्यक्ष---

बन्दी होते हैं बहुत से लोग लेकिन नियम 56 में नहीं होता है। 1 व्यक्ति के लिये तो नियम 51 में भी नहीं होता है। इसमें आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। सरकार अपना जवाब दे देगी ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, देवरिया जिले में भयंकर उपल वृष्टि हुई है। आपने इस सूचना को नियम 51 में स्वीकृत किया है वक्तव्य के लिये। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप नियम 56 में स्वीकृत कर लें ?

श्री अध्यक्ष---

इसे नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, नियम 51 के अन्तर्गत मैंने भी एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि उसको भी जोड़ दिया जाय। वह जोड़ दिया जायगा। आपकी पहले की जो सूचना है वह भी उसमें जोड़ दी जायगी ।

अनुपूरक अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---

माननीय तिवारी जी आप सदन को बतायें कि बजट के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा कितने बजे हो ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, जैसा कि होता रहा है आम विवाद 4 1/4 बजे तक चले फिर वोट कर लें ।

श्री अध्यक्ष---

तो यह चर्चा सवा चार बजे तक चलेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

एक निवेदन यह था कि सवा चार बजे तक अनुपूरक वाला लेंगे या लेखानुदान ले लेंगे। दोनों में कितना-कितना समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं तो चार बजे रखना चाहता था, लेकिन नेता सदन ने सवा चार बजे कर दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

परम्परा यह नहीं है कि लेखानुदान पर बहस हो, पहले अनुपूरक अनुदानों पर मतदान हो जायगा, फिर सवा चार बजे से 5 बजे तक लेखानुदान चलेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

परम्परा यह नहीं है कि मतदान हो, बहस ही न हो। ऐसा नहीं है। बहस का जो विषय होता है वह बड़ा सीमित होता है, विशेष अनुदान पर बहस कर सकते हैं। लेकिन लेखानुदानों पर बहस करायी जाती है तो नीतियों पर भी बहस कर सकते हैं। इस लिए लेखानुदानों पर ज्यादा समय दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो प्रश्न यह है कि अनुदानों की मांगों के बारे में सामान्य चर्चा कब तक चले। तो सुझाव आया है कि सवा चार बजे तक चले। सवा चार बजे तक यह चर्चा चलेगी। मेरा खयाल है सब सहमत होंगे।

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर लेखानुदान पर यह सम्मानित सदस्य कहना चाहेंगे 5 बजे के बाद तो आप उस समय, समय दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह तो उसी समय देखा जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं नहीं समझा कि लेखानुदान 5 बजे के बाद लिया जायगा क्या? या 4 बजे, 3 बजे, किस समय लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

उसके बीच में स्थगित नहीं होगा। दो-चार मिनट इधर-उधर हो जायगा तो उस वक्त ले लिया जायगा सप्लीमेंटरी खत्म होने के बाद।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यानी विनियोग विधेयक भी जब हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपने उसको ज्यादा स्पष्ट कर दिया।

1973-74 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--

अब शुरू करेंगे ।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

परम्परा यह है कि विरोधी दल की तरफ से चर्चा हो। उधर से कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रक्रिया में ऐसा है कि वह पेश किया माना जाय। अब इस पर भाषण होगा।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान आमतौर से सरकार पेश करती है और इस वर्ष तो और भी आवश्यक इसलिए हो गया होगा कि दो महीने तक विधान सभा नहीं चली और खर्च हुए ही होंगे-- उनको अनुमोदित कराने के लिए अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता है।

(इस समय 2 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवई पीठासीन हुयीं।)

श्रीमन्, यह सरकार जो बराबर 8 नवम्बर से सत्तारूढ़ रही और आज भी है श्री बहुगुणा जी के नेतृत्व में, बड़ी दुहाई उन्होंने इस बात की दी थी कि हम शासन को स्वच्छ बनायेंगे, निर्मल बनायेंगे, उज्ज्वल करेंगे और इसके अतिरिक्त यहां से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी की समस्याओं का डटकर मुकाबला करेंगे, उनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं यह बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि सरकार ने इन सब समस्याओं की ओर से अपना ध्यान हटा कर केवल एक बात की ओर अपना ध्यान लगाया और वह है कि इस सरकार को बनाने के माध्यम से चुनाव जीते जायं। दूसरा कोई कार्य इस सरकार ने किया नहीं,खाली आश्वासन देकर वोट प्राप्त करने की अपनी बात करते रहे।

श्रीमन्, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। मैं बरेली का उदाहरण इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। हमारे यहां एक हाकिम परगना है। बरेली में ही वह सदर कानूनगो रहा, बरेली में ही नायब-तहसीलदार रहा, बरेली में ही तहसीलदार रहा और बरेली में ही आज हाकिम परगना है। वह हाकिम परगना बहेड़ी के नाम से विख्यात है और यह प्रशासन के सुधार का जो दावा करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 7 पेज की टाइप्ड कम्प्लेंट एक-एक चीज लिख कर दी मुख्य मन्त्री के नाम, चीफ सेक्रेटरी के नाम और जब राज्यपाल जो, जो मौजूदा राज्यपाल हैं वह जब बरेली तशरीफ ले गये थे जून में तो बरेली से एक ही ज्ञापन उनके विरुद्ध दिया गया था कि यह आदमी 13 वर्षों से बरेली में है और अपनी उन बातों को भूला नहीं है जो अपने सदर कानूनगो के जमाने में किया करता था। यह बड़ा भारी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर और नैतिक पतन वाला आदमी है और एक सरकारी कर्मचारी मिसेज नागपाल थीं उनके साथ इसका सम्बन्ध भी जोड़ा गया। उसकी जांच भी हुई। श्रीमती नागपाल का स्थानान्तरण तो मुरादाबाद को कर दिया गया लेकिन वह अभी तक बहेड़ी में मौजूद है। हजारों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपए की रिश्वत लेना, मुर्गा खाना और शराब पीना उसका रोज का पेशा है। वह लेखपालों और तहसीलदार को बहुत तंग करता है और हजारों रुपए की रिश्वत लेकर वह मुकदमें तय करता है। दाखिल खारिज के मुकदमे डेढ़-डेढ़, दो-दो साल से पड़े हुये हैं। जिसमें पैसा खा लेता है वह तय कर देता है, तूसरे तय नहीं करता। हमने कोशिश की, उसका तबादला हुआ। लेकिन जैसे ही 8 नवम्बर को इस सरकार ने शपथ ग्रहण की उसका जो फर्रुखाबाद ट्रांसफर हो गया था 7 दिन के अन्दर वह यहां से गया नहीं और यहीं पर उसको फिर से बिठा दिया गया है। जब हमने मालूम किया तो पता चला कि माननीय धर्मदत्त बैश्य, भूतपूर्व मन्त्री और माननीय के0सी0 पन्त का टेलीफोन आया कि इसको यहीं रखा जाय, यह एलेक्शन जितायेगा। यह नहीं कि यह जनसंघ या कोई पार्टी विशेष का सवाल है, बरेली की सारी जनता ने उसके खिलाफ आवाहन किया। जब उसका ट्रांसफर रुक गया तो सौ वकीलों ने पार्टी पालिटिक्स को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्य मन्त्री को ज्ञापन दिया लेकिन वह आज भी वहीं मस्ती मार रहा है। युवक कांग्रेस के लोगों ने भी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी से जाहिर है कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है बल्कि जिसका नैतिक पतन हो चुका है उसका मामला है। तो यह सरकार स्वच्छ प्रशासन की बात करती है लेकिन स्वच्छ प्रशासन अभी तक दे नहीं पायी।

जहां तक पुलिस की बात है, मैंने तो ऐसा अफसर बहुत कम देखा है जैसा देवरनिया थानाध्यक्ष श्री गया प्रसाद दुबे। वह इतना आदमियों को पीटते हैं कि वह अस्पताल में मर जाते हैं। गिरीशचन्द्र, संग्रह अमीन को इतना मारा जो सरकारी नौकर थे और बड़े अच्छे परिवार से सम्बन्ध रखते थे और इसी के साथ-साथ मकदूम शाह को 5 दिसम्बर को पकड़ा और 8 दिसम्बर को उसकी मृत्यु हो गयी। ऐसे अफसर के खिलाफ जो अपने को धमदत्त वैश्य का रिश्तेदार बताता है कोई कदम नहीं उठाया जाता और ढाई साल से वह वहीं जमा है। चुनाव के मौके पर भी उसको नहीं हटाया गया। लेकिन ये दोनों, परगनाधीश और दुबे थानाध्यक्ष मिल कर भी श्री धर्मदत्त को चुनाव जिता नहीं पाये और वहाँ की जनता ने उन को ठोकर लगा दी। क्या यही स्वच्छ प्रशासन का नमूना है कि आदरपूर्ण जिनका सम्मान हो ऐसे व्यक्तियों को मार-मार कर उनकी मृत्यु कर दे? ऐसे व्यक्तियों को आप चाहते हैं कि वह बने रहें और फिर भी आप स्वच्छ प्रशासन का दावा करते हैं। यह सही नहीं है।

जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया है कि सदन में माननीय सदस्यों का काम देख कर अन्य मंत्री और उप मंत्रियों को नियुक्त किया जायेगा, तब से तो कांग्रेस पक्ष से हर आदमी उछल-कूद करने लगा है ताकि वह मंत्री या उप मंत्री बन जाये। इसी आशा में वह ऐसी बातें भी कह जाता है जो वह सोचता है कि गलत है। आज बहुत से सदस्य 'हां' पक्ष में ऐसे हैं जो अपनी कारीगरी दिखाकर मंत्री पद पाना चाहते हैं। जिस प्रकार हर छात्र इम्तहान में पास होने की आशा रखता है, उसी प्रकार आज "हां" पक्ष का हर विधायक मंत्री बनने की आशा लगाये बैठा है। मैं मानता हूं येनकेन प्रकारेण आप चुनाव जीत कर आ गये और चुनाव याचिका ही अब उसकी दवा रह गयी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में बहुत बेइमानी हुई है।

आंवला क्षेत्र से जो विधायक जीत कर आये हैं, मतगणना के समय 4 बक्से ऐसे निकले जिनमें सभी मत-पत्रों पर गाय-बछड़े की ही मोहर थी, एक भी मत-पत्र दूसरे का नहीं था। चूंकि मार्जिन 15 हजार वोटों का था, इसलिये श्याम बिहारी सिंह फिर भी जीतकर आये। अगर कहीं चार-पांच सौ वोटों का मार्जिन होता तो वे हार गये होते। इसी प्रकार हमारे यहां कैन्ट क्षेत्र में 5 हजार वोट फर्जी बनाये गये। अशफाक अहमद जो पहले इसी विरोध पक्ष को सुशोभित करते थे, आज कांग्रेस पक्ष में हो गये हैं, उनको जिताने के लिये फर्जी वोट ट्रक के ट्रक लाकर डलवाये गये।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

मेरे क्षेत्र में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं, मैंने उन सब की लिख कर भी शिकायत की है। भूतपूर्व उप मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह के पक्ष में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० ने जीप पर खुल कर प्रचार किया। मेरे यहां दो रंग के मतपत्र निकले। मने जब शिकायत की डी० एम० से तो उन्होंने कहा कि दो प्रेसों में छपने के कारण ऐसा हो गया है। भोजीपुरा के बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० तथा ग्राम सेवकों ने और सेक्रेटरीज ने खुलेआम कांग्रेस का प्रचार किया। फतेहगंज वेस्ट से पशुपालन विभाग के डाक्टर खान ने खुले आम श्री भानुप्रताप सिंह का जो कृषि के उप मंत्री थे, प्रचार किया और उनके साथ-साथ जीप में बैठकर घूमें। सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, फतेहगंज वेस्ट, श्री गुलाम जब्बर भी जगह-जगह, सरकारीपद पर रहते हुये उनके साथ-साथ घूमें और कांग्रेस का प्रचार किया। जो कांग्रेस के आदमी थे, टीचर्स थे, उनको आसपास के गांव में रखा, जो हमारे आदमी थे उनका ट्रांसफर दूर-दूर जगहों पर कर दिया ताकि वे इलेक्शन में हमारी मदद न कर सके। मैं इन सभी बातों को लिख कर भी दे चुका हूं। मुझे खेद है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बावजूद भी यह सरकार स्वच्छ प्रशासन की दुहाई देती है।

त्रिपाठी जी की सरकार आयी, बड़े-बड़े वायदे किये गये, बहुगुणा जी की फिर सरकार आयी बड़े-बड़े उन्होंने भी वायदे किये। मगर हुआ क्या? माननीय बहुगुणा जी तो एक ऐसे जादूगर हैं भाषण देने में कि वे वाक-चातुर्य के कारण झूठी बात को भी सही साबित करने लगते हैं। इस कार्य में वे बड़े ही पटु दिखाई देते हैं, यह दक्षता उनमें है, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, होना भी चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज आपने जो अनुपूरक अनुदान दिये हैं, कभी आपने सोचा है कि पुलिस बढ़ाने की कोई बात सोची है। जब हम किसी थाने में जाते हैं तो कहते हैं वे लोग कि पुलिस फोर्स तो उसी जमाने की चली आ रही ह जबकि अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां वेहिकल्स भी नहीं है, वे अपना कार्य कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं तत्परता के साथ। आपके कोई पुलिस फोर्स बढ़ाने की बात कही होती तो मेरे समझ में आती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी जो हमारे हवालाती हैं, उनके लिये प्रति हवालाती 6 आना सरकार ने भोजन के लिये रखा है। अब आप सोंचे कि आज कल 37 पैसे में हवालाती कैसे भोजन कर सकता है अगर पुलिस वाले कैसे खिला सकते हैं, जबकि एक कप चाय मुश्किल से उतने में आती है। इसी प्रकार से दरोगा तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों का भत्ता भी इतना कम है कि वह सही तरीके से अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकते।

तो मेरा कहना है कि इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाये--हवालाती के भोजन का भत्ता बढ़ाया जाये, जो दरोगा आदि हैं, उनका भत्ता बढ़ाया जाय। साथ ही स्टेशनरी का सामान बढ़ाया जाये, क्योंकि जब हम कभी रिपोर्ट लिखवाने जाते ह तो वहां पर कागज आदि भी नहीं मिलता है। जिसकी व्यवस्था कभी स्वयं करनी पड़ती है। कागज और साथ में फार्म्स भी उनके पास बहुत कम हैं, यह भी आप उनको प्रोवाईड नहीं कर पाते हैं। आप दरोगा से काम लेते हैं। नियम से उन्हें 60 तफतीश करनी चाहिये, लेकिन आपने उन्हें 2-2 सौ तफसीशें करने का काम दे दिया है। नतीजा यह है कि काम के आधिक्य के कारण बिना मौके पर जाये हुए झूठी-सच्ची तफतीशें किया करते हैं, जिससे केसेज छूट जाते हैं। और सच केसेज भी उनमें छूट जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यह चीनी की दुकानों का सिस्टम बना रखा है, इसको फिर से देखें। मैं खाद्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने जो देहात में शक्कर की दुकानें दी है अर्थात् एक-एक न्याय पंचायत में 6-6 बोरियां, उसे देखकर फिर से बदलें। उस छह बोरियों में उसका क्या मुनाफा होता है, इस पर भी बिचार करें। एक बोरी पर केवल डेढ़ रुपया मुनाफा होता जब कि लाने ले जाने का खर्च उसे वहन करना पड़ता है और उसके साथ बोरियों में 100 के बजाये 99 या 98 किलो शक्कर बैठती है। नतीजा यह होता है कि वह लास में रहता है

और डी0 एस0 ओ0 और तहसीलदार आफिस में उसे चढ़ावा अलग से चढ़ाना पड़ता है। यहां बिना चढ़ावा चढ़ाये वह कुछ कर नहीं सकता, लाइसेंस उसका बरकरार रह नहीं सकता। प्रायः हम इस बात की शिकायत सुनते हैं कि वे शक्कर नहीं पब्लिक को बांटते हैं, जो अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसके आगे मजबूरियां भी हैं। क्योंकि उसके पास अन्य कोई दुकान नहीं है और इससे 6 या 12 बोरियों पर 18–20 रुपये केवल कमाकर कोई कारोबार कर नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि वह ब्लैक का सहारा स्वयं ले रहा है। मैंने इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कहा था कि आप इसके लिए सरकार से कहें कि यदि मुनाफा नहीं है तो इन चीनी की दुकानें खोलने से कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह जो राज्य सरकार के करने की बात है, आप राज्य स्तर पर इसके लिये प्रयास करें, हमसे कोई मतलब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

आप कितनी देर और बोलेंगे ? इस पर सवा चार बजे बहस समाप्त होनी है। समय बहुत कम है और बोलने वाले कई लोग हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार––

ठीक है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप कोई तरीका निकालें–– उनको शक्कर की दुकानें दें, जिनके पास पहले से कोई दुकान है या आप ब्लाक स्तर पर कोई डिपो बना दें, जिनके राशन कार्ड पर जरूरत हो तो चीनी दी जाये। वर्तमान व्यवस्था से न तो दुकानदारों का भला होता है और न जनता का, उन्हें भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता। मेरा यह कहना है कि 6 या 12 बोरी जो न्याय पंचायतों में भेज रहे हैं वह नहीं पहुंचती ? क्यों कि जब मुनाफा नहीं होगा तो दूकानदारी क्यों करेगा। उसने शहर में जहां से कोटा उठाया है वहीं बेच देगा। शहर के अन्दर आपने एक दूकान पर तीन हजार यूनिट लगाये हैं। एक तौला लेकर का खर्चा-लगा कर देख लीजिये वह भी अन इकानामिक है, घाटे में दूकान जायगी हमारे यहां दो दूकानें कोआपरेटिव ने ली थीं। उसके दो महीने में पांच सात सौ का घाटा हो गया क्योंकि उन्होंने सही काम किया। तीन हजार यूनिट्स दूकानें सही तरीके पर नहीं चल सकती। कम से कम पांच हजार यूनिट्स लगायें तो कुछ मुनाफा हो सकता है। इसलिये वहां भी भ्रष्टाचार होता है। यह चीजें सरकार के बदलने की हैं नीचे के लेविल पर नहीं बदल सकती हैं। खाद्य और पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में जितनी शिकायतें प्रदेश के अन्दर प्राप्त हुई हैं, सबसे बड़ा उदाहरण बरेली का होगा। जहां पर एक ही न्याय पंचायत के अंदर बाप और बेटे को दूकानें दी गयीं। दोनों एक ही परिवार के हैं। साथ-साथ रहते और खाते हैं। न्याय पंचायत का नाम मथुरापुर है। हमने यहां शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब जांच करायी तब उसमें से एक कैंसिल कर दी, जबकि एस0 डी0 एम0 ने लिखा था कि दोनों कैंसिल कर दी जायं, लेकिन एक दूकान चल रही है।

व्यवधान

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)––

हम लोगों को भी बोलना है। आप से अनुरोध करूंगा कि समय वाली बात को . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार––

मथुरापुर न्याय पंचायत, फतेहगंज वेस्ट ब्लाक में मेवाराम और घनश्याम नाम की दोनों दूकाने हैं एक न्याय पंचायत में। इनकी जांच की गयी। आरोप सिद्ध पाये गये। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि दो दूकाने हैं। सब एक ही मानते थे। इस तरह से एक बाप की दूकान चल रही है और एक बेटे की। एस0 डी0 एम0 ने दोनों दूकानों को कैंसिल करने के लिये लिखा। लेकिन एक अब भी कायम है। बाप के नाम घनश्याम की दूकान,

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

अब भी चल रही है। आप भले ही कहते रहें कि हम स्वच्छ प्रशासन देने वाले हैं लेकिन है नहीं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि भ्रष्ट अफसर आपको बदनाम कर रहे हैं। आप उनको पाले भी रहें तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम सत्याग्रह और दूसरे तरीके से घेराव के तरीके अख्तियार करने क लिये विवश हैं। इससे ला ऐंड आर्डर की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जायेगी उसका दोष आप हमको देंगे।

एस0 डी0 एम0, बहेड़ी श्री रघुबीर सिंह तथा थानाध्यक्ष देवरनिया, श्री गया प्रसाद दुबे को तुरन्त हटाया जाय और पुराने डी0 एस0 ओ0 श्री चौहान, जिन्होंने लाखों रुपया परमिट पाने वालों से कमाया है, उनके भ्रष्टाचार की जांच की जाय और इन नीतियों को बदला जाय। शकर और राशन की दूकानें इस तरह से रखी जायं जिससे वे इकानामिक हों। जो आवंटन समिति है, उसके जरिये से दूकानें दी जायं। सलाहकार समिति को बगैर दिखाये हुये किसी को दूकान न दी जायं। मैंने देखा है कि बी0 डी0 ओ0, तहसीलदार ने जिसको लिख दिया दूकान दे दी। वह पैसा देते हैं और अपने आप रेकमेंड करवा कर ले जाते हैं। सलाहकार समिति के हम सदस्य हैं, उसको पुनर्जीवित किया जाय और जितनी भी दूकानें दी जायं, उनको कम से कम रिव्यू करने का मौका दिया जाय क्योंकि हम जानते हैं कि कौन आदमी खराब और कौन अच्छा है। उनके खिलाफ शिकायत आयेगी तो हम सिफारिश नहीं करेंगे। यह तो सही है और हमने निश्चय कर रखा है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि बोलने के लिये काफी लोग हैं, इसलिये कुछ सीमा बांध दी जाय जिससे ज्यादातर माननीय सदस्य बोल सकें।

एक सदस्य—

चाहें 5 मिनट ही दिया जाय, लेकिन सब को समय मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों को 7 मिनट और उनके लीडरान को 10 मिनट कर दिया जाय।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलन का अवसर प्रदान किया। महोदया, इस सदन में जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। विधान सभा के चुनाव के बाद जिन परिस्थितियों में यहां पर बजट आया है और आज जो स्थिति हमारे प्रदेश की है, वह हमारे सभी साथियों को विदित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने जा रही है, और इससे पूर्व हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां जो 4 माह का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करते हुये, उन का धन्यवाद करता हूं और साथ ही आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को अपनी ओर से कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदया, मैं खटीमा के ऐसे क्षेत्र से यहां पर आया हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जिला नैनीताल के खटीमा के पूर्व में नेपाली सीमा है, उत्तर में पिथौरागढ़ है और दखिन में जिला पीलीभीत है। इन 26 वर्षों में यद्यपि यह क्षेत्र पर्वतीय विकास परिषद् के अन्तर्गत आता है, लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होगी कि आज भी उस क्षेत्र में और वहां की जनता के लिये बहुत कुछ करना बाकी है और जो कुछ भी कार्य किया गया है वह नाममात्र का किया गया है। वहां की अधिकांश पापुलेशन केवल एक तहसील खटीमा में लगभग डेढ़ लाख के

करीब है जिसमें से लगभग 15 हजार हमारे बंगाली विस्थापित बसे है, 40 हजार के करीब थारू घराने के लोग बसे है, कुछ लोग पंजाब के विस्थापित हैं और कुछ पर्वतीय लोग हैं। इन सारी बातों के बावजूद भी वहां उस क्षेत्र की दशा दयनीय है। वहां पर सबसे कठिन समस्या पर्वतीय क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, हरिजन, अनुसूचित जनजाति के लिये है। उनके लिये भूमि की समस्या विकट बनी हुई है। वहां पर पर्वतीय क्षेत्र से जो बरसाती नालें और नदियां आती है उन पर कई डैम बने हुये है जैसे बेगुम डेम, नानक सागर व शारदा डेम, आदि। इन डेमो में सिंचाई विभाग द्वारा इतनी जमीन घेर ली गई है कि हजारों लोग बेघरबार हो गये हैं। भूतपूर्व सैनिक, या आवासविहीन हरिजन लोग वहां पर जगह मांगते हैं उनको भूमि न दी जाकर जो सामर्थ्य लोग हैं जबरन उनको हथिया लेते है और भूमिहीन, भूमिहीन रह गया है।

दूसरी समस्या माल विभाग की है और वह यह है कि जिन लोगों ने अपना आवास बना लिया है उनको अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया है। माल विभाग की अनियमित कार्यवाही से आज सैकड़ों केस चलने से गरीब जनता मुसीबत में पड़ी हुई है। जिसके लिये शासन से मेरा अनुरोध है कि इसे शीघ्र देखें, जहां हम सीलिंग ऐक्ट लाने जा रहे हैं और जमींदारी समाप्त हो गयी है तो पर्वतीय क्षेत्र के जो भूमिहीन मजदूर हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्होंने जिस जमीन पर सात आठ साल से कब्जा कर रखा है चाहे वह डैम की जमीन हो या अन्य कोई भूमि हो उसको रेगुलराइज कर दिया जाय। इससे उन्हें राहत मिलेगी।

सितार गंज, खटीला में ऐसे लोग हैं जो अपने आवास बना चुके है और सीलिंग ऐक्ट के पहले बना चुके हैं लेकिन वह बेदखली के कानून के अन्तर्गत परेशान हैं और शासन की ओर से उनके लिये कोई राहत का कार्य नहीं हो पाया है मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली है और जिनके कागजात रेवेन्यू बोर्ड या शासन में विचाराधीन है उनको रेगुलराइज कर दिया जाय। उस क्षेत्र में सड़कों और स्कूलों की बहुत दयनीय दशा है। किच्छा से खटीमा और वहां से टनकपुर तक नाम मात्र एक मोटर मार्ग है। मैं वित्तमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने शासन की ओर से पिछड़े क्षेत्र के लिये कुछ प्रयास तो किया गया है लेकिन जो सड़क निगम है या पी० डब्ल्यू० डी० विभाग वह जिस गति से काम कर रहा है उसको देखते हुये ऐसा लगता है कि पांचवी योजना खत्म होते-होते भी वहां की सड़कें पूरी नहीं हो पायंगी। एक समस्या वहां के क्षेत्र में यह है कि नदियां आबादी का कटान करती हैं। मैं हल्द्वानी के पूर्व की तरफ गोला नदी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(लाल बत्ती होने पर)

महोदया अभी मैं बोला ही कहां हूं। दो तीन मिनट का समय और दे दें। मैं कह रहा था कि वहां नदियां गांव का कटान कर रही है। उसको रोकने में दिक्कत यह है कि जिला प्रशासन पहले सर्वे करवाता है और फिर फ्लड बोर्ड की स्वीकृति लेनी पड़ती है जो एक लौंग प्रोसीजर है मेरा निवेदन यह है कि शासन जिला प्रशासन को ऐसा अधिकार दे दे कि ऐसी ऐमरजेन्सी में जो भी फंड एवेलेएबुल हों उनसे ऐसी विपत्ति को रोकने की कार्यवाही तुरन्त कर लें। थारू परिषद् द्वारा वहां के लोगों के उत्थान के लिये एक अलग प्रोग्राम बनाया गया है लेकिन मुझे दुख है कि जो पाठशालाएं चल रही हैं उनके लिये कोई बिल्डिंग्स नहीं है। मेरा निवेदन है कि चाहे माध्यमिक पाठशाला हों या प्राइमरी पाठशाला हों उन्हें भवन निर्माण हेतु शीघ्र प्राथमिकता देनी चाहिये। ऐसे ही बिजली की समस्या है। यों तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के लगाने के लिये काफी प्रयास किये गये है लेकिन बिजली की कमी से कुछ बिजली के कंट्रोल जगह-जगह रीजनों में बनाये गये है। उनके आर्डर्स निकलते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात को दस बजे के बाद बिजली दी जायगी तो यह कहां तक न्यायसंगत होगा। विद्यार्थी रात को स्टडी करते हैं। दस बजे के बाद कोई भी विद्युत् प्रकाश का औचित्य नहीं है। इसलिये वहां रूरल एरिया में सांयकाल 6 बजे से दस बजे रात तक बिजली दी जाय।

[श्री इन्द्र लाल]

जैसा मैंने पहले निवेदन किया गोला नदी गांव पच्छिमी खेड़ा नामक में घुस रही है उसको रोकने का इंतजाम शासन करवाये। इसी तरह कैलाश नदी है। वहां सलवती ग्राम है जिसकी पांच हजार की जनसंख्या है कच्चे पक्के मकान हैं, कृषक लोग हैं और लिखा पढ़ी में साल भर का समय निकल गया है। दूसरी बरसात आने वाली है। अगर उन गांवों को बचाने की तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो हजारों परिवार बेघरबार के हो जावेंगे और शासन के सामने बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जावेगी। यही गम्भीर दशा ग्राम सुनपहर व साधू नगर की है। बंगाली कालोनी में भी जहां पड़ाव गांव बसा हुआ था आज वहां 200, 250 मकान आधे-आधे बालू से डूबे हुये हैं। अगर वहां पर कटना नामक नदी का बंधक बना दिया होता तो इन मकानों की रक्षा हो सकती थी।

इस क्षेत्र में कानून की व्यवस्था की भी बड़ी दयनीय दशा है बंगाली कालोनी का जो शक्ति फार्म है वह सितारगंज और किच्छा दोनों से बहुत दूर है इसलिये शक्ति फार्म पर एक पुलिस स्टेशन होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से गोलापार के क्षेत्र में भी कानून व्यवस्था खराब है। मैं इन शब्दों के साथ इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)---

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस सदन के वित्तीय वर्ष 1973-74 के अनुपूरक अनुदान के संदर्भ में मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान किया गया है। माननीया, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने कुछ गंभीर बात रखना चाहता हूं। इस बात की चिन्ता न केवल इस देश को, न केवल इस राष्ट्र को न केवल एशिया को किन्तु एक बहुत बड़े महामानव डा० नार्मन बर्लाग ने एक सप्ताह पूर्व अपने देश के अधिकारों को चेतावनी दी है, उसके लिये आने वाली संतान हजारों साल तक उसको याद करेगी। उन्होंने कहा है कि यदि भारतवर्ष में डीजल की समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया और इसकी आपूर्ति केवल मात्र कृषि के लिये नहीं की जावेगी तो देश ज्वालामुखी के कगार पर पहुंच जायेगा और भुखमरी आ जावेगी। यहां का जो सुरक्षित अन्न भंडार था वह समाप्त हो चुका है। डा० नार्मन बार्लाग ने कहा है कि उद्योगों को यदि बंद भी करना पड़े और जनरेटर की व्यवस्था रोकनी पड़े तब भी डीजल की आपूर्ति कृषि के लिये होना अत्यन्त अपेक्षित है।

मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि प्रशासन किस तरह से भ्रष्ट हो चुका है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। इस जिले में अधिकारियों ने डीजल की तस्करी की है। मैं एक व्यक्ति का नाम इस बारे में लेना चाहता हूं। वह पडरौना के एक्साइज इन्सपेक्टर, इस्मायल साहब हैं। इन्होंने हमारे क्षेत्र में शराब की वैतरनी बहा दी है। इस सदन के मंत्रिमंडल में बैठे हुए कुछ लोगों का उनको आशीर्वाद है। इस कारण उन्होंने शराब कुशमोल, जरहा, खसिया, पेपरा बाजार में बंटवाई। इस एक्साइज इन्स्पेक्टर ने यह कार्य कांग्रेस को जिताने के लिये किया है। मैं इसकी जांच के लिये आयोग की मांग नहीं करता हूं। मैं इसके लिए किसी कमीशन की मांग नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि यदि जरा भी दीनदारी और ईमानदारी हो तो सत्ता के पक्ष के किसी आदमी से ही कह दो कि वह स्वयं जाकर जांच करके निर्णय कर लें कि किस प्रकार से पडरौना में एक एक्साइज इन्सपेक्टर ने करीब 50 हजार लिटर डीजल की तस्करी की है।

श्री ए०सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

महोदया, जो भाषण देने वाले सज्जन नाम ले रहे हैं उनके बारे में मुझे यह कहना है जो सज्जन हाउस में नहीं हैं और इनका उत्तर नहीं दे सकते उनको ये बदनाम करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

यह सही है कि उनको नाम किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं लेना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम---

अभी कल ही काशीनाथ जी मिश्र, राजनारायण जी का नाम बार बार ले रहे थे कि उनका कूड़ा कर्कट यहां पर है । अब वे तो एक सम्मानित नेता का नाम ले-ले कर सारी बातें कहें तो कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं एक आबकारी निरीक्षक की बात कह रहा हूं,जो भ्रष्ट है तो मैंने कौन सी गलती की ?

श्री अधिष्ठाता---

यह तो कोई अच्छी परम्परा नहीं बनेगी कि अगर कोई गलती करता है तो आप भी उस गलती को दुहरावें ।

श्री पुरुषोत्तम ---

अगर मैं उसको दुहराऊंगा नहीं और कहूंगा नहीं तो जनता की सही बात सदन के सम्मुख आयेगी कैसे ।

अब एक बात मैं आपूर्ति विभाग, देवरिया जनपद की कहना चाहता हूं । देवरिया जनपद का मैं पूर्ति विभाग के अफसरशाही और नौकरशाही का नंगा नाच हो रहा है । 28 लाख जनता का भाग्य जिन अफसरों के हाथ में पूर्ति विभाग के रखा गया है उन्होंने एक नग्ननृत्य देवरिया जनपद में मचा रखा है । मैं जिस कांस्टीच्युएंसी से आया हूं पडरौना वह ऐसा स्थान है ऐसी तहसील है जिसने तमाम नेता दिये हैं, तमाम जनसेवी जैसे बाबू गेंदा सिंह जी, चन्द्रशेखर जी, शास्त्री, श्री काशीनाथ जी, श्री राजमंगल जी पांडेय, बाबू रामायण राय जी ऐसे लोगों को तहसील पडरौना ने जन्म दिया है लेकिन फिर भी उस तहसील का जितना उत्पीड़न हुआ है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । अभी देवरिया शहर और देवरिया ब्लाक में मिला करके 1,17,000 बोरी सीमेंट दी गयी लेकिन मेरे ब्लाक में और मेरे शहर में जो देवरिया से कम नहीं है केवल 7,000 बोरी सीमेंट दी गयी । इस प्रकार की विषमता है कि जिसका उदाहरण और कहीं मिलना उपलब्ध नहीं है । यह कितनी गम्भीर बात है ।

मैं प्रशासन की एक बात और कह दूं लेकिन जब मैं प्रदेश की दयनीय स्थिति का वर्णन करूंगा तो शायद कुछ लोगों को बेचैनी हो जावेगी । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी गयी, गरीबों की बड़ी दुहाई दी गयी लेकिन क्या यही उम्मीद थी इस देश के लोगों को कि जब यह देश आजाद होगा तो यही स्थिति चलती रहेगी । जमींदारों और पूंजीशाहों के चंगुल से निकलने के बाद जब जनसेवियों के हाथ में सत्ता बागडोर आयेगी तो देश में रामराज्य स्थापित होगा यह स्वप्न लोगों ने देखा था । किन्तु आज हम देख रहे है कि वही शोषण है, वही उत्पीड़न है, वही शानो शौकत है, सारी चीजें वही हैं । मेरी तो ऐसा विचार है ।

"शोषण, पीड़न, अलगाव, शान, शासन की वही प्रणाली है ।

बस उनकी चमड़ी गोरी थी और इनकी चमड़ी काली है।"

इसके अलावा और कोई अन्तर नहीं है । आज यह स्थिति है । क्या इसी के लिए हुतात्माओं ने और देशभक्तों ने बलिदान दिये थे । आज मैं वहां की स्थिति बतला देना चाहता हूं । अभी माननीय राजेंद्र कुमारी बाजपेयी जी कुछ घंटे पूर्व यहां थीं । उनके पास खाद्य एवं पूर्ति विभाग है । आज खाद्य और पूर्ति विभाग की क्या स्थिति है । कोई भी आदमी इसे देख सकता है कि जून और जुलाई के महीनों में जब वहां ग्रामीण भूख से तड़प रहे

[श्री पुरुषोत्तम]

थे, त्राहि-त्राहि कर रहे थे तब एक ट्रक लाल बाजरा जो उन गरीबों में वितरण के लिये पहुंचा वह सारा का सारा ब्लैक हो गया । बड़ी गोहार की गयी। बी० बी० टंडन जी जो खाद्य आयुक्त हैं वह बस्ती तक गये और हमारी प्रार्थना के बाद भी उससे आगे नहीं बढ़ सके । यही दशा उर्वरक की है । 3 रुपये किलो उर्वरक बिक रहा है । इस समय भी ट्रक के ट्रक नारायणी नदी को पार करके उसपार चले जा रहे हैं । इस प्रकार का भ्रष्टाचार मचा हुआ है तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी ? अगर उसको यहां कहा जाता है तो सत्ता पक्ष के लोग तिलमिला जाते हैं पर बात सही है।

आपके माध्यम से मैं यह अपने मित्रों को बतला देना चाहता हूं कि विरोध पक्ष का कुनैन उनको पीना होगा । क्या आप उम्मीद करते हैं कि विरोध पक्ष आपकी ठकुर सुहाती करता रहेगा, यह कुनैन आपको पीनी होगी । इस चीज को आप याद रखें, यही स्थिति आज है । जो घटनायें घटी हैं, जो माइलो, ज्वार, लाल बजड़ी में तस्करी हुई है नैपाल भेज कर उसके कागजात क्यों दबा दिये गये ? पडरौना के पूर्ति निरीक्षक ने लाखों रुपये का घोटाला किया है और गोरखपुर के साहब गंज बाजार में सारा गोरखधंधा किया गया लेकिन आपने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही आज तक की ? बिहार के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर साहब ने बड़ी हिम्मत के साथ स्वीकार किया है कि बिहार में 75 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ति निरीक्षक भ्रष्ट हैं। उन्हें सस्पेंड किया जायगा. क्या उसी तरह साहस का परिचय यहां के खाद्य तथा पूर्ति मंत्री, उप नेता सदन अथवा मुख्य मंत्री महोदय, देने की कृपा करेंगे । जो पूर्ति विभाग है वह बिलकुल भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है । उसके खिलाफ कोई कार्यवाही इसलिये नहीं की जाती क्योंकि पूर्ति निरीक्षकों तथा एक्साइज इन्सपेक्टरों को बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों का संरक्षण प्राप्त है । यदि वक्त आया तो मैं सदन में सारी बातें खोल कर रखूंगा । इस अनुपूरक बजट में जो शासन की छोटी इकाई है चौकीदार जिसको 10 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, मैं सरकार का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी (जिला वाराणसी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदया, अभी मेरे साथी बड़ा लच्छेदार भाषण कर रहे थे, उस समय मुझे बराबर याद आ रहा था ।

"वाइज का हरएक इरशाद बजा तकरीर बहुत दिलचस्प सही ।
चेहरे पे सरूदे इश्क नहीं आंखों में हया का नूर नहीं ।"

मैं अर्ज करूंगा कि यहां बजट पर बातें न करके चुनाव पर बातें कही जा रही हैं । भ्रष्टाचार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है । मैं अपने विषय पर पहले बोलता लेकिन चूंकि बात भ्रष्टाचार से शुरू हुई लिहाजा उस संबंध में दो-चार शब्द कह देना बहुत जरूरी समझता हूं। मेरे साथी पुरानी कहावत साबित कर रहे थे कि सावन के अन्धे को हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है ।" भ्रष्टाचार में रात-दिन रहने वाला आदमी या रहने वाले लोग अगर कभी मुंह से बात भी निकालेंगे तो भ्रष्टाचार की ही बात निकालेंगे (व्यवधान) अजीब लोग ये हैं जिनकी तमन्ना है वतन के बाग में सिर्फ एक तरह के फूल खिलें,

फकत इन्हीं की जुबां बज्म में रहे । गोया सिवाय इनके लबों के किसी के लब न हिलें । (व्यवधान)

जरा जिगर थाम कर बैठें और बातें सुनें। आप फरमा रहे थे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। आपने यह कहा कि न जाने कितनी बोरी चीनी पकड़ी गयी । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप जरा मालूमात कर लें कि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ा है या घटा है या इस समय भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा है । अभी चन्द दिनों की बात है, मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, मैं

बनारस की एक घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बनारस में एक अभियान चला था उनके लिये जो ब्लैक माल करते हैं। उनकी गिरफ्तारी शुरू हुई और जिन्होंने माल छिपा कर रखा था, उसे मारकेट में नहीं ला रहे थे, तो अधिकारियों ने छापा मारा और माल बरामद किया। यह स्कीम चली तो बनारस में बहुत से लोग तक पकड़े गये। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि ऐसे लोगों की पैरवी करने वाले कौन-कौन लोग हैं या आप खुद बनारस के लोगों से मालूमात करें।

इसका एक उदाहरण मैं बहुत साफ देना चाहता हूं कि बनारस की पीली कोठी में सना ऐंड संस के नाम से एक दूकानदार है सीमेंट के। उस दूकान पर हमारे पति अधिकारियों ने छापा मार कर सम्भवतः 220 बोरी सीमेंट पकड़ी जो नाजायज तौर पर छिपा कर रखी हुई थी। उनकी रात-दिन पैरवी करने वाले, थाने में जाने वाले और उनके कचहरी तक न पहुंचने देने वालों में अगर किसी का नाम साफ था तो वह आपके बी0के0डी0 के निशान पर लड़ने वाले श्री शफीक उल्लाह अन्सारी थे। आप जाकर मालूमात कीजिये, कि उनको छुड़ाने वाले, व उनकी जमानत करने वाले कौन थे और कौन थे जो चाहते थे कि उन पर मुकदमा न चल सके। बुराई दूर करने के लिये जरूरी है कि आप बुराई से नफरत करें। उसका इल्जाम दूसरे के सर पर डाल देने से बुराई नहीं खतम हो सकती मुझे आप चुप नहीं करा सकते। कम से कम मैं चूकने वाला नहीं हूं।" हम चूकने वाले नहीं, बात आये तो कह दें, "कातिल तेरे मुंह पर, तेरी तलवार के मुंह पर।" आप मेरी बात तो सुनें। "इब्तदाये इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिये होता है क्या।" तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपनी बात तो कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि जैसे हमारे मुंह में जुबान ही न है। इस तरह से आप गलतफहमी में हैं।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं मुख्तसर में एक बात की ओर आ के माध्यम से सदन ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी एक वर्ग ऐसा है जिसको आपने अपने तवज्जुह से महरूम रखा है। वह तबका है गरीब बुनकरों का जिनके मसायल की तरफ अगर ईमानदारी से देखा जाय तो सही ध्यान नहीं दिया गया और कहना पड़ेगा कि वह हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ और कुचला हुआ तबका है। मैं मानता हूं कि अभी हरिजनों के लिये बहुत कुछ करना है और लोगों का ध्यान उस तरफ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुनकरों की तरफ मैं खासतौर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रदेश में काशी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहां के बुनकर अपनी मेहनत से कमाई करके करोड़ों रुपये गैर मुमालिक से जरे मुबादला देश के लिये कमाया करते हैं। वहां की बनी हुई साड़ी के बिना किसी के यहां की शादी नहीं हो सकती। हमारे धर्म में उसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैं उन बुनकरों की मुसीबतों की बात कहना चाहता हूं जिनकी जिन्दगी में सुबह से शाम तक सिवा ताना बुना करने के और कोई काम ही नहीं है। मैं वहीं का रहने वाला हूं और वहीं से चुन कर आया हूं।

पहले भी जो लोग वहां से चुन कर आय उन्होंने उन बुनकरों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की होगी, लेकिन वे उस हद तक इसमें कामयाब नहीं रहे वरना आज मुझे यह शिकायत करने का मौका नहीं मिल मिलता। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज बनारस की स्थिति यह है कि बनारस में जो माल तैयार होता है उसकी कीमत आज भी उसे वही मिलती है जो आज से वर्षों पहले मिलती थी। लेकिन आज रेशम का भाव दुगना तिगुना हो गया है जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है कि बुनकरों को सही भाव पर रेशम मिल सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के बुनकर जो रेशम का इस्तेमाल करते हैं वह बंगलौर वगैरह से आता है उस पर वहां सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन यहां पर सेल्स टैक्स है जिसका बोझा बुनकरों पर पड़ना है। इसका मुझे बड़ा दुख है। दूसरी बात यह है कि बनारस में काम

[श्री सफीउर्रहमान]

करने वाले बुनकर करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा देश के लिये कमाते हैं । यह इतनी बड़ी रकम विदेशी मुद्रा की शक्ल में देश को देते हैं लेकिन इनके लिये कोई ठीक व्यवस्था नहीं हो रही है और न इसकी व्यवस्था की जा रही है कि इनका बनाया हुआ माल बड़ी से बड़ी मात्रा में विदेशों में भेजा जाय ताकि बुनकरों के माल की खपत विदेशों में बढ़ सके ।

एक बात और कहनी है कि हिन्दुस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में रेशम विदेशों में भेजा जा रहा है । उसको रोका जाना चाहिये । यह हमारे प्रदेश के शासन का, हमारे सदन का का कर्त्तव्य होता है कि इस ओर ध्यान दे और केन्द्र का ध्यान दिलायें । रेशम के बाहर जाने से यहां के बुनकर को रेशम ठीक दाम पर नहीं मिल रहा । इसलिये इसको बाहर जाने से रोका जाय ताकि बुनकरों को सही दाम पर रेशम मिल सकें । जो लोग प्रशासन की शिकायत करते हैं वे लोग अन्त में एक बात सुन लें ।

"मंजिल मिले मिले न मिले इसका गम नहीं ।
मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है।"

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदया, पूरक बजट के संबंध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं । पूरक बजट को पढ़कर मुझे खुशी होती यदि इसमें ऐसे वर्ग की सुख-सुविधा का ध्यान रखा गया होता जिसका नाम लेकर हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं। मेरा इशारा पिछड़ी हुई जातियों के लिये है जिनका जीना प्रदेश में दूभर हो गया है मैं दावे से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल में आज किसी गांव की हरिजन बस्ती में लोगों को एक समय भी खाना नहीं मिल पाता है। मेरी बात का जवाब वहां के हरिजन विधायक दे सकते हैं । इस पूरक बजट में पूर्वांचल के विकास के लिये किसी भी योजना की ओर संकेत नहीं किया गया है । यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता आन्दोलन में अगली पंक्ति में रहने वाले आज भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। आपने 22 तारीख के "जागरण" समाचार-पत्र में पढ़ा होगा कि एक हरिजन महिला अपने तीन मासूम बच्चों को गोद में लेकर कुंयें में कूद गई क्योंकि उसके खाने का कोई ठिकाना नहीं था ।

बांदा में जो हुआ है उसको सब लोग जानते हैं । यह सरकार क्या कर रही है । एक पत्र पढ़कर सुना देना चाहता हूं। यह पत्र इस प्रकार है कि "12 मार्च 1974 थाना मंझनपुर के थानाध्यक्ष श्री विजय सिंह श्रीवास्तव तथा ओ0पी0 चौकी अफजलपुरवारी क सिपाही रामबिलास ने ग्राम खांड़ेपुर के 16 वर्षीय हरिजन (चमार) लड़की नथिया को नगा करके उसकी बेतों से पिटाई की तथा उसको नंगा करके पूरे ग्राम में टहलाया और ग्रामीणों को आतंकित किया। ज्ञातव्य हो कि नथिया का बड़ा भाई शिवदास खेतिहर मजदूरों को संगठित किये हैं जिससे वह मजदूरी, अन्याय, शोषण तथा भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिये काफी सक्रिय रूप से काय कर रहा है । पुलिस बड़े-बड़े काश्तकार कांग्रेसी, पुलिस के दलाल, ग्रामीणों को आतंकित करने के लिये उक्त घिनौना कार्य किया ।" प्रार्थी शिवदास, ग्राम खांड़ेपुर, थाना मंझनपुर, इलाहाबाद ।

अधिष्ठात्री महोदया, इस तरह की घटनायें न केवल इलाहाबाद में बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे किसी दूसरे सन्दर्भ में कह गये, लेकिन आप क्या चाहते हैं यही न कि जनतंत्र न रहे । विरोधी पक्ष के लोगों को जेल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में जाना पड़ेगा हमारे कार्यकर्त्ताओं को दबाया जायेगा। हम विरोधी पक्ष के लोग इसका सामना करने के लिये तैयार हैं । जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है । हमें एक बात यह भी कहनी है कि इलेक्शन रिटर्न सभी लोगों ने जमा किया है क्या सभी ने 13 हजार रुपया ही खर्च किया ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने वादा किया था कि चीनी मिलों का राष्टीयकरण होगा और यह सरकार उन गरीब किसानों को तरह-तरह के आश्वासन देकर उनके वोट लेकर आयी है । उन चीनी मिलों का क्या हुआ। कितने किसानों के गन्ने का मूल्य बाकी है। अपनी न्यायोचित मांग के लिये 3 मार्च को सिराथू जिला इलाहाबाद में रेल भाड़े की वृद्धि के विरोध में सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सत्याग्रह किया । इस सत्याग्रह में 13 लोग मारे गये 250 जेल में हैं और 12 लोग जख्मी है । ये लोग पुलिस की पुरानी रंजिश के कारण मारे गये हैं और वे लोग जेल में सड़ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने हड़ताल किया अपनी मांगों को लेकर । यह तो नीति गत समस्या है। आपको यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस पूरक बजट में सरकार की अकर्मण्यता का द्योतक है। इस पूरक बजट में प्रदेश की सही तस्वीर सामने नहीं रखी गयी है । मैं इस गजट से अपनी असहमति प्रकट करता हूं ।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)---

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग जो स्वयं करते हैं उसका आरोप सरकार पर लगा देते हैं । सरकार को दुहाई देते हैं । नेता विरोधी दल ने पहले जितने चार्ज लगाये कि हमने बेईमानी से चुनाव जीते हैं । अराजक तत्वों ने लोगों को पैसों से खरीदा है ।

(कुछ सदस्य एक साथ खड़े होकर–इन शब्दों को वापस लिया जाये ।)

श्री श्याम मिश्रा---

मैं बिलकुल वापस नहीं लूंगा।. . . (व्यवधान) . . .शोर. . .श्री ब्रम्हानन्द ने भारती क्रांतिदल का समर्थन कराया। उप नेता भारती क्रांति दल, श्री राम सेवक यादव कह रहे थे. . चीनी मिल के राष्ट्रीयकरण के बारे में कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने एक कमेटी चीनी मिलों के बारे में बनाई थी, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई।. . . (व्यवधान) . . .हम दावे के साथ कहते हैं कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने का दम चौधरी चरण सिंह जी में नहीं था और न है . . . .; (व्यवधान) . .यह काम सिर्फ कांग्रेस करेगी । चौधरी चरण सिंह जिन्होंने जनद्रोही कामों के जरिये से. . . (शोर) . .; उनको भी कभी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये थी कि उनको बहुमत मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता यह महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को अगर कोई दूर नहीं कर सकता है तो वह केवल कांग्रेस की हुकूमत ही कर सकती है । (व्यवधान) . .

एक सदस्य---

इन्हें डिप्टी मिनिस्टर जरूर बनाइयेगा ।

एक सदस्य---

ये डिप्टी मिनिस्टर बनने लायक हैं ।

एक सदस्य—

नहीं, ये डिप्टी स्पीकर भी बनने लायक हैं ।

श्री श्याम मिश्रा—

(व्यवधान)....यही हालत हमारे नेता विरोधी दल की है। (व्यवधान).... उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर यह बात सिद्ध कर दी है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिक्रियावादी तत्वों को, पूंजीपतियों के दलालों का कोई अस्तित्व नहीं है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं (व्यवधान)....

एक सदस्य—

आप को पूरी छूट है, आप जितना चाहें बोलें (शोर)...

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग जो कार्य स्वयं करते हैं उसके लिये आरोप सरकार पर लगाते हैं । नेता विरोधी दल माननीय चरण सिंह ने अपने भाषण में कांग्रेस पर बेईमानी से चुनाव जीतने और चुनाव के दौरान अधिकारियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है । श्री चरण सिंह का आरोप असत्य है और इस मंशा से लगाया गया है ताकि उन्होंने चुनाव में जो भ्रष्टाचारी तरीके अख्तियार किये थे उनकी जांच की मांग न उठ सके । श्रीमन् मेरा आरोप है कि चौधरी चरण सिंह ने अपने नेतृत्व मे त्रिगुटा मोर्चा जिसमें भारतीय क्रांतिदल, संसोपा और मुसलिम मजलिस शामिल थी को जो चुनाव लड़ाया है उसमें विदेशी पैसा का इस्तेमाल किया, तमाम उत्तर प्रदेश में समाज विरोधी तत्वों को पैसे से खरीद कर गरीब मतदाताओं को आतंकित कराया है और दुष्ट सरकारी अधिकारियों से अपन दल के लिये चन्दा वसूल कराया है तथा चुनाव में बेईमानी कराने की कुचेष्टा की है । श्रीमन्, मैं चौधरी साहब द्वारा चुनाव में किये गयेभ्रष्टाचार की जांच की मांग सरकार से करता हूं ।

उदाहरण की तौर पर श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर नगरमहापालिका के उपनगर अधिकारी श्री रमा रतन शुक्ला ने भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवारों का खुला समर्थन किया । भारतीय क्रांति दल के चुनाव जलूस में तथा चुनाव सभाओं में खुलकर हिस्सा लिया । कानपुर नगरमहापालिका के चुंगी विभाग से भारतीय क्रांति दल के चुनाव फंड के लिये इस अधिकारी ने हजारों रुपया चन्दा करा कर दिया । यही नहीं इस भ्रष्ट अधिकारी ने कानपुर के नाल पर जो कलेक्टरगंज घंटाघर के पास है बिना किसी अधिकृत परमिट के तमाम लोगों को खुद खड़े होकर कब्जे कराये ताकि वे लोग भारतीय क्रांति दल का समर्थन करें । श्रीमन्, मैं मांग करता हूं कि कानपुर नगरमहापालिका उप नगर अधिकारी श्री रमा रतन शुक्ला को अविलम्ब निलम्बित कर उनके गलत कार्यों की जांच कराई जाय और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्रीमन्, भारतीय क्रांति दल के विधायक दल के उप नेता श्री रामसेवक यादव ने कांग्रेस पर जनता को धर्म की ओर ढकेलने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस जनता को धार्मिक बनाये रखकर पिछडा बनाये रखना चाहती है ताकि हमेशा वोट कांग्रेस को मिलते रहे । मेरा श्री यादव से यह कहना है कि वह पहले अपने नेता श्री चरण सिंह को गोद से उठाये जिन्होंने चुनाव से पूर्व कानपुर नगर महापालिका के उप नगर अधिकारी श्री रमा रतन शुक्ला जिनका हवाला मैं अभी दे चुका हूं कि सिविल लाइन्स अट्ठे वाली कोठी स्थित निवास स्थान पर चार घंटे तक हवन करके मुख्य मंत्री बनने की कामना मंत्र तंत्र जंत्र के जरिये पूरी करने की कोशिश की थी ।

श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह जी ने अनुशासन के नामपर छात्र संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाया था और आज उन लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है जिन्होंने माननीय सदन में चप्पल फकी। इसके अर्थ हैं कि जब चौधरी साहब कीअनुशासन के प्रति मान्यतायें समाप्त हो चुकी है और वे

चुनाव में हुई अपनी पराजय में अपना संतुलन इस हद तक खो चुके हैं कि उन्ह अनुशासनहीनता के प्रति अनुराग हो चला है वे जनद्रोही कार्यों को करने के लिये पूर्णतया तैयार हैं। श्रीमन, चौधरी साहब ने कहा है कि यदि वोट के जरिये सरकार बदलना सम्भव न हुआ तो जनता दूसरे तरीके अख्तियार कर सकती है । मैं चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हिंसक राजनीति का कोई भविष्य नहीं है इस प्रदेश में गांधी की हत्या दुबारा नहीं हो सकती क्यों कि जनता बखूबी जानती है कि जनतंत्र की रक्षा का नारा दे कर आप जनतंत्र की हत्या की साजिश कर रहे हैं ?

श्रीमन, चौधरी चरण सिंह को अपनी हार और कांग्रेस की जीत का कारण जान लेना चाहिये । चौधरी साहब इसलिये हारे कि प्रदेश की जनता ने संयुक्त विधायक दल की सरकार के मुख्य मंत्री के रूप में उनकी कुर्सी भोगी राजनीति को देख चुकी थी और समझ चुकी थी कि श्री चरण सिंह वास्तव में श्री चेयर सिंह हैं जो कुर्सी पाने के लिये हर सिद्धांत और मान्यता की हत्या कर सकते हैं । श्रीमन, कांग्रेस इसलिये जीती क्योंकि मननीय हेमवती नन्दन बहुगुणाने चुनाव से पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में इतना तेजी से जनता के लिये कार्य किया कि प्रदेश के आम गरीब इन्सान में विश्वास दृढ़ता के साथ जागा कि यदि जनता का भला कर सकता है तो केवल कांग्रेस सरकार ही कर सकती है ।

श्रीमन, अन्त में मैं पुनः अपने आरोपों को दोहराता हूं कि चौधरी साहब ने विदेशों की पूंजी का इस्तेमाल किया है, समाज विरोधी तत्वों को पैसे से खरीद कर गरीब मतदाताओं को आतंकित कराया है और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों से अपने दल के लिये चन्दा वसूल कराया है तथा चुनाव में गड़बड़ी कराने की कुचेष्टा की है–मैं उनके कुकृत्यों की जांच की मांग दोहराता हूं ? श्रीमन, इन शब्दों के साथ मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझें इन अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्रदान किया माननीया, माननीय बहुगुणा जी के मुख्य मंत्री पद पर आसीन होने के 4 महीने बाद यह बजट हमारे सामने आया है । इस बजट में, मान्यवर, कुछ नयी नयी स्कीमों का जिक्र किया गया है, कुछ नयी-नयी योजनाओं का जिक्र किया है और इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ अनुदानों की इस बजट के अन्दर मांग की है । माननीया मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसको इस बात का गर्व है कि उसने 2–2 मुख्य मंत्रियों को दिया, माननीय गोविन्द बल्लभ पंत और माननीय बहुगुणा जी ।

हमारे क्षेत्र की जनता को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी-बड़ी आशायें थीं, हम सोचते हैं कि आज तक जो हमारे क्षेत्र में गरीबी रही है और भुखमरी रही है, शायद माननीय बहुगुणा, मुख्य मंत्री के पद पर आसीन होने के बाद, इस क्षेत्र की गरीब जनता को कुछ राहत मिलेगी । इसी उम्मीद के साथ इस अनुपूरक बजट को देखा । ढूंढने की कोशिश की कि इस क्षेत्र के अन्दर जो क्षेत्र न केवल उत्तर प्रदेश, के अन्दर बल्कि तमाम भारतवर्ष के अन्दर सबसे पिछड़ा है, गरीब क्षेत्र है, हमको नयी-नयी योजनायें मिलेंगी जैसे कि तमाम जगह मिली है लेकिन वैसा नहीं है। न केवल यह कि इन पहाड़ों की उपेक्षा की गयी है बल्कि यह भी देखा गया है कि जो शोषण गत 25 वर्षों से इस प्रदेश के अन्दर इस पर्वतीय अंचल का चला आ रहा था, उसको रोकने के लिये, कम करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है । लगातार इस सदन के अन्दर इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि पहाड़ों की गरीबी, पहाड़ों की लूट खत्म होनी चाहिये । वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है । हमारी चोटियों पर बड़े-बड़े बेशकीमती जंगल है, दौलत वहां से मिलती है, लेकिन आज हालत क्या है जो रा मैटीरियल वहां पर मिलता है उसका इस्तेमाल वहां की जनता के विकास के लिये नहीं होता है बल्कि मैदानों के बड़े-बड़े लोगों द्वारा लूट होती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

बड़े-बड़े जंगलों का लाट में नीलाम होता है। सरकार ने घोषणा की थी कि उनका छोटे-छोटे लाटों में नीलाम किया जायगा ताकि वहां की जनता उसको ले सके, लेकिन हरिद्वार और पंजाब के बड़े-बड़े लोग इन्हें बड़ी-बड़ी लाटों में खरीद लेते है। आप समाजवाद की बात करते हैं ?

कौन नहीं जानता कि मैंगनासाइट अलमोडा में आपने किसको दिया । टाटा महाराज इस मामले में सरकार के साथ साझेदारी कर रहे हैं । टनकपुर से लकर ऋषिकेश तक जितने भी युक्लिप्टस के जंगल हैं, उनको आप बिरला महाराज को सौपने जा रहे हैं और क्या यह सही नही है कि आज आप भी समाजवाद की बातें करके सहारनपुर की जो स्टार पेपर मिल है, उसके मालिक को हमारी चीड़ की लकड़ी, हमारे जंगलों से लेकर, टेढे मेंढे रेशे के नाम पर 7 रुपये घनफुट के हिसाब से दे रहे हैं जब कि स्थानीय जनता को इमारतें बनाने और आग जलाने के लिये लकड़ियां नही मिलती हैं ? मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें तो इन चीजों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें ।

इस अनुपूरक बजट में रामगंगा परियोजना का बहुत जिक्र है, लेकिन टिहरीबांध परियोजना स्थगित हो गयी ? क्या होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है । इस सदन के अन्दर लगातार यह सवाल आ चुका । हमको गौरव है कि हमारे पर्वतों ने इस देश को गंगा और यमुना का पानी दिया । हम गौरव से कहते है, कि हमारे पर्वत प्रदेश को प्रकाश देंगे । टिहरी के अन्दर आप बांध बनाने जा रहे हैं जो कि एशिया के अन्दर सबसे ऊंचा बांध होगा और इस प्रदेश की 1/7 पानी की आवश्यकता को पूरा करेगा। लेकिन कभी आपने यह भी सोचा कि उन 22 गांवों का क्या होगा, उन 82 गांवों का क्या होगा जो बांध बनाने के बाद डूब जायेंगे ? उन 23 हजार किसानों का क्या होगा जो पानी के अन्दर दब जायेंगे ? यह सही है कि उससे उत्तर प्रदेश को प्रकाश मिलेगा, पश्चिमी प्रदेश की सिंचाई के लिये पानी मिलेगा, लेकिन पहाड़ के निवासियों को जिनको आप बेघर-बार करने जा रहे हैं जिन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी चट्टानों को काट कर अपने घर बसाये उनके पुनर्वास की क्या योजना बनाने जा रहे हैं ?

इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पुनर्वास व्यवस्था के लिए पहाड़ों की व्यवस्था के लिये, वहां की विद्युत् के लिये प्राथमिकता पहाड़ों को दी जाय। इस चीज के लिये एक भगीरथ विकास अधिकरण बनेगा । मैंने राज्यपाल का भाषण भी सुना, वित्त मंत्री जी का भाषण भी सुना लेखानुदान आगे आ रहा है वह भी पढ़ लिया, लेकिन उस भगीरथ विकास अधिकरण का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता । मुझे संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मिर्जापुर के अन्दर भी आपने बांध बनाया और रिहंद में बांध बनाया और वहां के बनवासियों को और जनजातियों को बेघर बार किया था । जबकि आश्वासन दिया था कि जो बिजली उत्पादित होगी वह उनके विकास के लिये भी खर्च की जायगी, तो डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिर्जापुर के बनवासी जिस तरह आज भी इधर-उधर ठोकरें खा रहे है और उनकी बिजली बिड़ला को 2 पैसे की दर पर आपने दे दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेहरी का बांध बनेगा और वहां की जनता बरबाद हो जायगी, पर्वतीय जनता घरघाट से अलग हो जायेगी तो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये वहां भी कोई बिड़ला आ जायगा और दो पैसे की दर पर उनकी बिजली को ले जायगा—यह डर पैदा होता है ।

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज टेहरी के अन्दर जाइये—बदकिस्मती से इस चुनाव के दौरान वहां कोई मंत्री नहीं जा सका—वहां की जनता में भयंकर बेकारी और गरीबी है । आपका पटवारी जाता है, लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही करने की बात करता है, जबर्दस्ती कब्जा करनेकी बात करता है, लेकिन अभी तक आपने कोई निश्चय नहीं किया कि वहां जो जमीनें आप अधिग्रहण करेंगे उनका किस दर पर मुआविजा देंगे । यही नहीं, अभी तक रेकार्डस दुरुस्त नहीं किये गये हैं कि किस जमीन पर किस का कब्जा है । आपने वायदा किया था कि देहरादून तराई के अन्दर जंगलात की जमीनें लेकर टेहरी के विस्थापितों

को बसायेंगे । साल भर हो गया, कहां वह जमीन है, कितने आपने फार्म बनाये, कितना रुपया आपने उनके पुनस्थापन के लिये रखा है इसका कोई जिक्र न तो इस अनुपूरक बजट में है और न आने वाले बजट में ही है ।

आपकी नीति क्या है ? समाजवाद के जो वसूल हम लोगों को बताये गये हैं उनमें सब से बड़ा उसूल यह भी है कि क्षेत्रीय असन्तुलन को खत्म कर दिया जाय । ऐसा नहीं होना चाहिये कि विकसित क्षेत्र के लोग अविकसित क्षेत्र के लोगों का शोषण कर सकें । ऐसा नहीं होना चाहिये कि अविकसित क्षेत्र की जो प्राकृतिक संपदा है उसका इस्तेमाल विकसित क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करने के लिये हो । पर्वतीय अंचल के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कौन सी ठोस योजनायें आज सरकार इस सदन के सामने रख रही है ? सही बात है, लेखानुदान के ऊपर चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन यह भी सही है कि जो लेखानुदान सदन के सामने आने वाला है उसे उसी सरकार ने बनाया है जो पहले से ही पदासीन है । हमें उम्मीद थी कि भले ही यह चार महीने का बजट आ रहा हो उसमें सरकार की नयी नीतियों के बारे में कोई प्रकाश मिलेगा । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें भी कोई जिक्र नहीं है । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, माननीय वन मंत्री यहां पर मौजूद हैं और माननीय वित्त मंत्री जो पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं वे भी यहां पर मौजूद हैं ।

आज पूरे चमोली, उत्तर काशी और टेहरी के अन्दर बहुत भयंकर आन्दोलन चलने वाला है सरकार के खिलाफ । सरकार इसके बावजूद पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों की लूट कराने की व्यवस्था कर रही है । आज टेहरी, उत्तर काशी और चमोली की जनता ने साफ एलान कर दिया है कि वह बड़े-बड़े ठेकेदारों को जंगल के अन्दर घुसने नहीं देगी । एक-एक बच्चा एक-एक महिला और एक-एक नौजवान पेड़ से चिपक जायगा अगर आपने फौरन तमाम ठेके निरस्त नहीं किये तो बड़ा भयंकर आन्दोलन पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाला है ।

श्री गंगा स्वरूप (जिला सीतापुर)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आपने जो इस अनुदान पर मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । हम ताज्जुब करते हैं यहां का वातावरण देख कर । हम पर जिम्मेदारियां हैं इस वजह से हमारी वही हालत है कि "तन अन्दर भट्ठी जले, बाहर धुआ न होय ।" हम उस वक्त विरोधी दल की बातों में वजन समझते कि जब इनको शासन करने का मौका न मिला होता । संविद सरकार बनी और इनको यह मौका मिला कि अपनी योग्यता को शासन चला कर दिखलाते । लेकिन हमें वह बात याद आ गयी, इनकी मिसाल वही है कि एक आदमी अपनी भैंस को रात में छोड़ दिया करता था और जब वह चर कर आ जाती तो रात में ही उसे दुह लिया करता था । एक दिन इत्तफाक से उसकी तबियत खराब हो गयी तो उसने अपने लड़के से कहा कि आज तुम भैंस दुह लो । जब लड़का दुहने गया तो उसने कहा बप्पा ये थन तो सब एकत्र हो गये हैं । वाकया यह था कि लोग परेशान हो चुके थे, उन्होंने वहां भैंसा बांध दिया था । तो आप लोग भी उसी तरह एकाग्र हो गये, और संविद सरकार को न चला सके जिस प्रकार से वह व्यक्ति दूध को न पा सका । (व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको सोच समझ कर काम करना चाहिये (व्यवधान) . . .

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आप बैठ जाइये, बैठिये, बैठिये . . . (व्यवधान) . . .

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जिस घटना का जिक्र किया वह क्या संसदीय हो सकती है ? उसको कायवाही से निकाल दिया जाय ? माननीय सदस्य को उस घटना को वापस लेना चाहिय ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई घटना असंसदीय नहीं होती ।

श्री गंगा स्वरूप—

एक दोहा है, "जो तोको कांटा बोये, ताहि बोये तू फूल, तोको फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल।" कल सदन में जो चप्पल फेंकने की घटना घटी, उसमें आपने देखा कि वह चप्पल विरोध पक्ष के ऊपर ही जा कर गिरी . . . (व्यवधान) ।

अब मैं अपने क्षेत्र बेहटा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां तीन कान्सटीटुएन्सीज हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां का क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाय और उसके उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। हमारे यहां की सड़कें बहुत खराब हैं, उनको भी ठीक कराया जाय । त्वरित योजना में जो सड़कें बनी हैं वे पुल न होने के कारण बेकार पड़ी हैं । जांहगीराबाद में पुल का होना बहुत जरूरी है। उसे शीघ्र बनवाया जाय । एक सरकारी स्कूल की भी अत्यन्त आवश्यकता है। उसे भी तुरन्त थान गांव में खुलवाया जाय। साथ ही हमारे यहां का जो पिछड़ापन है उसे दूर किया जाय । आशा है मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदया, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारा प्रदेश अन्य कई प्रदेशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मणिपुर, त्रिपुरा और राजस्थान को छोड़कर सभी से पिछड़ा है। आज तक इसके विकास के लिये कोई योजना तैयार नहीं की गयी । किसी भी प्रगति का यही मापदंड होता है कि वहां की इन्डस्ट्री की हालत कैसी है । उसका विकास कैसा है ।

हमारा उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश है कि यहां पर केवल 4 परसेंट आदमी इन्डस्ट्री में काम करता है । जहां तक राष्ट्रीय आय का सवाल है 80 लाख आदमी ऐसे हैं जिनकी आय केवल 11 रुपया महीना है । ऐसी परिस्थिति में माननीय वित्तमंत्री जी से कहूंगा कि यह जो आखिरी पैराग्राफ है, उसमें सेन्ट्रल ऐड का जो सवाल है, इससे कुछ नहीं हो पायेगा । जब तक ऐड के लिये ज्यादा पैसा नहीं मिलगा, इस प्रदेश का कोई विकास नहीं हो पायेगा—न एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो पायेगा, न एजूकेशनल डेवलपमेंट हो पायेगा और न साइंटिफिक और तमाम दूसरे प्रकार का डेवलपमेंट का कार्य हो पायेगा। हमारे हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे तबके हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं जो कहते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज से देश का विकास नहीं होगा, केवल काटेज इण्डस्ट्रीज से काम चलेगा और प्रदेश का विकास हो जाएगा। इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में हैवी इंडस्ट्रीज प्लस काटेज इंडस्ट्रीज की हमारे प्रदेश में बड़ी आवश्यकता है। दोनों का विकास साइमलटेनियस्ली होना चाहिये। नहीं तो हम पूरे देश में पिछड़े रहेंगे । जैसाकि हमारे नेता ज्योतिर्मय वसु जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक गरीबी व्याप्त है कि वहां अनेक क्षेत्रों के लोग गोबर का अनाज निकाल कर खाते हैं। वह ठीक है और बिना इसके किए वह स्थिति समाप्त नहीं हो सकती है। यहां पर जो महानुभाव काटेज इण्डस्ट्री की एकमात्र बात कहते हैं वे उत्तर प्रदेश के नम्बर एक दुश्मन हैं।

अब मैं चीनी के बारे में कुछ बात करूंगा। हमारे देश में चीनी के दाम दुनियां भर में सबसे ऊंचे हैं। छोटे से छोटे देश में भी हमसे कम हैं, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं

"India has the lowest per capita income in the world but the consumer pays the highest price for sugar. In India the price per kilo ranged from Rs.4 to Rs.4.25 while the per capita income is 548. In Venezuela a per capita income is Rs.6,000 and the price is Rs.1.66 per kilo. In fact in no other country did the price exceed Rs.3.00. For intsance Netherlands had a per capita income of Rs.13.477 and the price of sugar is Rs.2.90."

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप देखे, कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 3 रु० किलो से अधिक की कीमत हो, किन्तु हमारा देश ऐसा है जहां पर शुगर का भाव 4 रुपया और पांच रुपया है। शुगर इंडस्ट्री को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाये है, यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। इतने धनी देश अमेरिका में भी चीनी का भाव यहां से कम है। क्या कारण है कि यहां पर 5 रु० किलो खरीदनी पड़ती है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक प्रमुख बात यह है कि जहां तक इंडस्ट्रीज का कन्सर्न है, हमारे सूबे में तथा पूरे हिन्दुस्तान में कुछ फारेन कन्सर्न ऐसे हैं, जो यहां पर हैवी लूट कर रहे है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को साधारण दवाएं भी बड़े महंगे दामों पर मिलती हैं। प्राण रक्षक इंजेक्शन भी एक से एक कीमती मूल्य पर गरीब को मिलते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि ऐसी शोषक कम्पनियों को यहां पर इजाजत दी जाती हैं लूटने की। ऐसे कारखानों को सरकारी संचालन में क्यों नहीं लिया जाता, यह मेरे समझ में नहीं आता है ? यहां पर कोको-कोला ऐसी चीज, जिसकी लागत प्रति बोतल मुश्किल से 15 पैसा आती है, वह भी हमें बाजार में 80–90पैसे की मिलती है। ऐसी फारेन इंडस्ट्रीज को जो यहां पर भारी लूट कर रही हैं, यहां पर पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं खोला जाता है ? ऐसी चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमें किन चीजों की जरूरत है। नटशेल में कह दूं कि वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी-ऐसी इंडस्ट्रीज खोली जायें, जिसमें विदेशी कम्पनियां लूट करती हैं। साथ ही हमें सन्टर से अपना पूरा हिस्सा और जो पिछले समय में कमी रही है, वह सब का सब लेने का पूरा प्रयास करना चाहिये और जोर लगाकर करना चाहिये।

हमारा सूबा बहुत पिछड़ा हुआ है। बस्ती और आजमगढ़ जिलों में प्रति वर्ष आय 320–325 रुपया के बीच में है। बहुत से गरीब आदमी गांवों के अन्दर ऐसे है जो एक घर के अन्दर दस-दस आदमी रहते हैं। मैं वोट के सिलसिले में एक गांव में गया। वहां एक गरीब ने कहा कि हमारे चार बच्चे हैं, उनके सोने तक के लिये हमारे पास जगह नहीं है। उसने कहा कि हमारा बच्चा जिस भूस्वामी के यहां काम करता है वहीं सोता है। कम से कम अगर पैसा नहीं दे सकते, मकान नहीं दे सकते तो आवास के लिये भूमि अवश्य दीजिये, जिससे वह कह सकें कि पैर रखने के लिये उनके पास जगह तो है।

एजूकेशन का मैं जिक्र कर चुका हूं। उसमें भी कालेज और यूनिवर्सिटी रिसर्च के क्षेत्र में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हमारा पूरा देश पिछड़ा हुआ है। हमारे देश के लोग बाहर चले जाते हैं और हमारे यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिसकी वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट रुका हुआ है। अगर स्टेट को तरक्की देना है तो कम से कम ऐग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें विशेष सुविधाएं दें जिससे हमारे सूबे की उन्नति हो सके। इन शब्दों के साथ, चूंकि टाइम खत्म हो चुका है मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देंगे। जय हिन्द।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। विचार व्यक्त करने के पहले, बजट से पूर्व, मैं कुछ बातों को जो दिल में पीड़ा उत्पन्न हुई, रखना चाहता हूं। विरोधी दल के सम्मानित नेता ने, तथ्यों के विपरीत तथा उन चीजों के बारे में उन्होंने बिलकुल सदन को गुमराह कर दिया, जो सत्य से परे थीं ऐसी चीजों को कहा। ऐसा लगा कि झूठ को इतनी बार बोला गया कि हिटलर के प्रचार मंत्री गोबिल्स की याद आ गयी कि झूठ को इतनी बार बोलो कि सत्य प्रतीत हो। उन्होंने भारतीय क्रान्ति दल के निर्माण के संदर्भ में महात्मा गांधी का नाम लिया, उस महान आत्मा का नाम लिया जिसने

[श्री गुलाब सेहरा]

हरिजन उद्धार में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, जब कि चुनाव में भारतीय क्रान्ति दल ने हरिजन शब्द को ही मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने जनतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास इस चुनाव में किया। हमारे पक्ष ने जनतंत्र की हत्या नहीं की। जनतन्त्र की हत्या का प्रयास उन्होंने पूरे प्रदेश में किया, अल्पसंख्यकों, हरिजनों को वोट डालने नहीं दिया गया। आगरा में चालीस पोलिंग स्टेशन जैसे टूंडला क्षेत्र, ऐतमादपुर क्षेत्र, किरावली क्षेत्र में उन्होंने हरिजनों को वोट डालने नहीं दिया। और जनतंत्र की हत्या का प्रयास किया। (व्यवधान) सुनिए।

दूसरी विशेष बात, हम नव निर्वाचित सदस्य, जब विधान सभा में, आये तो ऐसा महसूस करते थे कि विरोधी दल सदन की गरिमा, मर्यादा और संसदीय प्रणाली में आस्था रखता होगा। लेकिन मुझे यहां का दृश्य, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर, देखकर, जिस दृश्य को विरोधी पक्ष ने उपस्थित किया, उससे मुझे ऐसा लगा कि विरोधी पक्ष संसदीय प्रणाली में आस्था रखने वालों को चुनवा कर नहीं लाया है बल्कि कुछ विशेषज्ञों को चुनवा कर लाया है जो छलांग लगा कर बेंच से डेस्क पर और डेस्क से मंच पर पहुंच जाते हैं। वह संसदीय प्रणाली में आस्था रखने वालों को चुनवा कर नहीं लाया, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स लाये हैं जिन्होंने टोलियां बना कर 60–70 पैसे कागजों में लपेट कर मेंज पर फेंकी। वे संसदीय प्रणाली में आस्था रखने वालों को निर्वाचित करा कर नहीं लाये, बल्कि कुछ लोग बाहें ऊपर करके लड़ने की स्थिति में देखे गये लगा कि कुछ पहलवान निर्वाचित करा के लाये हैं संसदीय व्यवस्था में विश्वास करने वाले नहीं। आपके माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि विरोधी दल संसदीय प्रणाली में आस्था नहीं रखता है। अगर कोई व्यक्ति इधर से बोलता है तो कई बार विघ्न और बाधा उपस्थित करने की कोशिश करते हैं।

आगरा जूता कुटीर उद्योग जिसमें जनसंघ दल के व्यापारी व अढ़तिया क्रियाशील सदस्य हैं उन्होंने गरीबों का शोषण किया है।

अभी हाल में जिस वक्त उन जनसंघ के क्रियाशील सदस्यों ने जिनका जूते के रा-मेटीरियल में एकाधिकार है, उन्होंने अपना प्रत्याशी जनसंघ से लड़ाया था, उन्होंने चुनाव के दौरान जूतों के कुटीर उद्योग वालों को यह धमकी दी कि अगर वह जनसंघ को वोट नहीं देंगे तो उनको रा-मैटीरियल उपलब्ध नहीं हो पायेगा। आज स्थिति यह है कि जब जनसंघ का प्रत्याशी हार गया तो उन्होंने 50–40 प्रतिशत प्राइसेज बढ़ा दी हैं और उनको जूता के लिये रा-मैटीरियल नहीं मिल रहा है। वह सीधे यह बात करते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिसको जिताया है उससे ले आओ। यह जनसंघ के लोग कर रहे हैं। 25 वर्षों से उनका शोषण ये लोग कर रहे हैं। जब जूता कुटीर उद्योग वालों को यह पता लगा कि कांग्रेस समाजवाद की ओर बढ़ रही है और एक निगम की स्थापना करने जा रही है तो उन्होंने पूरा सहयोग कांग्रेस को दिया इस समय अधिकांश दलित वर्ग के लोग जूते का काम करते हैं, उनको भूखा मारने की नौबत इन जनसंघ वालों ने कर दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उन जूता कुटीर-उद्योग की तरफ ले जाना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जूता निगम की स्थापना की जो घोषणा की गई है उसे शीघ्रातिशीघ्र लागू करायें और शीघ्र ही स्थापना करें। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने हमें इस अनुपूरक बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया। महोदया, हमारे माननीय उप नेता सदन श्री तिवारी जी चले गये, लेकिन मैं इधर 3–4 रोज से इस सदन में उनकी बातों को सुन कर अस्तब्ध

आज से 15 वर्ष पहले जब मैंने इन्हें देखा था, यह जब अपने क्षेत्र में हमें ले गये थे तो उस वक्त हालत यह थी कि समाजवाद और गरीब उद्धार के नाम पर उन्होंने कितने ही अच्छे संगठन बना रखे थे, आज उनका कितना कठोर हृदय हो गया है, यह समझ से परे है।

माननीया, मैं आपके द्वारा अपने सामने बैठे हुये साथियों से यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर समाजवाद के नाम पर, जो डकोसला मचा रखा है क्या इन्हें इसका कतई ज्ञान नहीं है। अभी आज ही पहले यही यह सवाल उठा था कि आज से 8 महीने पहले गुजरात के गरीबों को पेट भरने के नाम पर उस पक्ष के कुछ लोगों ने एक फर्जी संस्था, आदर्श सेवा समिति बना कर एक हजार टन गल्ला दिल्ली के मारकेट में ले जाकर बेच दिया। उसकी बात जब उठी तो इस सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने स मामले की जांच की, उस समय तक जब तक कांग्रेस मंत्रि-मंडल नहीं बना था तब तक कार्यवाही चलती रही और इस सरकार के आते ही उसको दबा दिया गया। आज जब यह सवाल चौधरी साहब द्वारा फिर उठा तो कितनी खूबसूरती के साथ जवाब मिला कि अब तक उन्हें ज्ञान नहीं था।

आज सूबे की क्या हालत है ? इस सरकार ने बितरण की दुहाई देकर काफी परेशानी बढ़ा दी है और उसके बाद अब कार्ड का डकोसला बना दिया है। देहातों में कार्ड इनके लोगों ने बांटे हैं और उन्हीं लोगों को कार्ड दिये हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। जिन बेचारों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया आज डेढ़ महीने हो रहे हैं उनको कार्ड नहीं मिला। जरा सोचने की बात है कि एक तरफ तो यह पाबन्दी कि बिना कार्ड के मिट्टी का तेल, जीवन उपयोगी सामान नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, सोचे उनको सामान कैसे मिलेगा जिनको आज तक कार्ड नहीं मिला, बाजार में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। गरीब लकड़ी जला कर, पत्ती जला कर, वह रोशनी करके रोटी खाते हैं। आज 27 वर्षों की हुकूमत में इन्होंने क्या हालत कर दी है फिर भी यहां आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। अभी हमारे पूर्ववक्ता भाई ने कहा है कि गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया, हरिजनों के साथ जो जूते का काम करते हैं उनके लिये जो आवश्यक सामान है उसका एकाधिकार जनसंघ के लोगों के हाथ में है। जो उनको तंग करते, उनका शोषण करते हैं। यह हरिजनों का पोषण करने वाली सरकार आज तक उन गरीबों के लिये सामान का इंतजाम तक नहीं कर सकी जो लघु उद्योग चलाते हैं। इस पर भी उनके सदस्य शान के साथ बक रहे हैं कि हमी गरीब के रक्षक हैं।

आज देश की क्या परिस्थिति है ? दाने-दाने के लिये लोग परेशान हैं। भर पेट अन्न नहीं मिलता, किसानों को पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिली। डिजल पर पाबन्दी लगा दी, बिजली में कटौती कर दी। नतीजा यह हुआ कि छोटे-छोटे काश्तकारों के डिजल पंप बन्द हो गये लेकिन बड़े-बड़े कारखानेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा बिजली की कमी से। बिड़ला का कारखाना एक दिन के लिये भी बंद नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिये। डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने कहा कि इतनी बड़ी-बड़ी बालियां देखीं लेकिन दाने नहीं थे। श्रीमन्, जो थे उस पर भी आज ओला पड़ गया और वह धुल उठे, सूख गये। लेकिन काश्तकारों से आज भी वसूली हो रही है। अमीन वसूलयाबी कर रहा है और उसके नुकसान का अमल-दरामद आज भी कागज पर नहीं हो पा रहा है। कृपा कर आप इसका इंतजाम करवायें। मैं दो मिनट और निवेदन करूंगा।

गरीबों की दुहाई देने वाले उपनेता सदन के आंख के नीचे सिया सुन्नी का यहां झगड़ा हुआ। हम लोग वहां गये थे। वहां का हाल देखकर हमारी आंखों में खून के आंसू उतर आये। डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी भी गयी थीं जो आज झूठे आंसू बहा रही है। वहां जो लोग लूटे गये, जिनका कत्ल हुआ वे ही गिरफ्तार किये जा रहे हैं। जिन्होंने फूंका और लुट-वाया वे सब मजे में घूम रहे हैं। मैंने एक मांग की थी कि इसकी निष्पक्ष जांच करवा लें लेकिन उस तरफ से साफ जवाब दे दिया गया कि नहीं। वह अधिकारी जो सन् 69 में थे और जिन्होंने

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

बलवा करवाया था और लोगों की जानें मरवाई थी दुबारा उन्हीं को उस क्षेत्र में रख कर यह कांड करवाया गया है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इन गरीबों ने पन्द्रह दिन पहले मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा जी को लिख कर दिया था मंत्री जी ने एस० एस० पी० श्री कपूर से कहलवाया कि आप लोग चैन से बैठें कोई गड़बड़ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐन मौके पर पांच फुट की गली में पन्द्रह हजार के मजमे को घुसा कर लोगों को कत्ल करवाया, लुटवाया और फुंकवाया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। एक चीज और कहनी है। जो नये मेम्बर है उन्हें पहले मौका दिया जाय।

श्री जयराम गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में दो शब्द बोलने का मौका दिया। माननीया, विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया, कीचड़ उछाली उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान में मेरी कांस्टीटुएन्सी में विरोधी पक्ष के लोगों ने विशेष कर जनसंघ और बी० के० डी० के लोगों ने जिस तरह से अभद्र प्रदर्शन किया, मोटरों पर ढेले बरसाये, पेपर में अनर्गल बातें छपवाई वह बहुत ही अनुचित थीं और उनकी एफ० आई० आर० लाज है। वहां के लोकल पेपर्स में आज भी आप इसको देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा कि जयराज गौतम अस्पताल में है। यह निराधार था। हमारे नेता सौर्य की मीटिंग में सर्प और बिच्छू विरोधी दलों द्वारा छोड़ने का कुप्रयास किया गया था।

मैं इस पूरक बजट पर अपना समर्थन प्रदान करता हूं। मेरा सुल्तानपुर जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसको विशेष वरीयता दी जानी चाहिये जिससे विकास हो सके। हमारे यहां बिजली की व्यवस्था की गई है लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां पर सिंचाई की विशेष सुविधा नहीं है वहां पर सिंचाई के लिये विशेष सुविधा दी जानी चाहिये। अस्पताल मेरे जिले में दो-तीन ही हैं। मैं चाहता हूं कि जिले में विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में सरकार द्वारा अधिक अस्पताल खोले जाने चाहिये। हमारे यहां सूरापुर से दोस्तपुर और दोस्तपुर से मालीपुर जिसका संबंध फैजाबाद जिले में भी होता है, अगर सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ले ली जाय और निर्माण करवा दिया जाय तो व्यवसाय की दृष्टि से बड़ा लाभ हो सकता है। इससे बुनकरों को जो जलालपुर और दोस्त पुर वगैरह में काफी संख्या में हैं बड़ा लाभ पहुंचेगा। मेरे जिले में लघु उद्योग धंधे नहीं हैं। मैं समझता हूं कि पिछड़े इलाकों में लघु उद्योग धंधे खोले जाने चाहिये जिससे खाली हाथों को रोजगार मिल सके। सिंचाई के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को रात में बिजली दी जाती है। इससे उनको बड़ा कष्ट है। उनको बिच्छू और सर्प का बराबर भय बना रहा करता है तो उनको बिजली दिन में दी जाय और उसका समय निश्चित कर दिया जाय।

प्रदेश की 9 करोड़ महान जनता ने बावजूद इसके कि तेल, पानी, बिजली आदि रोजमर्रा की चीजें उनको नहीं मिल सकीं, फिर भी कांग्रेस में अटूट विश्वास दिखलाया, उसका समर्थन किया। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ब्लाक में जो कपड़े की व्यवस्था की गई है वह संतोषजनक नहीं है। जब मैं चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में गया तो मुझे विशेष रूप से इस सम्बन्ध में शिकायतें सुनने को मिली है जो व्यवस्था की गई है उसमें विरोधी दल के लोग बाधक हो रहे हैं। वे लोग वहां पहुंच करके स्वयं कपड़ा इत्यादि ले लेते हैं और गरीबों को नहीं मिलता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिये कपड़े और खाने की चीजों की विशेषरूप से व्यवस्था शासन की ओर से की जाय जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो सके। धन्यवाद।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी राय में तो बजट में जितने धन की मांग की गयी है उसमें से एक पैसा भी इनको खर्च करने के लिये इजाजत न दी जाय क्योंकि इन लोगों ने पिछले दिनों में अपने सारे विभागों द्वारा जितना अनाचार अत्याचार कर रखा है उससे सारा प्रदेश पीड़ित है। थानों के अन्दर एक आदेश शायद इसी सरकार ने भेज रखे हैं जिसके कारण हजारों लोग बिना उनका जुर्म बताये हुये ही रोज गिरफ्तार किये जा रहे हैं। अभी पिछले दो तीन दिनों की छुट्टी में मैं बरेली गया था और वहां बहुत लोगों की भीड़ मेरे घर पर थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या कारण है जो तुम लोग बेचैन हो?

(इस अवसर पर 3 बज कर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में पुलिस के थानेदार और सिपाही बिना उनका जुर्म बताये हुये ही लोगों को पकड़ कर लेजाकर थाने मे बन्द कर देते हैं। मैंने कारण पता लगाया तो तो वहां के पुलिस अधिकारियों ने भी कुछ नहीं बताया लेकिन कोई गुन्डा ऐक्ट में और कोई दफा 25 के अन्दर बन्द किये जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में यही हालत विद्यमान है क्या इसी के लिये इस सरकार को यहां वोट देकर यहां जनता ने भेजा है। मैं पूछना चाहताहूं कि आज पूरे प्रदेशके अन्दर जो पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं और जो हजारों गिरफ्तारियां हो रही हैं क्या इनको तुरन्त रोकने का सरकार का विचार है। अगर नहीं तो अगर इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में शासन का दुरुपयोग करके पुलिस के द्वारा लोग पकड़वाये जाते रहेंगे और खास तौर पर उनकी गिरफ्तारी करवाई जायेंगी जिन्होंन चुनाव के वक्त विरोधी दलों से सहयोग किया है उनको बीन-बीन कर बन्द किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके अलावा, आज गरमी के दिन आ गये हैं। पानी जो हमारी टंकियों में दिया जा रहा है उसके लिये बिजली की पूरी व्यवस्था नहीं है। घरों में पानी गरमी के दिनों में नही पहुंचता। कारण बताया जाता है कि बिजली का अभाव है। मैंने सुझाव दिया था कि अगर पानी लोगो को उपलब्ध कराना है तो जैनरेटर्स लगाना होगा। अगर पानी की व्यवस्था नहीं की गयी तो बड़े शहरों में जहां पानी टंकियों में दिया जाता है वहां गरमी में पानी लोगों को प्राप्त नहीं हो सकेगा और अगर पानी प्राप्त नहीं कराया जा सका तो अत्यंत सामान्य आवश्यकता है तो फिर खर्च करने के लिये पैसा आपको क्यों दिया जाय? गरमी शुरू हो गई है, पानी जनता को मिलना है तो उसके लिये व्यवस्था करना ही होगा और पानी के टंकियों में लाने के लिये जनरेटरों की व्यवस्था की जाय वरना पानी मिलना असंभव हो जायगा।

अब परिवहन की व्यवस्था की ओर देखिये। सरकार ने बसों की व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है। इसके कारण जो आज यात्रियों को मुसीबतें उठानी पड़ रही है उसकी जितनी चर्चा की जाय थोड़ी है। सिटी बस की एक बात आपसे कहता हूं। अभी 7 तारीख को बरेली श्रीमान बहुगुणा जी तसरीफ ले गये थे वहां की जनता में भारी रोष है क्योंकि वहां बरेली में विश्व-विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है जबकि लोगों की मांग थी कि रोहेलखंड विश्वविद्यालय बनाया जाय। उसके लिये आन्दोलन हुए। उस दिन बरेली शहर के अन्दर बस सर्विस बन्द थी। तीन या चार किलोमीटर शहर से स्टेशन पड़ता है आज चार महीने हो गये हैं बसें बन्द है और किस कदर मुसीबत वहां की जनता को है। वहां के लोग जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को शासन में नहीं भेजा है इसलिये उनको परेशानी उठानी पड़ रही है फिर यहां से किसके लिये पैसा मांगा जा रहा है। यहां से पैसा लेकरके पूरा ऐशो आराम में खर्च करने का प्रयास किया जा रहा है और जनता की मुसीबतें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आज शहर के अन्दर बस नहीं हैं और चार महीने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यप्रकाश]

से लोग परेसान हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार कार्य करना है तो यह जो सरकार बनाये बैठे हो बिलकुल बेकार बनाये बैठे हो, इस्तीफा दे दो और नये लोगों को कार्य करने का अवसर दे दो।

आज बेसिक स्कूलों की क्या हालत है? सरकार ने स्कूलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन शहरों में स्कूलों की दशा देखने मे क्या आती है,वहां बैठने के लिये पट्टे तक नहीं हैं लेकिन सरकार हमसे अनुदान मांगती है खर्च करने के लिये लकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस बात के लिये खर्च करन के लिये दिया जाय?

जरा देखें जाकर कि बेसिक स्कूलोंकी क्या हालत है जहां पर बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। उनके भवनों की क्या हालत है, यह दुर्दशा है जब कि 25 वर्ष हो गये हुकूमत आपको करते हुए और इन बेसिक स्कूलों का कोई सुधार नहीं हो सका। इस पर आपको शर्म आनी चाहिये।

इसी प्रकार राशन की अव्यवस्था है और उस संबंध में जितना कहा जाय कम है। कम से कम जितने यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं उनके लिये तो राशन की व्यवस्था होनी चाहिये। दूकानों पर लोग जाते हैं, लम्बी-लम्बी लाइन बनाते हैं लेकिन कभी चना नहीं है, कभी गेहूं नहीं है और कभी शकर नहीं है। यह दुर्व्यवस्था राशन में है। सरकार को एलाटमेंट पहले से करना चाहिये ताकि चीजें राशन की दूकान पर उपलब्ध हो सके। बाजार में जो चीजें मिलती हैं उनका मूल्य दुगुना तथा तिगुना होता है। सरकार अपने वादों को पूरा करने में फेल हो गयी है। नया राशन कार्ड बनाने के लिये भी लोगों को 10, 15 दिन से सप्लाई आफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। जो लोग इस मंहगाई के जमाने में बिना राशन कार्ड के रह रहे हैं उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। राशन कार्ड बनाने की प्रणाली में सुधार किया जाय ताकि एक हफ्ते के अन्दर राशन कार्ड लोगों को मिल जाय।

आज सभी विभागों में अन्धाधुन्ध का राज्य है। बिक्रीकर विभाग के द्वारा तरह-तरह की यातनायें छोटे दूकानदारों को दी जाती है। नई-नई चीजों पर टैक्स लगाये जाते हैं। लकड़ी का बुरादा, पान, रेत आदि पर टैक्स लगा दिया गया है। गरीब लोगों को जो रोजाना की जरूरत की चीजें हैं उन पर टैक्स लगा दिया गया है इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? एक ओर कहा जाता है कि जनता को राहत दी जायगी, लेकिन दूसरी ओर यह जनता की जो रोजाना की उपभोक्ता चीजें हैं उनपर टैक्स लगाया जाता है उन पर टैक्स समाप्त किया जाय। बिक्रीकर अधिकारी छापे मारते हैं तो बड़ी धांधली करते हैं। छोटे दूकानदारों को फांसा जाता है और कानून को लेकर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है। इसको रोका जाना चाहिये। अगर यह नहीं रोका जायगा तो इससे बुरी तथा भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी।

बरेली नगर की भी कुछ समस्यायें हैं। उसको बी क्लास घोषित किया जाय और वहां कारपोरेशन बनाया जाय। सरकार ने वहां मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है उसे अविलम्ब पूरा किया जाय। सरकार घोषणायें करके भूल जाती है उन पर अमल किया जाना चाहिये। वहां पर मेडिकल कालेज के अलावा एक इंजीनियरिंग कालेज भी खोलना चाहिये। महिलाओं के लिये उचित प्रबन्ध नहीं है भारती का। सरकार ने एक इंटरमीडिएट कालेज खोला था उसके अलावा सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में कोई कालेज नहीं खोला गया। इसलिये बरेली की सरकार को चाहिये कि प्राथमिकता दे और रुहेलखंड विश्वविद्यालय वहां स्थापित किया जाय। केवल घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

अब आप बैठें ।

श्री सत्य प्रकाश––

शासन इन सब बातों को पूरा करने का आश्वासन दे तब तो इस अनुपूरक बजट को स्वीकार किया जाना चाहिये वर्ना हमको इसे अस्वीकार कर देना चाहिये ।

श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)––

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय बोलने के लिये दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे नेता विरोधी दल हरिजनों के प्रति, गरीबों के प्रति अपनी लच्छेदार भाषा से वर्णन करते हैं तो हम सोचते हैं कि वाकई कुछ उनके अन्दर है। अगर वास्तव में देखा जाये तो उनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, यह स्थल पर जाकर देखा जा सकता है उदाहरण के लिये चुनाव में नेता विरोधी दल, श्री चरण सिंह की पार्टी ने हरिजनों के साथ जो-जो अत्याचार किये हैं उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं । हरिजनों को वोट डालने से रोका गया । इलेक्शन खत्म होने के बाद आज भी उन्हें सताया जा रहा है । हमारे विधान सभाई क्षेत्र सोहावल के ग्राम टोनिया में 9 हरिजनों के ऊपर बी0के0डी0 के लोगों ने मुकदमा चलाया । जहांगीरगंज में बी0के0डी0 के लोग हरिजनों के गेहूं के खेत काट रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है जिसे कहा नहीं जा सकता है । उन्होंने जो परम्परा बना रखी है कि इनका मुख्य कार्य केवल झूठ बोलना और भ्रष्टाचार करना ही है । इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं है जो जनता को सहारा दे सके । आज महंगाई की एवं हरिजन कल्याणार्थ की बात करते हैं । सभी जानते हैं कि संविद सरकार के समय में हरिजनों को कितना बढ़ाया गया और उनको कितनी सुविधायें दी गयी । मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और हूं । मैं जानता हूं कि इनका मुख्य काम स्कूलों में जा-जाकर नवजवान विद्यार्थियों को भड़काना। बरगलाना है और जनता को बरगलाकर सरकार की नीतियों का विरोध करना है । इसके अलावा इनका कोई दूसरा कार्य नहीं रह गया है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अपनी नीतियों को सुधार लें क्योंकि जनता ने जो फैसला किया है वह सही फैसला किया है । ये अपने दिमाग अपनी बुद्धि को सही करें। मान्यवर, मैं फैजाबाद जनपद के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं वहां दुग्ध डेरी फार्म मंजूर है लेकिन उसका कार्य संचालन में बिलम्ब हो रहा है उसमें देरी हो रही है । मैं अपने सदन के नेता से निवेदन करता हूं कि उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं ।

(अध्यक्ष द्वारा श्री रणधीर सिंह का नाम पुकारने पर)

एक सदस्य––

मान्यवर, इधर भी आपकी नजर होनी चाहिये । बार-बार हम खड़े होते हैं लेकिन कोई मौका नहीं मिल पाता ।

श्री अध्यक्ष––

मैं आपसे कहता हूं कि आप ने हैं और दोनों को मौका मिला । इसलिये बार-बार इस तरह से कहना कि समय नहीं दिया गया है, अनुचित है। जो आपकी संख्या है उससे बहुत अधिक समय आपको मिल गया है। शत-प्रतिशत।

श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, पुनर्जन्म और भाग्यवाद पर आधारित जो ब्राह्मणवादी विचाराधारा है, उसी विधारधारा की तहत इस प्रदेश के निवासियों ने अपना जीवनमूल्य बना रखा है कि इंसान पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार छोटा-बड़ा, ऊंच-नीच, गरीब-अमीर, शासक और शासित होता है और जब तक यह विचारधारा कायम है तब तक देश और प्रदेश का उत्थान होना सम्भव नहीं है । क्यों उसका कारण बहुत सीधा है । गरीब है जो उनका मन भी इस विचारधारा की तहत कमजोर हो गया है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था मान रखी है कि शायद पूर्व जन्म के भाग्य के कारण या पुराने जन्म के अशुभ कर्मों के कारण ही हम गरीब हुए हैं या और लोग शुभ कर्मों के कारण अमीर हुए हैं । शिक्षित, अशिक्षित भी उसी विचाराधारा की तहत है और शासक व शासित भी उसी विचारधारा की तहत है । इस विचारधारा ने इंसानों को ऊंचा उठने से रोक रखा है और इस विचारधारा की पोषक सरकार इस विचारधारा को बढा रही है तथा मानववादी विचाराधारा को दफना रही है । इसका एक उदाहरण है कि श्री कमलापति त्रिपाठी की सरकार ने इस विचाराधारा को फैलाने के लिए अपने कोष से रामचरित मानस चतुश्शती समारोह के लिये एक लाख रुपया दिया है । केवल इस विचारधारा को पनपाने के लिये दिया है । आखिर राम चरित मानस में क्या है उसमें स्त्री निन्दा है, शूद्र निन्दा है, कुछ और जातियों की निन्दा है, मुसलमानों की निन्दा है । ऐसी किताब जिसके लिये यह कहा जाता है कि यह संविधान के बिलकुल खिलाफ चलने वाली किताब है उसको सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलता है ।

उसके साथ ही साथ बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर की किताब जिसको सरकार ने सन् 67 से हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों में रखा था, 10 मार्च, 1970 के आदेश से उन सारी किताबों को वापस मंगा लिया है। इसके माने यह है कि यह सरकार मानववादी पुस्तकों को जब्त करना चाहती है और जो ब्राह्मणवादी पुस्तकें हैं उनका प्रचार और प्रसार सरकारी खजाने से पैसे देकर करना चाहती है।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बतला दें कि ब्राह्मणवाद का अर्थ क्या है ताकि हम उनके भाषण को समझ सकें ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या रामचरित मानस क्या मानववादी साहित्य नहीं है जो यह विरोध करने के लिये खड़े हुए हैं । इस पुस्तक का अपमान करना ठीक नहीं है । माननीय सदस्य इसको क्यों ब्राह्मणवादी ग्रंथ मान रहे हैं ?

श्री रणधीर सिंह—

उसमें बहुत सी बातें मानवता के खिलाफ हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपस में इस तरह से न चलायें । मैं निवेदन करूंगा कि अभी उधर से बोलने वालों का एक पर्चा यहां मिला है । अभी सचेतक महोदय ने यहीं बताया है । मेरे पास सीधे परचे आने की जरूरत नहीं है । जो सीधे परचे मेरे पास आयेंगे उनका नाम काट दिया जा सकता है । और बोलने का उनको मौका नहीं मिलेगा । जो नाम देना हों वे सचेतक महोदय के द्वारा आना चाहिये । बीच में लोग नहीं ।

श्री रणधीर सिंह---

इसी विचारधारा के तहत इस सूबे में अभी तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा चालू नहीं हुई है क्योंकि सके तहत शू और स्त्रियां पढ़ सकती जिसको यह सरकार नहीं चाहती है। आम तौर से देखा गया है कि हरिजनों के बच्चे गरीब होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिये कोई व्यवस्था न करने के माने यह है कि वे अपने भाग्य और पुनर्जन्म पर ही विश्वास करते रहें और ज्यों के त्यों बने रहें। यह व्यवस्था क्यों है और इससे क्या लाभ हुआ है। सरकार का यह काम होना चाहिये शूद्रों के पास न आज कोई जमीन है और न रहने के लिये कोई जगह ही है। देश की स्थिति यह है कि जो राष्ट्रीय आमदनी है उसका कुछ लोग बटवारा किये हुए हैं, देश की जमीन का कुछ लोग बटवारा किये हुए हैं, लेकिन शूद्रों को ऐसी सुविधा नहीं मिली हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि जिनके पास जमीन नहीं है रहने के लिये जगह नहीं है और देश की राष्ट्रीय आमदनी में से उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता वह अपना जीवन कैसे बसर करें? उनका भी यह देश है या नहीं। उनका कोई हक है या नहीं ? इनके लिये क्या किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें। समय नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं सम्मानित नेता विरोधी दल, अन्य विरोधी दल के नेताओं तथा सभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा डाली और इस अनुदान अनुपूरक के सिलसिले में कोई कटौती नहीं की।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मने कटौती का प्रस्ताव भेजा था। सचिव महोदय से पूछ लिया जाय। तिवारी जी जब प्रशंसा करने लगते हैं तो छाल निकलने लगती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह बड़ा ही शुभ चिन्ह है और इससे मुझे यह बड़ा भरोसा मिलता है कि पांचवीं योजना को चलाने के लिये भी, उसके लिये संसाधन जुटाने के लिए भी चाहे कितना भी हमारा विरोध हो लकिन जो कुछ भी आवश्यकतायें होंगी यह सदन अवश्य स्वीकार करता रहेगा। श्रीमन्, मैं माननीय भोजीपुरा श्री गंगवार साहब का बहुत आभारी हूं जब कि उन्होंने विरोधी दल की ओर से इस विवाद की शुरुआत की, जबकि उन्होंने कटौती नहीं प्रस्तुत की, बल्कि भाव रूप में इस अनुपूरक बजट का समर्थन भी किया। यह बड़ा ही रचनात्मक कार्य रहा है। इसकी जितनी ही सराहना की जाय उतना ही कम है। श्रीमन्, अनेक सम्मानित सदस्यों ने जो इस बजट के अनुदानों के संबंध में जो चर्चा की वह अपने क्षेत्रों के विकास से संबंधित थी। मैं उनसे आपके द्वारा श्रीमन्, विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि क्षेत्रीय व अपने जिले खंडीय विकास की समस्याओं के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त करने का सरकार को, मुझे मेरे सहयोगी सम्मानित मंत्रियों को भविष्य में समय-समय पर अवसर मिलेगा।

पांचवीं योजना का प्रारूप मुख्यतः बन चुका है, जिलों की योजनायें बन रही हैं। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य अपने-अपने जिलों में जाकर, जिलों में जो पंचवर्षीय योजनायें बन रही ह उनका सूक्ष्म अध्ययन करन का कष्ट करेंगे। हमारे सम्मानित सदस्य वहां पर देखेंगे कि जो प्राथमिकतायें जो योजनागत कार्य को दिया जा रहा है, कार्य हो रहा है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस दृष्टिकोण से बनती हुई पांचवीं योजनायें को देख लें । यह अवश्य है श्रीमन् कि साधनों की कमी के कारण विकास को जितना हम सम्पन्न करना चाहते हैं उतना हम ज्यादा न कर पाये लेकिन जितना हमने चौथी योजना में प्रयास किया उससे बहुत अधिक प्रयास हम पांचवीं योजना में करना चाहते हैं। मैं उस विस्तार में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका यह अवसर नहीं है लेकिन चूंकि विधायकों ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया, अपने क्षेत्र और अंचल का उल्लेख किया इसलिये मैंने अपना यह दृष्टिकोण रखना अपना कर्त्तव्य समझा ।

बहुत से विधायक इस अनुपूरक बजट पर अपनी बात कहना चाहते थे । श्रीमन्, मेरा उनसे आग्रह है कि जो बहुत सी बात विकास के संबंध में है उन्हें लिखित रूप में देने का कष्ट करें क्योंकि जो हमारा मूल बजट 1974–75 का आने वाला है जून जुलाई में जिससे कि उन पर विचार किया जा सके । श्रीमन्, यह अनुपूरक बजट वर्तमान वित्तीय बर्ष में जो अनिवार्य खर्चे हैं, उनको पूरा करने के लिए है । माननीय सदस्य ने देखा होगा कि इसमें 171 करोड़, 87 लाख 77 हजार नौ सौ 0 का प्राविधान किया गया है जिसमें 85 करोड़ 52 लाख प्लान एक्सपेंडीचर है और 86 करोड़ 34 लाख रु0 नान-प्लान एक्सपेंडीचर है। श्रीमन्, इसमें आप यह भी देखेंगे कि ऐसी-ऐसी योजनाओं का प्राविधान किया गया है। जो अनिवार्य है, जैसे जो सूखे पड़े हुए क्षेत्र हैं, सूखे के कारण जहां कार्य करना पड़ा वहां उसके लिये 10 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। जहां पर टैस्ट वर्क थे उनके लिये भी 10 करोड़ पये का प्राविधान किया गया है। लोअर गंगा कैनाल, आगरा डिवीजन और बुन्देलखंड के उत्तरी हिस्सों और कई जिलों में सिंचाई के साधन को बढाने के लिये 22 करोड़ की योजना का इसमें प्राविधान किया गया है, उसकी शुरुआत होगी । हिन्डन बैराज जो बहुत दिनों से पुरानी पड़ गयी थी, पश्चिमी जिलों के विकास के लिये, उसका भी इसमें प्राविधान किया गया है । मैं इस बात का भी प्रयास करूंगा कि जमुना कैनाल प्रोजेक्ट पर भी काम आरम्भ हो सके । जहां तक इस बजट का संबंध है तमाम माननीय सदस्यों ने सहारनपुर शहादरा लाइट रेलवे चालू करने के लिए अपने विचार व्यक्त किये थे उसके लिये भी 28 करोड़ रुपये के व्यय से रेल मंत्रालय के परामर्श से एक रेलवे कारपोरेशन का इसमें प्राविधान किया गया है । मुरादाबाद में बरतनों के उद्योग को आगे बढाने के लिये भी एक कारपोरेशन का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से आगरा में जूता उद्योग की उन्नति के लिये एक चमड़ा उद्योग का भी इसमें प्राविधान किया गया है। उद्योग प्रदेश में आगे न आ सके इसके लिये भी प्रोजेक्टस वगैरह बनाने के लिये एक कन्सलटेन्सी कारपोरेशन बनाने के लिये इसमें प्राविधान किया गया है। बिजली के काम को आगे बढ़ाने के लिये बिजली बोर्ड ने 27 करोड़ रु0 का ओवरड्राफ्ट किया था, उसको ऋण के रूप में परिणित इस बजट के द्वारा किया गया है ।

इसी प्रकार से हरिजनों के लिये 1 1/2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसमें आवास बनवाने का भी प्राविधान किया गया है। 300 अस्पताल जो पिछले साल बने चौथी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में, उनके लिये इसमें प्राविधान किया गया है । वेतन आयोग का जो इस सदन में 2 1/2 वर्ष पहले निर्माण किया गया था उसके बाद बहुत से वर्गों के उसकी सिफारिशों के अनुसार, वेतन बढाने पड़े और उनके एलाउन्सेज बढाने पड़े, उसके लिये भी इसमें प्राविधान किया गया है। वर्क चार्जड स्टाफ के बारे भी सदन में मांग थी कि उनके कर्मचारियों को स्थायी किया जाय । तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले सभी ऐसे कर्मचारियों को स्थायी करने की इस बजट में कायवाही की गयी है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा विश्वविद्यालयों का अधिक खर्चा करने के कारण 1 करोड़ 10 लाख रुपये का अधिक खर्चा हो गया है । इन विश्वविद्यालयों के विकास के लिये 90 लाख रुपया इस बजट द्वारा मन्जूर किया गया है । इस प्रकार से उस ओवरड्राफ्ट को खत्म किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में जो अध्यापक हैं, उनके पे स्केल्स समानता के स्तर पर लाने का इस बजट में प्रयास किया गया है। पूर्वी अंचल के विकास के लिये शारदा सहायक परियोजना का प्राविधान इसमें किया गया है। लगभग 14 करोड़ रुपए का और भी प्राविधान इसमें हुआ है। ये सब अनिवार्य खर्च थे प्रदेश के हित में और इसीलिये मैं अपने विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें कटौती का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है ।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)--

मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी मे जो किसानों के लिये किया है उसका भी संकेत करने और प्रकाश डालने की कृपा करें तो अधिक अच्छा होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

किसानों के लिये 10 करोड़ रुपए की तकावी आदि के लिए इसमें प्राविधान किया गया है। सिंचाई और बिजली की जो हमारी योजनायें हैं, वे ज्यादातर किसानों के लिए ही हैं। अगर मेरे मित्र सारी सूची देखेंगे तो उसमें इन सबका उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि इन सभी मांगों को सदन स्वीकार करेगा।

1973–74 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या 1–वृहत् जोतकर

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1--वृहत जोतकर के अन्तर्गत 20,100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1--वृहत् जोत-कर के अन्तर्गत 20,100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 2–भू-राजस्व

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2--भू-राजस्व के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2--भू-राजस्व के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 4—बिक्री कर

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—बिक्री-कर के अन्तर्गत 25,33,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—बिक्री-कर के अन्तर्गत 25,33,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5—आय कर और शुल्क

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 4,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 4,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8— राज्य विधान मण्डल

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8— राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 27,87,600 पए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 27,87,600 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9—निर्वाचन

अन्न मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—निर्वाचन के अन्तर्गत 64,96,500 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9---निर्वाचन के अन्तर्गत 64,96,500 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10--सामान्य प्रशासम

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 10---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 25,54,200 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 25,54,200 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11--आयुक्त एवं जिला प्रशासन

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11---आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्तर्गत 100,35,800 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11---आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्तर्गत 1,00,35,800 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12--गांव सभायें और पंचायतें

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12--गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12---गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13—न्याय प्रशासन

श्री राजमंगल पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14—कारागार

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--कारागार के अन्तर्गत 71,61,300 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--कारागार के अन्तर्गत 71,61,300 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15—पुलिस

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--पुलिस के अन्तर्गत 8,55,44,100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973, 74 के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--पुलिस के अन्तर्गत 8,55,44,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 16--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 2,59,31,700 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 2,59,31,700 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17–वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक-कार्य

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17---वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 1,17,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17---वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 1,17,100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18–शिक्षा

शिक्षा मन्त्री (श्री रामजीलाल सहायक)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18---शिक्षा के अन्तर्गत 3,200 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18---शिक्षा के अन्तर्गत 3,200 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19–चिकित्सा

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19---चिकित्सा के अन्तर्गत 51,600 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19---चिकित्सा के अन्तर्गत 51,600 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20–सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20---सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 18,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 18,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--कृषि सम्बन्धी विकास

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत 1,98,14,900 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 21--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत 1,98,14,900 पए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्यपालन

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्य 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 500 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाव ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 500 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24--सहकारिता

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--सहकारिता के अन्तर्गत 1,100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--सहकारिता के अन्तर्गत 1,100 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25—उद्योग

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—उद्योग के अन्तर्गत 97,66,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—उद्योग के अन्तर्गत 97,66,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—नियोजन तथा समन्वय

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—नियोजन तथा समन्वय के अन्तर्गत 54,41,300 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—नियोजन तथा समन्वय के अन्तर्गत 54,41,300 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमान, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत 33,47,800 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत 33,47,800 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय के अन्तगत 17,78,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28---सूचना निदेशालय के अन्तर्गत 17,78,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत 12,38,900 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत 12,38,900 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)---

श्रीमन, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,52,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,52,000 रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32--सिंचाई अधिष्ठान

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32---सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 21,02,200 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32---सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 21,02,200 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत 3,98,68,900 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत 3,98,68,900 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—संचार साधनों का सुधार

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—परिवहन स्वीकृत

श्री राज मंगल पान्डेय—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत 1,72,800 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973–74 क लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37---परिवहन के अन्तर्गत 1,72,800 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38--दुर्भिक्ष सहायता

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38---दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40--राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न है यह कि अनुदान संख्या 40---राजनैतिक पेशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 49,99,400 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 49,99,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42--वन तथा पर्यटन

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--वन तथा पर्यटन के अन्तर्गत 24,60,900 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 42--वन तथा पर्यटन

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42 वन तथा पर्यटन के अन्तर्गत 24,60,900 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43---प्रकीर्ण व्यय

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43-प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत 1,22,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43-प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत 1,22,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44---नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44-नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 1,69,28,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44-नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 1,69,28,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45---कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45-कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45-कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक बिकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 10,85,09,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक बिकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 10,85,09,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 28,96,50,500 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 28,96,50,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया ।)

अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी पयिव्यय के अन्तर्गत 6,45,01,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,45,01,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 50,00,800 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 50,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष, 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 41,54,16,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 41,54,16,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रतियां बंटवा दें ?

(प्रतियां बंटने के बाद)

एक सदस्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक सभी मांगें स्वीकार न कर ली जायं ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो पहले से निश्चित है ही ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(कुछ रुक कर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर मुझे समय दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बिनियोग बिधेयक प्रस्तुत किया हैं। इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश हो सका तो उन्होंने इसे अपने पक्ष में समझ लिया, जबकि हमारे विपक्ष से कटौती का प्रस्ताव हमारे माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने रखा था। लेकिन मैं श्रीमन्, तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि अभी पांच साल यह वित्त मंत्री रहेंगे और पांच साल रह चुके हैं । लकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आप एक रट्टू, तोते की तरह जो आपके सामने रख दिया जाय वही कहें क्या यह ठीक है? क्या आपने इस बात की कभी कोशिश की कि सप्लीमेंट्री बजट का उपयोग भी हुआ है? जो रिपोर्ट हैं महानियंत्रक की उन्हें भी कभी आपने पढ़ने की कृपा की? इन बीस-पच्चीस सालों में हमेशा घाटे का बजट बनाकर गरीब जनता की जेब से टैक्स आपने निकाला है क्या कभी-कभी आपको यह साहस नहीं हुआ कि कुछ लाभ का आमदनी का बजट दिखला कर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाते ।

मैं आपके सामने दो रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं । आप देखें कि किस तरह से आपने सप्ली-मेंट्री बजट मांगा है और हमने दिया लेकिन फिर आपका विभाग कहता है कि इतना रुपया बच गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपको सप्लीमेंट्री बजट पेश करने से पहले इस बात पर गौर करना चाहिय कि जो पैसा आप ले रहे हैं उसकी आवश्यकता सही है या नहीं। मैं 69 की रिपोर्ट से दे रहा हूं। इसके पृष्ठ पर देखें । इसमें लिखा हुआ है कि "पूरक धन पूरी तरह अनावश्यक सिद्ध हुआ। अनुदान संख्या 5, 10, 20, 22, 26, 43, 51 ऐसे हैं जिनमें सप्लीमेंट्री बजट के रूप में काफी पसा लिया लेकिन बाद में जो आंकड़े आये वह यह कि यह अप्रयुक्त समझा गया ।" इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स हैं जिनमें दिया हुआ है कि अनावश्यक सिद्ध हुआ । मान्यवर, जितना बजट 20 साल पहले था आज उसका कई गुना बढ़ गया है । पहले 40–43 करोड़ का आता था और अब 200–250 करोड़ का बजट आप पेश करते हैं। कभी आपन इन रिपोर्ट्स को भी देखने का कष्ट किया? महानियंत्रक की हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें भी यही कहा गया है । कुल मिलाकर 34 अनुदानों की धनराशि 78.45 करोड़ रुपया की पूरक धन व्यवस्था प्राप्त की गयी थी । अनुदान संख्या 6, 8, 19, 29, 32, 38, 40, 43, 47 में 6.30 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान अनावश्यक रहे। यह रिपोर्ट 27 पेज पर है । आप भले ही विरोध पक्ष का मखौल उड़ा लीजिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार इस मामले में अन्धी है और अनावश्यक खर्चा दिखला कर यह रुपया लना चाहती है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह किसी तरह से भी पास न होने पाये ।

श्री सफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो बजट हमारे मंत्री जी ने पेश किया है मैं इस सिलसिले में इतना अज करूंगा कि आज के हालात क्या हैं । गरीबी और महंगाई किस कदर है । लकिन इसके बावजूद गरीबों के ऊपर नये-नये टक्स लादे जा रहे हैं । इतन ज्यादा टक्स लगन से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं समझता हूं परेशानियां बढ़ेंगी । आज 20 साल पहले जितने टैक्सेज थे उससे कई गुना ज्यादा टैक्सेज आज बढ़ गये हुं । आज बजट यह बतला रहा है कि 250 करोड़ रुपया जो कि हमारी सरकार ने इस बजट के लिये मन्जूर किया है वह बहुत ज्यादा है और इसमें जो कुछ भी खर्चा मन्जूर किया गया है यह सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिये और अपनी कुर्सियों को सीधा करने के लिये कर रही है । मैं बतलाऊं अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिला मुरादाबाद में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करायी जा रही हैं और ऐसे लोग भी गिरफ्तार किये जा रहे हुं जो बेगुनाह हैं। श्रीमन् कांग्रेस सरकार को क्या परेशानी है कि लोगों में हैरेसमेंट फैलाया जा रहा है । यह क्यों हो रहा है ? इसकी क्या वजह है कि पबलिक को परेशान किया जा रहा है ? भले और अच्छे लोगों की भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री सफीकुल रहमान बर्क--

लिहाजा मैं इसकी मुखालिफत करते हुये यह अर्ज करूंगा कि इसको पास न किया जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । आज 27 तारीख है और मार्च के सिर्फ 3 दिन रह गये हैं जब 171 करोड़ रुपये की अनुपूरक बजट की मांग तिवारी जी लाये हैं । इसमें से काफी रुपया खर्च हो चुका है नहीं तो तीन दिन में यह सरकार सक्षम भी नहीं है कि इसको खर्च कर सके । इसके बाद रुपया लप्स होगा तो सरकार अपनी पीठ ठोंकेगी कि उसने घाटे का बजट बनाया लेकिन बचत में परिवर्तित कर दिया । इसलिये रुपया ठीक से खर्च नहीं हो सकता । तो तिवारी जी यह परम्परा बदलें । अगर सरकार को आवश्यकता हो तो अनुपूरक बजट समय में लावें, नहीं तो सदन में यह न लाया जाय । मैं समझता हूं कि सरकार इस परम्परा को बदलेगी और मैं तिवारी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसके बदलने की कृपा करें ।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह जो अनुपूरक बजट आज सामने आया है उसक देखने से यह पता लगता है कि यह जो घोषणा की गई है कि कमजोर वर्ग और पिछड़ी जातियों को उठाने के लिये सरकार सहायता दे रही है, यह सही नहीं है । उनको उठाने के लिये और उनकी तरक्की के लिये धनराशि नहीं रक्खी गयी है। बल्कि तमाम बेकार और फिजूल की मदों के लिये पैसा खर्च करने का प्रयास किया गया है । मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान के आर्टिकिल 340 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें यह दिया गया है कि कमजोर जातियों को उठाने के लिये सरकार हर संभव प्रयास करेगी। और अधिकतम पैसा उनकी तरक्की के लिये खर्च किया जाय। सन् 1952-53 में यहां पर पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी गयी थी जिसमें तमाम सुझाव दिये गये थे कि यहां की पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये सरकार कहां-कहां अधिक पैसा लगावे । उनके लिये योजनायें अलग से चलावे लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी जो बजट समय आया है उसमें पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये कोई पैसा खर्च करने की योजना सामने नहीं आयी है ।

यही नहीं, हरिजनों का उत्थान करने के लिये तमाम व्यवस्थाओं की घोषणायें की जा रही हैं लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फैजाबाद जिला है जहां पर हजारों पिछड़ी जातियों के, हरिजनों के विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे है, लेकिन इतना समय हो गया है फैजाबाद जिले में आज तक हरिजन छात्रावास की स्थापना नहीं हुई। फैजाबाद कमिश्नरी का केन्द्र विन्दु है और उस जिले

]श्री सीताराम निषाद]

में हरिजन छात्रावास का निर्माण करने के लिये पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है लेकिन आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है और अब जो बजट हमारे सामने आया है उसमें भी छात्रावास के भवन निर्माण के लिये कोई योजना नहीं है। हमें अफसोस है, हमें आशा थी कि इस बार कुछ आयेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

आज पिछड़ी जातियों की सहायता की बात कही जाती है, लेकिन आज इसमें भी कुछ नहीं किया गया है। हमें दुख है कि पिछड़ी जाति के छात्रों को सुविधा देने के ऊपर बल दिया गया है लेकिन जो पैसा जिलों को दिया जाता है उसमें मुश्किल से एक प्रतिशत लोगों को स्कालरशिप दी जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये यह जरूरी है कि अधिकतम पैसा उनकी शिक्षा के लिये दिया जाय और उनके छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये अधिकतम पैसा स्वीकृत करने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप खत्म कर दें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग 1973-74 का अनुपूरक विधेयक, 1974 पर बिचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

31 मार्च, 1974 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और बिनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74) का अनुपूरक अधि- नियम, 1974 कहलायेगा।

वर्ष 1973-74 के लिये रुपयों का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1974 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियो से, जिनका कुल योग 1,71,87,77,900 (एक सौ इकहत्तर करोड़, सतासी लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

1,71,87,77,900

बिनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1974 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1	बृहत् जोत कर ..	20,100	..	20,100
2	भू-राजस्व ..	100	3,08,65,900	3,08,66,000
4	बिक्री-कर ..	25,33,000	19,400	25,52,400
5	अन्य कर और शुल्क ..	4,23,000	..	4,23,000
8	राज्य विधान मंडल ..	27,87,600	31,200	28,18,800
9	निर्वाचन ..	64,96,500	..	64,96,500
10	सामान्य प्रशासन ..	25,54,200	9,03,400	34,57,600
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	1,00,35,800	..	1,00,35,800
12	गांव सभायें, पंचायतें ..	100	2,700	2,800
13	न्याय प्रशासन ..	100	200	300
14	कारागार ..	71,61,300	..	71,61,300
15	पुलिस ..	8,55,44,100	32,800	8,55,76,900
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	2,59,31,700	..	2,59,31,700
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	1,17,100	..	1,17,100
18	शिक्षा ..	3,200	6,300	9,500
19	चिकित्सा ..	51,600	700	52,300
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	18,66,000	..	18,66,000
21	कृषि सम्बन्धी विकास ..	1,98,14,900	48,800	1,98,63,700
23	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	500	3,800	4,300
24	सहकारिता ..	1,100	..	1,100
25	उद्योग ..	97,66,300	..	97,66, 300
26	नियोजन और समन्वय	54,41,300	..	54,41,300
27	श्रम और सेवायोजन ..	33,47,800	..	33,47,800
28	सूचना निदेशालय ..	17,78,000	..	17,78,000
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	12,38,900	..	12,38,900
30	समाज कल्याण ..	..	900	900
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	1,52,000	..	1,52,000
32	सिंचाई अधिष्ठान ..	21,02,200	..	21,02,200
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	3,98,68,900	1,69,100	4,00,38,000

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
34	संचार साधनों का सुधार ..	100	..	100
35	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	400	..	400
37	परिवहन ..	1,72,800	..	1,72,800
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	10,00,00,000	..	10,00,00,000
40	राजनीतिक पेंशनें और भत्ते ..	10,00,000	..	10,00,000
41	लेखन सामग्री और मुद्रण ..	49,99,400	..	49,99,400
42	वन तथा पर्यटन ..	24,60,900	..	24,60,900
43	प्रकीर्ण व्यय ..	1,22,37,000	..	1,22,37,000
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	1,69,28,900	..	1,69,28,900
	*ऋण कम करना अथवा परिहार ..	..	*33,62,16,300*	33,62,16,300
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	10,00,00,000	*8,300*	10,00,08,300
46	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	10,85,09,600	*4,50,000*	10,89 59,600
48	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	28,96,50,500	..	28,96,50,500
49	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पर पूंजी परिव्यय ..	6,45,01,500	..	6,45,01,500
50	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	50,00,800	*2,600*	50,03,400
51	पेंशनों का राशि मूल्य ..	..	*1,00,000*	1,00,000
53	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	41,54,16,200	..	41,54,16,200
	योग	1,34,99,15,500	*36,88,62,400*	1,71,87,77,900

*भारित विनियोग ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

(श्री राम अधार के खड़े होने पर) आप कोई प्रश्न चाहें तो कर लें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)––

अध्यक्ष जी, मैं सरकार से इस बजट के बारे में दो तीन बातें समझ लेना चाहता हूं। यह बजट बिलकुल गैर समाजवादी बजट है और इसके अन्दर जिस तरह से...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

अब जो चीज विधेयक का अंग बन गयी है उसके बाद तो सिर्फ इतना ही आ सकता है कि आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में।

श्री राम अधार ––

हमें भाषण नहीं देना है। आपने यहां पर समाजवादी सरकार बनायी तो उसके लिये इस बजट में बहुत ही कम धनराशि रखी गयी है। आपको शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 का अनुपूरक) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

1974–75 के एक भाग के लिये लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)––

मैं श्रीमन् की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "1974–75 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" के विवरण में, जो 22 मार्च, 1974 को सदन में प्रस्तुत किया गया था पृष्ठ 1–5 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय की लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,95,57,29,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि "1974–75 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" के विवरण में, जो 22 मार्च, 1974 को सदन में प्रस्तुत किया गया था पृष्ठ 1–5 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,95,57,29,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं श्रीमन् की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 को पुर: स्थापित करता हूं । (कुछ रुक कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अभी जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था उस पर मैं चुप रहा । लेकिन यह जो लेखानुदान पेश हुआ है उसके बारे में मुझ कुछ कहना है । पहली बात तो यह है कि यह सरकार नवम्बर, 73 से भी । यह सही है कि अभी हाल में यह पुनर्गठित हुई है । अगर दो महीने के लि लेखानुदान लिया गया होता तो उचित होता लेकिन चार महीने के लिये लेखानुदान मैं समझता हूं ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में कुछ नीति की आलोचना करूंगा ।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर किया गया है गर्मी बहुत है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं लेकिन मैं आपकी सरकार के स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं । यह सरकार जो गठित हुई है, इसने इतना बड़ा अनुदान मांगा है बहुगुणा जी के मुख्य मंत्रि तत्व के अन्तर्गत गठित सरकार के हाथ में इतनी बड़ी धनराशि सौंपी जा रही है जिनकी नीतियों पर विचार करने का अवसर मुझे कल ही पहली बार मिला । कल जिस समय वह भाषण दे रहे थे उस समय वे अस्वस्थ थे । मैं उस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन एक बात अवश्य थी कि उन्होंने कल जो अपने विचार कुछ पहलुओं पर व्यक्त किये वे बहुत हल्के थे । मैं आशा नहीं करता था कि इतने बड़े प्रदेश का कोई मुख्य मंत्री इतने हलके विचार व्यक्त करेगा । दो चार बातें उन्होंने जो मेरे सम्बन्ध में कहीं उससे पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश की नाव को खेने जा रहा है । पहली बात उन्होंने यह कही कि जनसंघ ने पहले ही अपने मुख्य मंत्री को घोषित कर दिया । मालूम होता है कि जनतंत्र की प्रणाली को ही वे जनतंत्र की कल्पना में भूल गये क्योंकि अब वे अधिनायकवाद की ओर चल रहे हैं । इंग्लैंड जहां से आपने जनतंत्र की प्रणाली को अपनाया है, वहां एक शैडो कैबिनेट विरोधी पक्ष बनाता है और विरोध पक्ष अपने मुख्य मंत्री को घोषित कर देता है । उसी तरह से अगर जनसंघ ने भी अपने मुख्य मंत्री को घोषणा कर दी तो इसमें कौन मखौल की बात थी ? उसका मतलब तो यही है कि आपको जनतांत्रिक प्रणाली का ही ज्ञान नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने की उनमें कितनी प्रवृत्ति है । उन्होंने कहा कि सिंधिया का हैलिकाप्टर पिछली बार मध्य प्रदेश में उतरा था तो इसका जबाव श्री राम सेवक यादव जी ने सही दिया कि पंडित जवाहर लाल जी ने इसको प्रारम्भ किया था । उसके बाद रामगढ़ के राजा ने शुरू किया लेकिन जब उनकी मीटिंग्स में डिस्टर्बेंस होने लगा तब जवाहर लाल जी कहने लगे कि हैलिकाप्टर का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है । सिंधिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने अगर हेलिकाप्टर का इस्तेमाल किया तो उस पर खर्च अपने पास से किया, लेकिन आपने तो सरकारी खजाने का पैसा उस पर खर्च किया। अगर आप कहें कि हमने उसका किराया दे दिया तो मैं कहूंगा कि ऐसे नेताओं को भी उन कैपिटलिस्टों की श्रेणी मे ही जोड़ देना चाहिये। अखबारों ने भी कमेंट किया है कि कांग्रेसी नेताओं की गणना भी कैपिटलिस्टों की श्रेणी में होना चाहिये। अगर ऐसी बात है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या इसी तरह से आप समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और यहां समाजवाद लाना चाहते हैं। आखिर हेलिकाप्टर के लिये करोड़ों रुपये जो लिये गये वे कहां से आये, उसे रहीम और भगेलू ने तो दिया नहीं था, और अगर आपने बिड़ला और टाटा से वह रुपया लिया तो क्या यह सत्य नहीं है कि लाखों गरीब आदमियों की जान को आपने उनकी हथेलियों में कर दिया अगर आप यह कहें कि दल ने उसके लिये रुपया दिया, तो आखिर दल को रुपया कहां से आया? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि 60 लाख रुपये नागरवाला के नाम से जैसे बैंक से निकाल लिया गया वैसे ही और किसी के नाम से भी निकाल लिया गया होगा।

इसी तरह से एक बात उन्होंने यह कह दी कि त्रिपाठी जी ने यानी मैंने यह कहा कांग्रेस ने सरकारी अधिकारियों का उपयोग किया और सरकारी तंत्र का उपयोग किया और कमाल का उदाहरण दिया। मैं सिर्फ एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूं कि वे कहने लगे कि कोई जूनियर इंजीनियर हमारी सभा में आया और हमारी तरफ से एलेक्शन का प्रचार किया। उस व्यक्ति ने तो कहा कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, मैं केवल अपने दुख दर्द की बात कहां कहने आया हूं। फिर सरकारी अधिकारियों के उपयोग करने की बात कहां से आ गयी? यह कमाल की बात है जो कहा गया कि जनसंघ ने जूनियर इंजीनियरों का इस्तेमाल अपने एलेक्शन के लिये किया। मुझे खेद है कि इस प्रदेश की नाव जिस मुख्य मंत्री के हाथ में है उसको इस बात तक का ज्ञान नहीं है कि सबको मतदान की स्वतंत्रता संविधान के अन्तर्गत है। मैं तो अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि तीन ब्लाक्स के तीन बी० डी० ओज० और वहां के पुलिस सब इन्सपेक्टर....।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ) —

बजट पर बोलें, चुनाव का रोना कब तक रोयेंगे?

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं कोई प्रचार की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो चाहे वह आजमगढ़ का हो या कहीं का भी हो, मेरे जिले के कलेक्टर को बदला गया एक नहीं इस तरह के अनेक उदाहरण हैं तो इस सरकार ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के लिये ऐसा किया या नहीं। मुझे बड़ी चिन्ता हो गई है कि आज हमारे मुख्य मंत्री के सोचने की दिशा क्या है। मैंने माना उनका कसूर नहीं है बल्कि प्रसिद्ध मौलवी आ गये थे। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों से कि तुम चिन्ता मत करो। मैं निबट लूंगा। इस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया। एकदम तक वापस ले लिये गये। पुलिस कत्ल करने के मामले में बन्द किया था ऐसे केस को भी खत्म कर दिया कि अल्प संख्यकों के वोट मिल जायं। सरकारी यंत्र का प्रयोग किया गया या नहीं। आज सरकार इसका दुरुपयोग न करें इसलिये मैं उदाहरण दे रहा हूं।

अगली बात मैं कह रहा हूं और अब मैं नीति पर आ जाना चाहता हूं। इनको काफी रुपया सौंपा जा रहा है। अभी आप चुन कर आये हैं और आपको यह कहने का बहाना है कि नई सरकार बनी है इसलिये आप चार महीने का वोट आन एकाउन्ट ले रहे हैं। अच्छा होता यदि दो महीने के लिये लिया होता। आपके हाथ में करोड़ों रुपया जा रहा है। कल मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यद्यपि मैं उधर के नेताओं का बड़ा आदर करता हूं। 27 वर्षों में भी

[श्री मांधव प्रसाद त्रिपाठी]

बेशर्मी दूर करने की बात कही गई। आगे आने वाला समय बतायेगा कि वे लोग उसमें बह कर चले जायेंगे। इसलिये मैं बेशरम शब्द कहता हूं क्योंकि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। वह बेशर्मी दूर नहीं कर सकते हैं बल्कि वह समझेंगे कि वह दूर हो गई है।

अब यह कहा गया कि वह समाजवाद लायेंगे। समाजवाद लाने में उनके कुछ मित्र भी उनके साथी हो गये हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं यह जरूर कहता हूं कि उनकी नीति है तो कुछ भूलें भी हैं। आज से पिछले 27 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतवर्ष का हृदय रूरल एरिया है। चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखिये, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिये और चाहे आर्थिक दृष्टि से देखिये। वहीं पर उपज होगी, वहीं पर धन धान्य होगा। वहां के लोग यदि सुखी और समृद्ध होंगे तो सारे देश के लोग सुखी और समृद्ध होंगे। ग्राम्य जीवन का आपको उत्थान करना चाहिये और खेती को सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाना चाहिये। हरी क्रान्ति का नाम लेकर आपने ऐसा कर दिया कि लोगों को जीने के लाले पड़ गये।

इस साल देख लीजिये। मैं एक बात माननीय बहुगुणा जी से कहना चाहता हूं। माननीय संपूर्णानन्द जी, पन्त जी, गुप्ता जी और चरण सिंह जी कुछ न कर सके तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब से वे आये हैं तब से उन्होंने क्या किया। खाद पर टैक्स लगाया गया जिससे खाद और मंहगी हो गई। आज खाद किसान को ब्लैक में मिल रही है। किसान तो अपनी खेती के लिये खाद, पानी बिजली तथा उत्तम बीज चाहता है। लेकिन आज बिजली की कमी की वजह से उसकी खेती सूख रही है। सारे विश्व में जितनी कमी है उससे भी ज्यादा हमारे यहां कमी है। आपके मंत्री ने ही स्वीकार किया है कि 27 प्रतिशत या शायद 37 प्रतिशत की अगली फसल में खाद की कमी होने जा रही है। आपने खेती को अपने देश में प्रोत्साहन नहीं दिया और पानी के साथ आंख मिचौनी खेली है। आज कुछ कल्टीवेटेड लैंड का 37 प्रतिशत इरीगेटेड एरिया है जिसको आपने 27 वर्षों में किया है। इसको आपने डेढ़ प्रतिशत के हिसाब से किया है। अगर इस बेशरमी के जमाने का खयाल किया जाय तो कितने वर्षों आप इसको पूरा करेंगे।

आपने माइनर इरीगेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आपके समाजवाद ने धनियों के लिये ट्यूबवेल बनाये। मान्यवर, गरीब-गरीब होता गया और धनी-धनी होता गया। आपने किसान को बिजली दी 6 बजे रात्रि से जब उसे यह पता नहीं चलता है कि पानी खेत में जा रहा है या बाहर जा रहा है। मान्यवर, उसे कपड़ा, भोजन और मकान देना चाहिये।

मान्यवर, मकान की स्थिति देख लीजिये। 1961 में 3 लाख 90 हजार, 1971 में 6 लाख 96 हजार और अब साढे सात लाख मकानों की कमी हो गई है। क्या तरीका है? मुझे टाइम नहीं है कि मैं आंकड़े दूं कि इन्होंने क्या क्या किया। देहात में एक डाक्टर पर 50 हजार आदमी आते हैं जब कि शहर में एक-एक स्थान पर कई कई डाक्टर तैनात हैं। आपके राज्य में गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया है। यह तरीका उनके समाजवाद का है। आपने उनके घर की चिन्ता नहीं की। देहात में रूरल इंडस्ट्री होनी चाहिये आज आपने उनकी भी व्यवस्था नही की। जितनी सड़कें उन्होंने बनाई उसमें से कितनी सड़कें नई हैं जो उन्होंने बनाई हैं? इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, लेखानुदान पर बहस ज्यादा करने की परिपाटी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें कहना आवश्यक समझकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिये श्रीमन्, चिंतित हूं कि 4 महीने का लेखानुदान मांगा गया है और जो धनराशि मांगी गयी है वह इतनी अधिक है जिससे ऐसा लगता है कि विधान सभा के सामने, सदन के सामने सरकार के खर्चे और उस पर जो रोक लगाने का काम या विचार करने का काम हो सकता है। उसको न चलाने की दृष्टि से 4 महीने का

लेखानुदान मांगा गया है। अच्छा होता माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का ख्याल करके कि जब वे समाजवाद की दुहाई देते हैं, प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, और वे चाहते हैं कि विरोधी दलों के लोग उनका सहयोग करें, वे चाहते हैं कि देश की प्रगति करने में, इस प्रदेश को ऊंचा उठाने में इस पक्ष के लोग भी उनका साथ करें तो यह स्वाभाविक है कि जो इस पक्ष का मत है, जो बातें हैं उन पर वे ध्यानपूर्वक विचार करें। और उनको यह मौका दें कि आप एक-एक पाई का जो खर्च करें उस पर उनकी क्या राय है वह जान लें।

मैं कुछ अपना अनुभव इस सिलसिले में आपको बता देना चाहता हूं। हमारा अनुभव यह बताता है कि जो भी सरकार द्वारा खर्चे किये गये और इस सदन द्वारा वे स्वीकृत हुए उन खर्चों को जिस तरह से किया गया अगर उसकी तरफ देखा जाय तो हम लोग जो इस पक्ष में बैठे हैं उनके मन में यह नहीं करता कि यह जो लेखानुदान है, उसके ऊपर स्वीकृति दी जाय। और इसीलिये जैसा मैंने शुरू में कहा यह मानते हुए भी कि बहुमत न हो मैं खड़ा हो गया और मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके किस पक्ष, किस विभाग के ऊपर हम चर्चा करें, जिस विभाग के काम को देखें और फिर यह कोई भी खर्च करने की अनुज्ञा आपको यह सदन दे। उधर वाले पक्ष ने बार-बार यह कहा कि हरिजन पर बड़ा अत्याचार हुआ। मैं 20 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश में बल्कि 27 वर्षों से, उन पिछड़े वर्गों में और हरिजनों में काम कर रहा हूं और आपके राज्य में, मा0 उप नेता मेरी बात को ध्यान से सुनें, 35 बार उस पक्ष ने मुझे जेल में भेजा है। इसलिये कि मैंने हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। इसलिये जेल भेजा है कि मैंने उन भूमिहीनों को जो हरिजन हैं उनको जमीन देने के लिये जमीन पर कब्जे जिन लोगों ने कर रखे हैं, उनसे वे लोग जिनको आप पूंजीपति कहते हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़े एक पूंजीपति हैं, मिल मालिक हैं और गोरखपुर जिले की अधिकांश जमीन पर उनका आज तक अधिकार है, 27 साल तक आपका राज्य चलते हुए हो गया सर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया का नाम हर कांग्रेस का सदस्य जानता है, प्रधान मंत्री जी भी जानती हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

वह तो एक नेता भी हैं।

श्री मधुकर दिघे—

और ऐसे मिल मालिक जिनकी दोहाई माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मत्री जी जो दोनों हमारे मित्र हैं वे मेरे अपने विद्यार्थी जीवन में भी साथ रहे हैं, मेरे साथ रहकर कर काम किया है मैं तो उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने मन में भी यह विचार किया कि 40–40 लाख रुपये गन्ना उत्पादकों का इन मिल मालिकों के ऊपर बकाया है उसको देने की व्यवस्था होनी चाहिये? आप मिलो को अपने हाथ में लेने के बाद भी उसका कुछ व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। क्या जब आप यह अनुदान इस तरह मांग रहे हैं तब आपने इस पर विचार किया? क्या आपने जब यह अनुदान मांगा तो हमको यह मौका आपने जानबूझकर न देने के इरादे से, विधान सभा को यहां न बुलाने के इरादे से ही यह 4 महीने का लेखानुदान नहीं मांगा है? अगर हम यह इलजाम लगावें तो आप मुझको दोष देंगे।

उधर हमारे एक मित्र खड़े हो गये वह हमारे दल के सदस्य भी रहे हैं, नवजवान भी हैं, उन्होंने चार्ज लगा दिया। किस पर चार्ज लगा दिया? चार्ज लगा दिया मान्यवर, कि विरोधी दलों ने, भारतीय क्रान्ति दल ने लाखों रुपये बिदेशों से प्राप्त किया है। कहां थी आपकी पुलिस और कहां था आपका सी0 आई0 डी0 विभाग? मैं तो मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या विरोधी पार्टी, कोई भी दल हो इस देश का, जिसने विदेशों से सहायता ली हो, उसकी जांच क्यों नहीं आप कराते हैं? आपको ऐसा कराने के लिये हिम्मत नहीं है।

[एक सदस्य]

आप वह जांच नहीं करा सकते हैं । अगर जांच हो जायगी तो कांग्रेस पार्टी की पोल खुल जायगी । जिसके पैसे के बल पर हैं उस दल के सदस्य यहां पर चुन कर आये हैं । यह लेखानुदान 4 माह के लिये इसलिये सदन में प्रस्तुत किया गया है कि मैं और हम लोग आपको इस विधान सभा में आकर आपके खर्चे पर रोक नही लगा पायेंगे । मैं श्रीमन्, बहुत बातें कहना चाहता था, लेकिन आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं । अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इतना अनुरोध तो अवश्य ही करूंगा कि वे जो अनुदान मांग रहे हैं उसको प्रदेश के हित में, गरीबों के हित में, हरिजनों के हित में, पिछड़ों के हित में खर्च करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1974

खण्ड 2,3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

1—अप्रैल, 1974 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव, भारतीय गणतंत्र के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग लेखानुदान अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1974-75 के लिये 4,22,68,75,000 रुपयों का दिया जाना ।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1974 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 4,22,68,75,000 रु० (चार अरब बाईस करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान / क्रमसंख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मंडल ..	26,81,000	*41,000*	27,22,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	*3,01,000*	3,01,000
3	मंत्रि परिषद् ..	7,04,000	..	7,04,000
4	न्याय प्रशासन ..	1,42,02,000	*27,55,000*	1,69,57,000
5	निर्वाचन ..	57,27,000	..	57,27,000
6	वृत्ति व्यापार, आजीविका तथा सेवा योजन पर कर	3,69,000 ..	*1,000*	3,70,000
7	भू-राजस्व ..	11,54,08,000	*9,000*	11,54,17,000
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण ..	28,70,000	*1,000*	28,71,000
9	भूमि और भवन कर ..	37,000	..	37,000
10	राज्य आबकारी ..	22,13,000	*1,000*	22,14,000
11	बिक्री कर ..	72,72,000	*4,000*	72,76,000
12	मोटर गाड़ियों पर कर ..	2,74,18,000	*2,000*	2,74,20,000
13	अन्य कर और शुल्क ..	15,32,000	*1,000*	15,33,000
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति ..	9,07,000	..	9,07,000
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	*7,94,93,000*	7,94,93,000
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	*23,35,69,000*	23,35,69,000
17	लोक सेवा आयोग ..	..	*6,89,000*	6,89,000
18	सचिवालय ..	2,32,12,000	*3,000*	2,32,15,000
19	जिला प्रशासन ..	2,00,99,000	*7,000*	2,01,06,000
20	कोषागार एवं लेखा प्रशासन ..	34,29,000	*1,000*	34,30,000
21	पुलिस ..	14,16,91,000	*2,000*	14,16,93,000
22	कारागार ..	1,46,11,000	*1,000*	1,46,12,000
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	1,16,77,000	..	1,16,77,000
24	सार्वजनिक निर्माण कार्य ..	35,23,000	*17,000*	35,40,000
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें ..	96,92,000	*1,000*	96,93,000
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें ..	1,86,12,000	*1,10,000*	1,87,22,000
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें ..	44,27,000	*1,000*	44,28,000
28	शिक्षा ..	50,27,16,000	*1,000*	50,27,17,000

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम संख्या ।

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
29—कला एवं संस्कृति	..	8,28,000	*1,000*	8,29,000
30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	..	4,68,000	..	4,68,000
31—चिकित्सा	..	8,33,38,000	*4,000*	8,33,42,000
32—परिवार नियोजन	..	3,14,79,000	..	3,14,79,000
33—सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	4,83,81,000	*1,000*	4,83,82,000
34—आवासन	..	10,99,000	..	10,99,000
35—नगर विकास	..	2,45,000	..	2,45,000
36—सूचना तथा प्रसार	..	16,27,000	*1,000*	16,28,000
37—श्रम एवं सेवायोजन	..	1,93,98,000	*3,000*	1,94,01,000
38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		3,99,16,000	*4,000*	3,99,20,000
39—दवी आपदाओं के कारण सहायता		4,00,12,000	*2,00,00,000*	6,00,12,000
40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	..	1,94,000	..	1,94,000
41—सहकारिता	..	95,18,000	*1,000*	95,19,000
42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र		4,56,88,000	*1,000*	4,56,89,000
43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवा		26,57,000	*3,000*	26,60,000
44—कृषि	..	5,74,96,000	*48,000*	5,75,44,000
45—सामुदायिक विकास	..	4,45,57,000	*1,000*	4,45,58,000
46—भूमि तथा जल संरक्षण	..	1,42,00,000	..	1,42,00,000
47—क्षेत्र विकास	..	2,14,000	..	2,14,000
48—खाद्य तथा पोषाहार	..	1,45,76,000	*17,000*	1,45,93,000
49—पशुपालन	..	2,36,15,000	*1,000*	2,36,16,000
50—दुग्ध शाला (डेरी) विकास	..	7,80,000	*1,000*	7,81,000
51—मत्स्य उद्योग	..	21,42,000	*1,000*	21,43,000
52—वन	..	2,66,80,000	*13,000*	2,66,93,000
53—उद्योग	..	89,09,000	*1,000*	89,10,000
54—ग्राम्य एवं लघु उद्योग	..	42,01,000	..	42,01,000
55—खान तथा खनिज	..	3,97,000	*1,000*	3,98,000
56—विद्युत् विकास	..	1,000	..	1,000
57—राजस्व से दिये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-का	..	17,10,10,000	*12,000*	17,10,22,000
58—सिंचाई अधिष्ठान	..	4,74,27,000	*3,000*	4,74,30,000

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		[रु०	रु०	०
59—सिविल विमानन	..	1,67,000	..	1,67,000
60—सड़कें तथा पुल	..	5,08,63,000	..	5,08,63,000
61—कार्यात्मक भवन	..	28,51,000	..	28,51,000
62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान		2,51,74,000	*2,000*	2,51,76,000
63—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान	..	1,35,95,000	..	1,35,95,000
64—सड़क तथा जल परिवहन	..	2,04,000	..	2,04,000
65—पर्यटन	..	5,93,000	..	5,93,000
66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण		2,75,24,000	*1,000*	2,75,25,000
67—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	..	5,09,90,000	*1,00,000*	5,10,90,000
68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,33,16,000	..	1,33,16,000
69—शिक्षा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,06,000	..	1,06,000
70—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	74,39,000	..	74,39,000
71—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,29,36,000	..	2,29,36,000
72—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		2,04,000	*17,000*	2,21,000
74—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	..	75,57,000	..	75,57,000
75—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,44,000	..	2,44,000
76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर	..	22,50,000	..	22,50,000
77—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,47,53,000	*1,000*	2,47,54,000
78—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,51,25,000	*1,000*	2,51,26,000

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
79	खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय ..	41,85,00,000	..	41,85,00,000
80	पशुपालन तथा मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय ..	63,000	..	63,000
81	वनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	4,34,000	*1,000*	4,35,000
82	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	19,24,94,000	*1,000*	19,24,95,000
83	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	4,53,20,000	..	4,53,20,000
84	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	8,40,38,000	..	8,40,38,000
85	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,000	..	1,000
*87	राज्य सरकार के ऋण ..	..	*93,38,93,000*	93,38,93,000
88	ऋण और अग्रिम—शिक्षा ..	21,67,000	..	21,67,000
89	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन			
90	ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन ..	66,97,000 8,35,000	.. ..	66,97,000 8,35,000
91	ऋण और अग्रिम—उद्योग	1,13,94,000	..	1,13,94,000
92	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	2,65,000	..	2,65,000
93	ऋण और अग्रिम—कृषि	4,10,13,000	..	4,10,13,000
95	ऋण और अग्रिम—विद्युत	18,16,33,000	..	18,16,33,000
96	ऋण और अग्रिम—सार्वजनिक निर्माण ..	1,000	..	1,000
97	ऋण और अग्रिम—परिवहन	1,000	..	1,000
98	ऋण और अग्रिम—वित्त	1,89,00,000	..	1,89,00,000
	योग ..	2,95,57,29,000	*1,27,16,46,000*	4,22,68,75,000

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या ।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 35 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । अब समय नहीं है कि मैं उनको पढ़ कर सुनाऊं । 6 सूचनायें माननीय हरि केवल प्रसाद, अब्दुल रऊफ लारी, शारदा प्रसाद रावत, श्रीनारायण, बाबू लाल वर्मा, फिरंगी प्रसाद विशारद, रामायण राय, अनिरुद्ध राय, राजेंद्र प्रसाद गुप्त, सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र की हैं । ये सब प्रदेश के पूर्वी जिलों में उपल वृष्टि से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में हैं । इनको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है । इन्हें भी अन्य सूचनाओं के साथ सम्मिलित कर दिया जायगा और सरकार का वक्तव्य आयेगा । शेष सभी को अस्वीकार कर दिया गया है ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
27 मार्च, 1974 ।

नत्थी "क"

(कृपया देखिये पीछे पृष्ठ 439 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय--1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 को प्रवृत हुआ समझा जायगा।

अध्याय--2

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में--

(क) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्--

"(ट) किसी फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली किसी इकाई के संबंध में, 'अध्यासी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसमें कोई कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय भी शामिल है) अथवा प्राधिकारी से है जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अंतिम नियंत्रण हो, और यदि उक्त मामले ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों, तो इसके अन्तर्गत ऐसा मैनेजिंग एजेन्ट, डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी भी है।

स्पष्टीकरण--इस बात के होते हुये भी कि फैक्ट्री या इकाई के मामले किसी मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंप दिये गये हों, उस व्यक्ति या प्राधिकारी के, जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अंतिम नियंत्रण हो, धारा 17 के अधीन दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(ख) खण्ड (ड) निकाल दिया जाय।

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में, खंड (ग) में, शब्द 'तथा खरीदारी एजेन्टों' निकाल दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 5 में-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (4) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "उसके किसी सदस्य को" के स्थान पर शब्द "उसके सभापति या किसी सदस्य को" रख दिये जायं,

(ख) उपधारा (5) में--

(1) खंड (क) में, शब्द "सभापति तथा सचिव से भिन्न सभी सदस्य" के स्थान पर शब्द "सचिव से भिन्न सभापति तथा सभी सदस्य" रख दिये जायं,

(2) खंड (ग) में, शब्द "सभापति अथवा सचिव, जैसा कि गन्ना कमिश्नर आदेश दें" के स्थान पर शब्द "सचिव" रख दिया जाय।

5--मूल अधिनियम की धारा 17 में-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 24, 1953 की धारा 17 का संशोधन

(क) उप धारा (2) में, शब्द "और यदि किसी खरीदारी एजेन्ट द्वारा गन्ना दिया गया हो, तो अध्यासी के अतिरिक्त खरीदारी एजेन्ट भी उसी प्रकार उत्तरदायी होगा" निकाल दिये जायं ;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) में शब्द 'एक नियम प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'एक ऐसा प्रतिशत जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जायगा', रख दिये जायं।

6--मूल अधिनियम की धारा 21 में,-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 21 का संशोधन

(क) पार्श्वशीर्षक में शब्द, "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 22 के प्रयोजनों के लिये" रख दिये जायं और सदैव से रख गये समझे जायं ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "व्यक्तियों का अन्य समवाय" से पहले कोष्ठक तथा शब्द "(कम्पनी से अन्यथा)" बढ़ा दिये जायं और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं, तथा प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "इस अधिनियम" जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "इस उपधारा" रख दिये जायं और सदव से रखे गये समझे जायं ;

(ग) उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "इस अधिनियम" जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "इस उपधारा" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जाव।

7--मूल अधिनियम की धारा 28 में, उप धारा (2) का खंड (ठ) निकाल दिया जाय। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 की धारा 28 का संशोधन

8--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन या उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन भेजे गये — वैधीकरण

या भेजे जाने के लिये तात्पर्यित प्रमाण-पत्र के अनुसरण में किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य, और की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, उसी प्रकार विधिमान्य समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत थे ।

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3-क का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में, उपधारा (3) में शब्द "पराई के मौसम के अन्त में" के पश्चात् शब्द "या पेराई क मौसम के लिये फैक्टरी के बन्द होने के पश्चात्, जैसी भी दशा हो, तुरन्त" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 4 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 4में, उपधारा (1) में शब्द "उस इकाई के अतिरिक्त जिसने उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा 1960 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त किया हो," के स्थान पर शब्द "उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेन्स देने की आज्ञा 1967" रख दिये जायं ।

अध्याय—4

निरसन

निरसन तथा अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1973 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1973

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत था ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 2 के खंड (ट) में किसी फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली किसी इकाई का अध्यासी की परिभाषा दी है। शब्द 'अध्यासी' की इस परिभाषा के अनुसार गन्ना उत्पादकों को देय धनराशि फैक्ट्री के स्वामी से वसूल नहीं की जा सकती, यदि स्वामी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अध्यासी के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया गया हो। विधान मंडल के अभिप्राय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 2 तथा 21 में संशोधन करना आवश्यक है।

2—राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि खरीदारी एजेंसी की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिये। तदनुसार अधिनियम की धारा 2 का खंड (ड) और धारा 28 की उपधारा (2) का खंड (ठ) निकाला जा रहा है और धारा 4 तथा धारा 17 में पारिणामिक संशोधन किये जा रहे हैं।

3—अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों को युक्तिपूर्ण बनाने का भी प्रस्ताव है।

4—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3-क की उपधारा (3) में, कर-निर्धारक प्राधिकारी को पेराई मौसम के अन्त में शक्कर के प्रति बोरे पर भुगतान की दर निकालने और निर्दिष्ट करने का अधिकार है। यह प्रस्ताव है कि कर-निर्धारक प्राधिकारी को फैक्ट्री के बन्द होने के तुरन्त बाद भुगतान की दर निर्दिष्ट करने का प्राधिकार दिया जाय, यदि पेराई के मौसम का अन्त और फैक्ट्री के बन्द होने का समय साथ न हो।

5—इस अवसर का लाभ उपर्युक्त अधिनियमों में कतिपय अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया गया है।

6—तदनुसार यह विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी
वित्त एवं भारी उद्योग मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—30 वि० सभा—1974—एम० सी० नं० 579—835।